पंचम माला, खंड, 38, अंक 35
Fifth Series, Vol. XXXVIII, No. 35

गुरुवार, 11 अप्रैल, 1974/21 चैत्र, 1896 (शक)
Thursday, April 11, 1974 / Chaitra 21, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद हैं।

This is a translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 35—गुरुवार, 11 अप्रैल, 1974/21 चैत्र, 1896 (शक)

No. 35—*Thursday, April* 11, 1974/*Chaitra* 21, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
647	मजदूर संघ अधिनियम का संशोधन	Amendment of Trade Unions Act	1–2
648	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन	Restructing of Hindustan Steel Ltd. . . .	2–4
650	जवानों के वेतन और भत्तों में वृद्धि	Increase in Salaries and Allowances of Jawans . . .	4–7
652	पश्चिम एशिया के अत्यधिक तेल वाले देशों के साथ आर्थिक सम्बन्ध	Economic Relations with West Asian Oil Rich Nations .	7–8
653	धनबाद में कोयले का स्टाक	Coal Stocks at Dhanbad .	8–11
654	अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त करना	De-Recognition of Medical Colleges by All India Medical Council	11–15
656	कोल माइन्स अथारिटी और रेलवे में प्रभावी समन्वय प्राप्त करने में असफलता का समाचार	Alleged Failure to have effective coordination between CMA and Railways . . .	15–17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
649	इस्पात की बचत करने के बारे में श्रीनिवासन समिति	Srinivasan Committee on Saving of Steel	17–18
651	न्यूनतम मजूरी-अधिनियम का संशोधन	Amendment of Minimum Wages Act	18
655	अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा कर्नाटक के मेडिकल कालेजों को मान्यता दिया जाना	Recognition of Medical Colleges in Karnataka by All India Medical Council . .	18–19
657	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा उद्योगों को दी गई रियायतों को समाप्त करना	Withdrawal of CMA Concessions to Industries	19

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—13 LSS/74

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
658	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत बिहार में भविष्य निधि लागू करना	Coverage under EPF Act in Bihar	19–20
659	भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया रोजगार	Employment given to Ex-servicemen	20
660	जम्मू और कश्मीर राज्य में सोपुर नगर के निकट झेलम नदी पर पुल का बनाया जाना	Building of a Bridge on Jhelum near Sopore Town in J. & K.	21
661	शोर के कारण श्रवण शक्ति खोन के कारण श्रमिकों को क्षतिपूर्ति	Compensation to Workers for Noise induced Hearing Loss	21
662	मालदीव के प्रधान मंत्री का दौरा	Visit by Prime Minister of Maldives	21–22
663	अरुणाचल का भौगोलिक सर्वेक्षण	Geological Survey of Arunachal	22
664	देबारी जिंक स्मैलटर, उदयपुर का विस्तार	Expansion of Debari Zinc Smelter, Udaipur	23
665	तटस्थ देशों के समन्वय ब्यूरो के अल्जीयर्स में हुए सम्मेलन में किए गए निर्णय	Decisions at Algiers Conference of Bureau of Co-ordination of Non-Aligned Countries .	23
666	गोदी श्रमिकों का मजूरी ढांचा	Wage Structure of Dock Workers	23
667	पाकिस्तान, भारत और बंगला देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता	Tripartite talks between Pakistan, India and Bangladesh .	24
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
6397	कोयला खानों द्वारा कोयले के लदान के लिए रोके गए वैगन	Detention of Wagons by Coal Mines for Coal Loading .	24
6398	परिवार नियोजन के उद्देश्यों के लिए इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन को दिए गए अनुदान	Grants given to Indian Medical Association for Family Planning Purposes	24–25
6399	राज्यों को परिवार नियोजन के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग	Utilisation of Central Assistance granted for Family Planning in States	25–26
6400	इस्पात की कमी का इंजीनियरिंग उद्योग पर प्रभाव	Engineering Industry hit by shortage of Steel . . .	26–27
6401	रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे ग्रेड III के स्टेनोग्राफर	Grade III Stenographers working in Defence Ministry on loan	27
6402	विदेशों को स्विचगियरों की सप्लाई	Supply of Switchgears to foreign countries . . .	27
6403	कनाडा में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in Canada .	28
6404	केन्द्रीय श्रम संगठनों की सदस्यता की पड़ताल	Verification of membership of Central Labour Organisation	28

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6405	संगरौली कोयला क्षेत्रों में स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की बजाए बाहर से कर्मचारियों की भर्ती	Staff from Outside in preference to local unemployed at Sengrauli Coal Fields . .	28
6406	मध्य प्रदेश में रीवा के निकट कईमूर पहाड़ियों में तोपखाने की रेंज के कारण यातायात में बाधा	Blockage of Traffic by Artillery Range in Kalmoor hills near Rewa, M.P. . . .	28–29
6407	संगरौली कोयला क्षेत्रों में कीमती मशीनों को बट्टे खाते में डालना	Costly machinery written off at Sengrauli Coal Fields .	29
6408	हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल की कमियां	Shortcomings of Heavy Electricals (India) Limited, Bhopal	29
6409	मध्य प्रदेश में सैनिक भर्ती कार्यालय और प्रशिक्षण केन्द्र	Military Recruiting Offices and Training Centres in Madhya Pradesh	29–30
6410	मध्य प्रदेश के सेना से सेवा मुक्त अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी	Officers and other ranks of M.P. discharged from Army .	30–31
6411	मिर्जापुर के निकट हीरे की खान	Diamond Mine near Mirzapur	31
6412	भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विभिन्न राज्यों के मेडिकल कालेजों की मान्यता वापस ले लेना	De-recognition of Medical Colleges in various States by All India Medical Council .	32
6413	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय और अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में विचाराधीन मामलों को पाकिस्तान द्वारा वापस लेना	Withdrawal by Pakistan of Cases pending before International Court Justice and ICAO .	33
6414	श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Working Journalists . . .	33
6415	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रक्षा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण	Pay Fixation of Defence Employees Under Third Pay Commission's Recommendations.	33
6416	बेलाडिला के शिक्षित बस्तर आदिवासियों को नौकरियां	Jobs to Educated Bastar Adivasis in Balladilla . . .	34
6417	मशीनें निर्माण करने वाले कारखानों द्वारा उत्पादन का विविधिकरण	Diversification of Production by Machine Manufacturing Units	34
6418	भारी इंजीनियरिंग कारखानों में उत्पादन बढाने के उपाय	Measures to Raise Production in Heavy Engineering Units	34–35
6419	वर्ष 1974-75 में देश में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Health Centre in the country in 1974-75 .	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6420	औद्योगिक एककों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकारी उद्यमों सम्बन्धी कार्यवाही समिति की सिफारिशें	Recommendation of Action Committee on Public Enterprises to Improve Functioning of Industrial Units .	35–36
6421	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई में आई० बी० एम० मशीनों का चलन बन्द करना .	Scrapping of I.B.M. Machines in R.P.F.C., Bombay . .	36
6422	दिल्ली में प्रति परिवार साफ्ट कोक का अपर्याप्त कोटा	Inadequate Quota of soft Coke Per Family in Delhi . .	36–37
6423	चुने हुए स्थानों पर कोयला भंडार स्थापित करना	Coal Dumps at Selected Locations	37
6424	विश्व की जनसंख्या	World Population . . .	37–38
6425	ब्रिटिश मोटर कार कम्पनी, नई दिल्ली में छंटनी . .	Retrenchment in British Motor Car Company, New Delhi	38
6426	पंजाब फुटकर किराना व्यापारी संघ तथा उत्तर भारत परचून किराना संघ से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from Punjab Retail Karyana Merchants Association and Uttar Bharat Parchun Karyana Sangh .	38–39
6427	टेलिफोन नगर कालोनी (इंदोर) में पाये गये ज्वालामुखी के खंभेनुमा पत्थर	Pillar Type Volcano Stones found in Telephone Nagar Colony (Indore) . . .	40
6428	जहाजों से माल उतारने तथा चढाने के लिए कोचीन पत्तन पर रिश्वत दिया जाना	Payment of Ghost Money in Cochin Port for handling of ships	40
6429	इस्पात उत्पादन पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव	Impact of Shortage of Raw material on Steel Production .	40–41
6430	श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देना	Grant of Indian Citizenship to repatriates from Shri Lanka	41
6431	5 मार्च, 1974 को तुर्की विमान दुर्घटना में मारे गए भारतीयों का अता-पता .	Whereabouts of Indians killed in Turkish Air Crash on 5-3-74	41
6432	कलकत्ता स्थित बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग समूह का अनुचित कार्यकरण	Unfair Functions of Bengal Chamber of Commerce and Industry, Calcutta . . .	42
6433	जनवरी, 1974 में पटसन उद्योगों के बारे में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता	Tripartite talks regarding Jute Industry held in January, 1974	42
6434	बिजली मजूरी मार्गनिर्देशिक सिद्धांत सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Electricity Wage Guidelines Committee .	42–43
6435	अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	All India Working Class Consumer's Price Index . .	43

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6436	आस्ट्रेलिया को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के निर्मित सामान का निर्यात	Export of HMT Goods to Australia	43
6437	नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों को आनरेरियम तथा भत्ता देने के लिए धनराशि का नियतन	Allocation of Funds for honorarium and allowances to NDMC employees . .	44
6438	योजना आयोग द्वारा कोयला उत्पादन के लक्ष्यों में कमी	Coal production target scaled down by Planning Commission	44
6439	पाकिस्तानी संवाददाताओं द्वारा भारत का दौरा	Visit of the Pakistani Newsmen to India . . .	44–45
6441	व्यापार सम्बन्धी रूकावटों को दूर करने के लिए भारत अमरीका संयुक्त आर्थिक आयोग	Indo US Joint Economic Commission for Removal of Trade Barriers . . .	45
6442	कोलार स्वर्ण खानों द्वारा स्वर्ण का निर्यात	Export of Gold by Kolar Gold Mines	45
6443	चाय कम्पनियों द्वारा भविष्य निधि के अंशदानों का जमा न कराया जाना	Non-Deposit of Provident Fund Contributions by Tea Companies	46
6444	ग्रेट इस्टर्न होटल, कलकत्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न कराया जाना	Non Deposit of G.P.F. by Great Eastern Hotel, Calcutta.	46–47
6445	ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सुविधा तथा औषधियां प्रदान करने सम्बन्धी व्यवस्था	Provision of Medical Aid and Medicine to People Tax in Rural Area . . .	47
6446	इंधन निति का कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Fuel policy on Production in Agricultural and Industrial Sectors . . .	47
6447	कच्चे माल की अधिलागत का इस्पात ट्यूब उद्योग पर प्रभाव	Effect of High Cost of Raw Material on Steel Tube Industry	47–48
6448	कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने के लिए आधुनिक उपकरणों की सप्लाई करने के लिए माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन को क्रयादेश दिया जाना	Orders with MAMC to Supply Sophisticated Equipments to Modernise Coal Mines .	48
6449	नेपाल को दी जाने वाली भारतीय सहायता में परिवर्तन	Changes in Indian Aid to Nepal	49
6451	अल्यूमिनियम उद्योग को राजसहायता देना	Subsidy to Aluminium Industry	49
6452	फ्रांस, ब्रिटन और इटली की सहायता से छोटे युद्धपोतों का डिजाइन तैयार करना	Designing of Small Warships with the help of France, Britain and Italy . . .	49–50

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6453	2.0 लाख किलो वाट क्षमता वाले बिजलीघरों के लिए उपकरण सप्लाई करने के लिए रूसी प्रस्ताव	Soviet Officer in Supply Equipment for 2 million K.W. Power Stations . . .	50
6454	कोयला जमा होने से कोयला खनन कार्य बन्द होना	Stoppage of Coal Mining due to accumulation of stock . .	51
6455	तिब्बत में भारतीय एजेंटों को कथित तोड़-फोड़ की गतिविधियों का ब्रिटिश समाचार पत्रों में समाचार	British Press Report of Alleged subversive activities by Indian Agents in Tibet . .	51
6456	तकनीकी सैन्य कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Technical Army Personnel . .	51–52
6457	सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना का बुलाया जाना	Army for help to Civilian Authorities.	52
6458	भिलाई, रूरकला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Bhilai, Rourkela and Durgapur Steel Plants	52–53
6459	सोने का खनन	Mining of Gold . . .	53–54
6460	मलापुरम अपहिल गोलाबारी रेंज वाली भूमि को नगर के विकास के लिए खाली करना	Release of land of Malapuram Uphill Firing Range for development of Town . .	54
6461	राज्यों में नकली औषधियों की बिक्री	Sale of Supurious Drugs in States	54–55
6462	बंगलोर में आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिजिनस मेडिसिन्स की स्थापना	Establishment of an All India Institute of Indigenous Medicines in Bangalore. . .	55
6463	भारत की समुद्रतटीय सुरक्षा के लिए 'कौरवेटे" युद्धपोतों का उपयोग	Use of Corvette Warships for Coastal Defence of India .	55
6464	भारत इलेक्ट्रोनिक्स के लिए रूसी प्रस्ताव	Soviet Offer for Bharat Electronics	55–56
6465	दक्षिण पुर्तगाल द्वारा मोजम्बीकनों को दक्षिण अफ्रीकी खान मालिकों के हाथ बेचना	Sale of Mazambiquans by Portugal to South African Mine Owners . . .	56
6466	बोकारो इस्पात कामगार यूनियन से ज्ञापन	Memo from Bokaro Steel Workers Union . . .	56
6467	पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में परिवार नियोजन पर व्यय	Expenditure on Family Planning during Fifth Plan .	56
6468	संयुक्त राज्य अमरिका स्थित भारतीय दूतावास पर वार्षिक व्यय	Annual Expenditure on Indian Embassy in U.S.A. . .	57
6469	प्रबन्ध में श्रमिकों के सहयोग के बारे में कानून बनाया जाना	Legislation regarding Labour Participation in Management	57

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6470	भारतीय डाक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए ओमान सरकार का अनुरोध	Oman Government request for Indian Doctors and Medical Experts . . .	57
6471	गैर-सरकारी क्षेत्र में लघु इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plants in Private Sectors	58–60
6472	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल का भूगर्भीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Kerala during Fifth Five Year Plan .	60
6473	केरल के ग्रामीण अस्पतालों को सहायता	Assistance to Rural Hospitals of Kerala . . .	61
6474	इस्पात उद्योग को संयुक्त वार्ता समिति की बैठक	Meeting of Joint Negotiating Committee of Steel Industry	61
6475	पाकिस्तान और बंगला देश के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध	Closer ties between Pakistan and Bangladesh . . .	61–62
6476	"यूनाइटिड अरब एमीरेटस" के विदेश मंत्री का दौरा	Visit by Foreign Minister of United Arab Emirates .	62
6477	भारत की मुस्लीम आबादी के प्रतिनिधियों को लाहोर इस्लामी सम्मेलन का आमंत्रण	Invitation by Lahore Islamic Summit to representative of Muslim Population in India	62
6478	195 युद्धबन्दियों के बारे में बंगलादेश के प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का आकाशवाणी से प्रसारण	A.I.R. Broadcast over Statement by Bangaladesh Prime Minister About 195 P.O.Ws. .	63
6479	तौलने वाली मशीनों के लिए विदेशी फर्मों को क्रयादेश	Orders to Foreign Firms for Weighing Machines . .	63–64
6480	सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्मों की कमी	Shortage of X-Ray Films in Government Hospitals .	64
6481	मशीन निर्माण उद्योगों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट सुविधाएं	Special Facilities to Augment Capacity of Machine Manufacturing Industries . .	64–65
6482	भारत द्वारा हथियारों का निर्माण और अन्य देशों को सप्लाई	Manufacture and Supply of Arms by India to other Countries	65
6483	चौथी योजना की अवधि में उड़ीसा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों का पूरा किया जाना	Achievement in Family Planning Programmes by Orissa during Fourth Plan period . .	65–66
6484	उड़ीसा में न्यूनतम मंजूरी अधिनियम क्रियान्विति	Implementation of Minimum Wages Act in Orissa . .	66–67
6485	सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कें बनाना	Building of Roads by Border Roads Organisation . .	67

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6486	उत्तर भारत के व्यक्तियों का विदेशों को जाना	Exodus from North India .	67
6487	भारत में पाकिस्तान युद्ध बन्दियों के लिए विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Pakistani P. O. W's in India . .	67
6488	नई दिल्ली/दिल्ली के पुनर्वास कालोनियों में खाली पड़े प्लाट और उनकी नीलामी	Vacant plots and their Auction in Rehabilitation Colonies in Delhi/New Delhi . .	68
6489	गैर सरकारी निर्माताओं द्वारा कोक का परिष्करण	Processing of Coke by Private Manufacturers. . . .	68
6490	उड़ीसा के ग्राम्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र	Health Centres in Rural Areas of Orissa.	68–69
6491	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के महाप्रबन्धक के रूप में एक श्रमिक नेता की नियुक्ति	Appointment of a Labour Leader as General Manager in Durgapur Steel Plant . .	69
6492	दिएगो गर्शिया के बारे में पाकिस्तान की नीति में परिवर्तन	Change in Pak Policy towards Diego Garcia Island . .	69
6493	1973-74 में रुरकेला इस्पात संयंत्र में जन-घंटों की हानि	Man hour lost in Rourkela Steel plant during 1973-74 . .	70
6494	मेसर्स ग्लोब मोटर्स द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि को राशियां जमा न कराना	Non Deposit of EPF by M/s Globe Motors Delhi . .	70
6495	भारत-सिंगापुर नौसैनिक सहयोग वार्ता	Indo-Singapore Naval Cooperation Talks . . .	71
6496	चौथी योजना में आन्ध्र प्रदेश द्वारा निर्धारित परिवार नियोजन लक्ष्य की प्राप्ति	Achivement of Family Planning Target by Andhra Pradesh during Fourth Plan . .	71
6497	कलकत्ता में कोयला प्राधिकरण का मुख्यालय	Headquarters of Coal Authority in Calcutta . . .	71
6498	भारी इंजीनियरिंग निगम रांची में श्रमिकों में संघर्ष	Clash among Labourers in H.E. C. Ranchi . . .	72
6499	गत छः महीनों के दौरान हुई हड़तालों	Agitation during last Six Months	72
6500	त्रिपुरा में चाय बागान श्रमिकों के मामले	Cases of Tea Plantation Labour in Tripura . . .	72
6501	रूस में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in Russia	72
6502	हांडिधुआ कोयला खान की छत का गिरना	Roof Collapse of Handidhua Coal Mine. . . .	72–73

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6503	चौथी योजना के दौरान उड़ीसा में हरिजनों और आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध की गई चिकित्सा सुविधाएं	Medical facilities provided to Harijans and Tribal Areas of Orissa during Fourth Plan .	73
6504	वर्ष 1974 में राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन	Commonwealth Prime Ministers Conference, 1974 . .	73
6505	कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना बुलाए जाने के बारे में सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्षों की राय	Opinion of Heads of Armed Forces regarding Army called for Maintaining of Law and Order	74
6506	अहमदाबाद के सिविल अस्पतालों में सेवाओं में सुधार	Improvement in Services in Civil Hospitals of Ahmedabad .	74
6507	शाहजहांपुर आर्डिनन्स क्लोदिंग फैक्ट्री का पुनः खोला जाना	Reopening of Shahjahanpur Ordnance Clothing Factory.	74
6508	शाहजहांपुर स्थित आर्डनन्स क्लोथिंग कारखाने के हिसाब-किताब में धोकाधड़ी का मामला	Embezzlement in Shahjahanpur Ordnance Clothing Factory	75
6509	चम्पारन, बिहार में विस्थापित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना	Setting up of a Training School for Displaced Persons in Champaran, Bihar . .	75
6510	तीन वर्षों के परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन	Assessment of Family Planning Programme of last three Years	75
6511	भारत अरब मैत्री संबंध	Indo Arabs Friendly Relations	76
6512	महाराष्ट्र द्वारा कोयला तथा कोक के मूल्यों पर नियंत्रण	Control on Price of Coal and Coke by Maharashtra .	76
6513	नवल अर्मामेन्ट डिपो अल्वाए के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता देना	Grant of HRA & CCA to Employees of Naval Armament Depot, Alwaye . . .	76–77
6514	केरल स्टेट बर्मा-सीलोन इवक्यू एसोसिएशन से अभ्यावेदन	Representation of Kerala State Burma-Ceylon Evacuees Association	77–78
6515	केरल में प्रस्तावित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का खोला जाना	Location of proposed Regional Passport Office in Kerala .	78
6516	देश में अविवाहितों की संख्या	Bachelors in the country .	78–79
6517	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अधिकारी संघ से ज्ञापन	Memo from Officers Association of Durgapur Steel Plant .	79
6518	देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम कर रहे डाक्टर	Doctors working in Primary Health Centres . . .	79–80
6519	गांवों में परिवार नियोजन के लिए जन प्रचार के माध्यम	Mass Media for Family Planning in Villages . . .	80

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6520	कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में अकुशल प्रशासन व्यवस्था	Inefficient Administration of Employees Provident Fund .	81
6521	नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक में कर्मचारी संघ	Trade Union in National and Grindlays Bank . . .	82
6522	कोयला खान अधिकरण के सर्वोच्च पद	Top Posts of CMA . .	82
6523	डोगरा रेजिमेन्ट की एक बटालियन द्वारा "हन्ना बैटल" दिवस मनाया जाना	Celebration of Hanna Battle Day by a Battalian of Dogra Regiment . . .	82–83
6524	बोर्ड के पास गोदी श्रमिकों सम्बन्धी विचाराधीन दावे	Pending Claims of Dock Labourers with Board . . .	83
6525	दिल्ली जल सम्भरण तथा मल-व्ययन उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertakings .	83–84
6526	विद्युत उद्योग के श्रमिकों द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike Threat by Electricity Industry Workers . . .	84
6527	बोकारो इस्पात कारखाने का प्रबन्ध निदेशक	Managing Director of Bokaro Steel Plant . . .	84
6528	कोयले पर आधारित पेट्रोलियम के बारे में जांच	Investigations regarding Coal Base Petroleum . . .	85
6529	बिहार में चेचक का प्रकोप	Small Pox in Bihar .	85–86
6530	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के उत्पादन में कमी	Production Loss of IISCO	86–87
6531	"हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" श्रमिकों की हड़ताल	Strike by "HMT" Workers .	87
6532	"मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स" की नौकरी सुरक्षा तथा अन्य लाभ	Job Security and other benefits to "Medical Representatives".	88
6533	कोयला उपभोक्ताओं के संघटन को कोयले की न्यायोचित दरों तथा सरलता से उपलब्धता का आश्वासन	Coal Consumers' Association assured of reasonable rates and easy availability of coal	88
6534	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा पूंजी ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of Capital Structure of Neyveli Corporation .	88–89
6535	छम्ब के शरणार्थियों को बसाने के लिए चुनी गई भूमि को अस्विकार किया जाना	Rejection of Land Selected for Rehabilitation of Chhamb Refugees. . . .	89
6536	मध्य प्रदेश के बुन्देल खण्ड डिवीजन का विमान द्वारा सर्वेक्षण	Air Suvrey of Bundelkhand Division of Madhya Pradesh	90
6537	मध्य प्रदेश में सीसे का भण्डार	Lead Deposits in Madhya Pradesh	90

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6538	दिल्ली में कोयले का वितरण	Distribution of Coal to Delhi .	90–91
6539	दुर्गादुर मिश्र (एलाय) इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Alloy Steel Plant . . .	91
6540	देश में डाक्टरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का प्रस्ताव	Proposal to convene a meeting of State Health Ministers to Discuss doctors' problems in the country . . .	91–92
6543	मोजाम्बिक में अमरीकी अड्डे के लिए पोर्तुगाल का प्रस्ताव	Postugeese offer for US base at Mozambique . . .	92
6544	छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण	Central Authority for Rehabilitation of Chhamp Displaced Persons . . .	92–93
6545	हल्दिया गोदी परि योजना के चालू करने में विलम्ब	Delay in Commissioning of Haldia Dock Project . .	93–94
6547	पटसन उद्योग में बदली श्रमिकों को मजूरी का मानकीकरण	Standardisation of wages for Badli workers . . .	94
6548	झांसी के निकट एक ट्रान्सफारमर कारखाने की स्थापना	Setting up of Transformer Factory near Jhansi . .	94
6549	खनिज सम्बन्धी खोच के लिए पूर्वी भारत का सर्वेक्षण	Survey of Eastern India for Mineral Exploration . .	95
6550	सोवियत संघ से खनन उपकरण	Mining equipment from Soviet Union . . .	96
6551	भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में किए गए सर्वेक्षण	Survey undertaken by Geological Survey of India during 1972-73, 1973-74 and 1974-75	96
6552	रेलवे के लिए प्रस्तावित कोयला आधारित शक्ति	Coal based power suggested for Rilways	97
6553	सेना में भर्ती के लिए राज्यवार कोटे का निर्धारण	Fixation of Statewise Reservation Quota for recruitment in Army . . .	97-98
6554	राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों में भर्ती सम्बन्धी कोटे की प्रतिशतता	Percentage of Army Recuitment Quota for States and Union Territories . . .	98
6555	युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवा लेडी डाक्टरों की बदली	Transfer of Widow Lady Doctors of Military Martyrs .	98–99
6556	विदशों में भारतीय मिशनों में टेलिप्रिन्टर सेवा	Teleprinter service in Indian Missions abroad . . .	99
6557	इण्डियन स्कूल आफ फारेन लेंग्वेजेज में एशियाई भाषाओं के अध्ययन पाठ्यक्रम	Study courses of Asian Languages at Indian School of Foreign Languages . .	99–100

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6558	कलकत्ता की फर्मों द्वारा इस्पात के कोटे का दुरुपयोग	Misuse of Steel quota by Calcutta Firms . . .	100
6559	वर्ष 1971–73 के दौरान निरोध तथा अन्य गर्भ निरोधकों का उत्पादन	Production of Nirodh and other contraceptives during 1971-73	101–102
6560	स्पन्ज आयरन प्लान्ट	Sponage Iron Plants . .	102
6561	बड़े नगरों में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के पंजीकृत बेरोजगार	S. C. and S.T. registered unemployed perrons in big cities	103
6562	मेंगनीज और इण्डिया लिमिटेड को घाटा	Loss to Maganese Ore India Limited	103
6563	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मुकदमों पर व्यय	Expenditure on BCCL Court Case	103–104
6564	बैलाडिला में लोह आयस्क के उत्पादन की लागत	Production cost of Iron Ore at Bailadila . . .	104
6565	पश्चिम बंगाल श्रम सलाहकार बोर्ड द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के कर्मचारियों एमं पत्रकारों को भुखमरी से बचाने का अनुरोध	West Bengal Labour Advisory Board Requests to save employer's and Journalits of Local Dailies from Hunger Death	104–105
6566	अमरीका और ब्रिटन के बीच डिएगो गार्शिया द्वीप सम्बन्धी समझोते की समीक्षा	Review of agreement between U.S.A. and Britain on Diego Garcia Island . . .	105
6567	पुरुष की नसबन्दी पर व्यय	Cost of Sterilisation of Male .	105
6568	हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डे के बारे में पाकिस्तानी समर्थन का अमरीकी दावा	U.S. claim of Pak support on Naval Base in Indian Ocean	105–106
6569	ट्रक्टरों के मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for increase in price of Tractors	106
6570	विभिन्न देशों द्वारा गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्त स्वीकार करना	Acceptance of Principle of Nonalignment by various countries . . . . -	106
6571	हिन्द महासागर में अमरीका, चीन और रूस के नौसैनिक अड्डे	Naval Bases of America China and Russia in Indian Ocean	107
6572	अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बंगला देश को सदस्य बनाना	Membership to Bangladesh by International Organisations	107–108
6573	खान श्रमिकों के लिए उच्च अध्ययन के प्रबन्ध	Advanced Study arrangements for Mine workers . . .	108
6574	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को हानि	Loss to Bharat Coking Coal Ltd.	109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6575	राज्यों में चुनाओं के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा वायुसेना के वायुयानों में की गई उड़ाने	Flights undertaken by Prime Minister in IAF Planes during Elections in States . .	109
6576	जाली कार परमिट कांड	Forged car Permit Case .	110
6577	विशाखापत्तनम नौसनिक प्रतिष्ठान के आकस्मिक सिविलियन कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करना	Regularisation of Services of Casual Civilian Employees of Visakhapatnam Naval Establishments . . .	110
6578	हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाइज यूनियन, दुर्गापुर द्वारा ज्ञापन	Memorandum from Hindustan Steel Employees Union, Durgapur	111
6579	बोकारो इस्पात संयंत्र के निवृत्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा लगाए गए आरोप	Allegations made by Outgoing Managing Director, Bokaro Steel Plant . . .	111
6580	औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए "इन्टेक" के सचिव द्वारा तैयार किया गया सूत्र	Secretary INTUC Formula to Improve Industrial Relations.	111-112
6581	इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन यूनिटों के मुख्य कार्यकारी अधिकारिओं के साथ मंत्री की बैठक	Minister's Meeting with Chief Executives of Units under Ministry of Steel and Mines	112
6582	अमरीकी सहयोग से वाणिज्यिक मोटर वाहनों का निर्माण	Manufacture of Commercial Vehicles with US Collaboration . . .	112
6583	गियाना में भारतीय सहायता से इस्पात संयंत्र स्थापित करना	Steel Plants in Guyana with Indian Help . . .	113
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—	Re. Question of Privilege—	
	न्यू फ्रेन्डस को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिन्ग सोसायटी के बारे में वक्तव्य	Statement on New Friends Co-operative House Building Society	113-115
	सभा पटल पर रखें गए पत्र	Papers Laid on the Table .	115-116
	प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
	51 वां प्रतिवेदन	Fifty First Report . .	117
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
	109 वां तथा 110 वां प्रतिवेदन	Hundred and Ninth and Hundred and Tenth Reports	117
	पांडिचेरी के संचित निधि से व्यय के प्राधिकरण के बारे में राष्ट्रपति का आदेश सभा पटल पर रखा गया	President's Order in regard to authorisation of expenditure out of consolidated Fund of Pondicherry—Laid on the Table	117-123
	पांडिचेरी बजट, 1974-75—	Pondicherry Budget, 1974-75—	
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan .	123

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अनुदानों की मांगें, 1974-75—	Demands for Grants, 1974-75—	
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग—	Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture—	
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurual Hasan .	124–129
इस्पात और खान मंत्रालय—	Ministry of Steel and Mines—	
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . . .	130–132
श्री राम नारायण शर्मा	Shri R.N. Sharma . .	132–133
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G.P. Yadav . .	133–134
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
39 वाँ प्रतिवेदन	Thirty-Ninth Report . .	134
मूल्यों और कृषि उत्पादन सम्बन्धी नीति के बारे में संकल्प—	Resolution Re. Policy Regarding Prices and Agricultural Production—	
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury .	135–137
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh .	137–138
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur . .	138–139
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen . .	139
सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Contempt of the House	140–146

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरूवार, 11 अप्रैल, 1974/21 चैत्र, 1896 (शक)
Thursday, April 11, 1974/Chaitra 21, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मजदूर संघ अधिनियम का संशोधन

*647. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस आशय के प्रतिबन्ध की व्यवस्था करने के लिए मजदूर संघ अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिससे राष्ट्रीय आपात स्थिति और संकट की परिस्थिति के अलावा अन्य स्थितियों में श्रमिकों से प्राप्त अंशदान और धन का उपयोग केवल उनके संगठन से सम्बन्धित श्रमिकों और सदस्यों के लिए ही किया जा सके ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : ट्रेड यूनियन अधिनियम में केवल वे प्रयोजन निर्धारित किए गए हैं जिनके लिए कि पंजीकृत ट्रेड यूनियनें अपने सदस्यों के लाभ हेतु अपनी सामान्य धनराशियां खर्च कर सकती हैं और यह उनका काम है कि वे इन धनराशियों का उपयोग, जैसा वे सर्वोत्तम समझे, करें। औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक विस्तृत विधान विचाराधीन है, जिसमें ट्रेड यूनियनों से संबंधित उपबन्ध शामिल होंगे ।

श्री के० मालन्ना : क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि श्रमिक संघों से चंदे और अन्य राशि के रूप में काफी धन इकट्ठा किया जाता है और धनराशि का लेखा नहीं रखा जा रहा तथा धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा जिनका उल्लेख श्रमिक संघ अधिनियम में नहीं किया गया है, जैसा कि राजनीतिक फंड, चुनाव फंड, अवैध हड़तालों के लिए फंड आदि ? यदि हाँ, तो फंड के अवैध उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

श्री बाल गोविंद वर्मा : माननीय सदस्य यह जानते हैं कि स्वयं अधिनियम में कुछ विशेष उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है और श्रमिक संघों द्वारा उन उद्देश्यों के लिए राशि व्यय की जा सकती है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान धारा 15 और 16 की ओर दिलाना चाहता हूं। धारा 15 के अन्तर्गत श्रमिक संघ मजदूरों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए व्यय कर सकता है। धारा

16 के अन्तर्गत उनके अपने सुधार के लिए फंड इकट्ठा करने की व्यवस्था की गई है। इसे आप राजनीतिक फंड भी कह सकते हैं। श्रमिक संघ विधान सभा तथा स्थानीय प्राधिकरणों आदि के चुनाव में खड़े अपने उम्मीदवार के लिए राशि व्यय कर सकता है। यदि श्रमिक संघ धनराशि का दुरुपयोग करते हैं और अपने लेखें प्रस्तुत नहीं करते तो श्रमिक संघों का रजिस्ट्रार उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है (**व्यवधान**) सरकार का इस बीच कोई काम नहीं है।

श्री के० मालन्ना : अवैध कार्यों के लिए राशि के उपयोग के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के श्रमिक संघों तथा वर्कर्स फेडरेशनों ने धनराशि का दुरुपयोग किया है? हाल ही में मैसूर में पैलेस वर्कर्स के श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने काफी धनराशि इकट्ठी की और इसका दुरुपयोग किया। इस श्रमिक संघ के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। धनराशि के दुरुपयोग के कितने मामले सरकार की जानकारी में लाए गए है?

अध्यक्ष महोदय : आप वही प्रश्न दोहरा रहे हैं।

श्री बालगोविंद वर्मा : हम माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मामले की जांच करेंगे।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, It appears that anti labour attitude of the Government these days has resulted into contemplation by the Government to impose ban on Collection of political funds by trade unions. I would like to know whether trade unions have no right to collect political fund to safeguard their interest and whether Government contemplate to impose ban on their right? If funds are misappropriated, an action can be taken by the Registrar under the provision of Trade Union Act regarding maintainance of accounts. I want a clear assurance from the hon. Minister that nothing wrong will be done.

Shri Balgovind Verma : Section 15 and 16 are quite clear in this regard. We have no intention to impose restriction on collection of political fund by trade unions.

Shri Ram Singh Bhai : Under Trade Unions Act, every Trade Union has a right to collect political fund but some of the trade unions have used the annual contribution fund for political use. What action has been taken in this regard?

Shri Balgovind Verma : We have no information in this regard. If hon. Member brings into our notice a case, we will certainly look into it.

Shri Nathu Ram Ahirwar : May I know whether Government have received such complaints that no receipt is issued to the workers for the contribution collected from them; if so, whether Government will take any action in this regard?

Shri Balgovind Verma : We have no such information. If hon. Members bring to our notice any such case, we will certainly look into it.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन

\+
***648. श्री प्रसन्न भाई मेहता** :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुर्नगठन संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया की स्थापना हो जाने से हिन्दुस्तान स्टील लि० के पुनर्गठन का प्रश्न विचराधीन है और इस बारे में शीघ्र ही फैसला हो जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या यह सच है कि 74 लाख की लागत से बना हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र प्रबन्धक वर्ग के उपेक्षापूर्ण और कठोर रवैये के परिणामस्वरुप गत माह से हड़ताल के कारण बन्द पड़ा है? क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लमिटेड के विभिन्न एककों में औद्योगिक सम्बन्ध तनावपूर्ण हैं? क्या इसके परिणामस्वरुप सरकार इस कम्पनी के पुनर्गठन पर विचार कर रही है?

Shri Sukhdev Prasad: The suggestion of re-structuring Hindustan Steel Limited was given long ago and as I have already told, the question is under consideration. An hon. Member has asked about strike and labour relations. If he gives due notice, we shall be pleased to give information.

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या माननीय मंत्री ने इस मामले पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विभागाध्यक्षों से बात की है? यदि हां, तो मंत्री महोदय ने क्या सुझाव दिए तथा क्या निर्णय किए गए?

श्री सुखदेव प्रसाद : समिति का गठन किया जा चुका है और यह मामले की जांच कर रही है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : कार्य की भारी प्रणाली, प्रशासन अथारिटी आफ इण्डिया तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सम्बन्धों में अनुकूलता लाने के बारे में मंत्रालय में लगातार सोच विचार हो रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नियंत्रक कम्पनी की स्थापना इस्पात मिलों के ऊपर नियन्त्रण रखने के लिए की गई है, इस्पात उद्योग के सम्पूर्ण कार्यकरण का पुनर्गठन आवश्यक है। ये सब प्रश्न सरकार के सामने हैं।

Shri Damodar Pandeya: The matter of restructuring Hindustan Steel Limited seems to me paradoxical. On the one side Government say that a separate company will be formed for separate plant after dismantling Hindustan Steel Limited and on the other side Government are forming separate company which will control all the plants. By restructuring Government thinks that more assistance should be given to various units to enable them to work more and on the other side Government wants to establish a different cell comprising of all the companies. This is not clear. Government should make it clear whether they want that the various companies to function as an independent unit or to give HSL a shape of big company or cell?

Shri K. D. Malviya: The basic criterion of restructuring will be aimed to see that small steel mills all entitled to work to a great extent and on the basis of decentralisation we would allot the Government's work to them as much as possible. But in order to establish co-ordination and to excercise supervision and to see the implementation of Government policies, it is absolutely necessary to have a controlling organisation.

श्री जी० विश्वनाथन : मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद, क्या मंत्री महोदय यह अनुभव करते हैं कि विशाल संगठन स्टील अथारिटी आफ इण्डिया अत्यधिक बोझिल हो गया है और क्या मंत्री महोदय इसको समाप्त करने के पक्ष में है? यदि हाँ, तो उनके पास क्या विकल्प है?

श्री के० डी० मालवीय : नियन्त्रक कम्पनी के किसी विकोप का कोई प्रश्न नहीं है। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का गठन काफी अनुभव तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा अलग-अलग एककों के कार्यकरण के बाद किया गया है। एकीकृत या अलग कार्यकरण के लिए स्थापित किए गए अनेक एककों की उपयोगिता और लाभदायिता की जांच की जा रही है। सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहती है कि कार्यरत एककों तथा समन्वयकारी एककों के बीच सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए पुनर्गठन कितना सहायक हो सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या पुनर्गठन का कार्य इस प्रकार से किया जाएगा कि नियन्त्रक कम्पनी न केवल हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा सरकारी क्षेत्र के लौह तथा कोकिंग कोल खनन एककों में सभी सरकारी शेयर लगाने का साधन बनेगी बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात सयंत्रों के शेयरों के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थानों की ओर से प्रभावकारी एजेन्सी के रुप में कार्य करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : ये सभी विचार सरकार के सामने है। इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि सदस्य मुझसे यह अपेक्षा नहीं करेंगे कि मैं सभी कार्यकरणों के बारे में बताऊं।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : मैं जानना चाहता हूं कि किस बात से प्रेरित होकर मंत्री महोदय स्क्रैप का आयात करना चाहते हैं। क्या हमारे देश में पर्याप्त स्क्रैप उपलब्ध नहीं है ? यदि हमारे देश में स्केप उपलब्ध है तो वह बाहर से इसका आयात क्यों करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the attention of the hon. Minister has gone to the criticism published in some papers that Shri Malaviya has dissipated the work done by Late Shri Mohan Kumar Mangalam ? Has his attention gone to the remark that there is no specific policy in regard to Hindustan Steel Limited and the policy change with every new Minister?

Shri K. D. Malaviya : First of all, I would like to inform the hon. Member that policy of Late Shri Mohan Kumar Mangalam is not being dissipated in any sense and the hon. member is labouring under utmost confusion. He might have read this news in the paper in which he has great interest.

Shri Chandrika Prasad : The hon. Minister has just stated that a cell will be created as umbrella of steel mills. May I know what will be the function of the Ministry and also function of umbrella like cell ? If both will continue. . . . . . (*Interruptions*)

Shri K. D. Malaviya : It has been rightly pointed out by some one that the Minister is overall incharge.

जवानों के वेतन और भत्तों में वृद्धि

*650. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में मूल्यों में हुई सामान्य वृद्धि के अनुसरण में सशस्त्र सेनाओं और विशेषकर जवानों के वेतन और भत्तों में पर्याप्त वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के वेतन और अन्य परिलब्धियों में कितनी वृद्धि की गई है या की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अप्रैल 1970 में स्थापित तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वियन होने तक सशस्त्र सेना कार्मिकों को तत्काल राहत देने के लिए समय-समय पर कतिपय वृद्धियां स्वीकृत की गई हैं उनके संक्षिप्त ब्यौरे निम्नांकित हैं :—

(1) तृतीय वेतन आयोग की अन्तरिम रिपोर्टों के आधार पर केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारियों को जिन दरों पर और जिन तारीखों से अंतरिम राहत की मंजूरी की गई थी उन्हीं दरों पर और उन्हीं तारीखों से अंतरिम राहत की तीन किस्तें मंजूर की गई थीं।

(2) वेतन आयोग द्वारा परिलब्धियों की संरचना का सारा पुनरीक्षण होने के समय तक सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को उन कठिन स्थितियों में सुधार करने के लिए जिन में से रक्षा सेनाओं को लम्बे समय तक कार्य करना होता हैं, पहली सितम्बर 1970 से नकद और वस्तुओं के रूप में निम्नलिखित लाभ स्वीकृत किए गए थे :—

(क) अफसर

(1) किट अनुरक्षण भत्ता में 40 रु० से 50 रु० प्रति मास की वृद्धि;

(2) विशेष विक्षोभ भत्ते 30 रु० से 45 रु० प्रति मास की वृद्धि;

(3) हर सात वर्ष के पश्चात नवीकरण परिधान भत्ता में 1000 रु० से 1200 रुपए की वृद्धि;

(4) सेना नर्सिंग सेवा के अफसरों को वार्षिक अनुरक्षण भत्ते में 240 रु० से 360 रु० की वृद्धि;

(5) कर्नल पद और उससे ऊपर के अफसरों की फार्म "डी" यात्रा रियायतों का विस्तार।

(ख) अफसरपद से नीचे के कार्मिक

अधिक ऊंचाई/विशेष प्रतिपूर्ति/वस्त्र भत्ता और नौसेना जहाजों में जहां सोने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती, वहां रहने और सोने के लिए अफसरों के भत्ते में 4 रु० प्रति मास की वृद्धि।

(3) मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को अस्थायी रूप से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की दो किस्तों उन्हीं दरों और उन्हीं तारीखों से ग्राह्य है जिन दरों और जिन तारीखों से वह केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारियों को ग्राह्य हैं। महंगाई भत्ते में आगे और वृद्धि के बारे में आदेश असैनिक आदेशों के आधार पर तब जारी किए जाएंगे जब संशोधित वेतनमान लागू कर दिए जाएंगे।

2. सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतनमानों के बारे में यह है कि उन्हें तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों, असैनिक कर्मचारियों के बारे में सरकार द्वारा पहले ही किये गए निर्णयों और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाएगा। इस प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की संभावना है। कोई निर्णय हो जाने तक, सशस्त्र सेनाओं में अफसर पद से नीचे के कार्मिकों

को तत्काल राहत देने के लिए, वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से जो बकाया देय होगा इसके प्रति "खाते से" (आन एकाउन्ट), निम्नलिखित दरों पर एक मुश्त अदायगी स्वीकृत की गई है :

पद	धन राशि (रुपए)
(1) बोयाज	75
(2) सामान्य प्रवेश दरों पर रंगरूट	100
(3) मैट्रिक प्रवेश दरों यंग जवानों एपरेंटिसों और प्रशिक्षणाधीन सामान्य सीमेन विमान प्रशिक्षणाधीन एपरेंटिसों और वायु सैनिकों को	150
(4) एन सीज ई, सिपाही और समकक्ष	150 से 200
(5) नायक और समकक्ष	250 से 350
(6) हवालदार और समकक्ष	300 से 450
(7) नायब सुबेदार, सुबेदार और समकक्ष	325
(8) सुबेदार मेजर और समकक्ष	500
(9) आनरेरी कैप्टन, आनरेरी लेफ्टनेंट और समकक्ष . . .	700

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, Sir, the question asked was that whether the salaries and allowances of the Defence forces and particularly the families of Jawans have been raised sufficiently to neutralise fully the general rise in prices in the country and whether Government propose to give some special facility to the Jawans as their position has not improved by giving them interim relief keeping in view of the recommendations of third Pay Commission as that of civilian government employees, because the Jawans have got no chance for getting some illegal income like bribery etc. which other civilian staff can have chance to get?

Shri Vidya Charan Shukla : Sir, detailed information has been given by me about the amount of the interim relief sanctioned to them. So far as the taking of final decision is concerned, we have prepared a detailed paper in this regard for the consideration of the cabinet and it is under the consideration of the cabinet and I hope that when this would be approved by the cabinet, the requirements of our Jawans of the armed forces would be met sufficiently according to our resources.

Shri Bhogendra Jha : Whether the rise in prices have been naturalised whatever has been given so far, as been given for neutralising only.

Shri Vidya Charan Shukla : As I have said that whatever increment is being given to them, is being given keeping in view of this fact. If there has been no increase in prices, the question of increment does not arise.

Shri Bhogendra Jha : Still the military rules of the British time, are being followed according to which the relationship between the military officers and the Jawans is being maintained on the same old lines where a Jawan cannot take meals with any officer, he can play and reside with any officer. Whether the Government propose to amend these rules ? Facilities of the democratic system should be given to them. More promotions avenue should be created for the Jawans. At least 50 percent of the officers' posts should be filled from Jawans by promotion and the direct recruitment should not be the maximum. I want to know the views of the Hon'ble minister in this regard.

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, Sir, the question raised is a big one and it is not relevant with the main question.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बिल्कुल विशेष प्रश्न था। अब आपका अनुपूरक प्रश्न सरकार की व्यापक नीति के बारे में पूछा गया है। इस का एक भाग का ही जो मुख्य प्रश्न से संबंधित है, मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान् जी, संगति अथवा विसंगति का निर्णय आप ने करना होता है। मैं व्यक्तिगत रुप से यह महसूस करता हूं कि यह विशेष प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है यद्यपि उचित है और पूछा जा सकता है, तो भी इसका मुख्य प्रश्न से कोई भी संबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नह है। मैंने यह बात उन्हें बता दी है।

श्री रणबहादुर सिंह : देश में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुये विवरण से यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि सरकार उन पेंशनरों के बारे में क्या कर रही है जिन्हें पहले ही बहुत कम राशि दी जा रही है और जिन्हें समान रूप से कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उस पर भी विचार किया जा रहा है।

श्रीराम सहाय पांडे : सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह बताया गया है:—

"मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को अस्थायी रुप अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दो किस्ते उन्हीं दरों और उन्हीं तारीखों से ग्राह्य है जिन तारीखो और दरों से वह केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारियो को ग्राह्य हैं..."

इस में आगे कहा गया है:—

"महंगाई भत्ते में आगे और वृद्धि के बारे में आदेश असैनिक आदेशों के आधार पर तब जारी किये जायेंगे जब संशोधित वेतनमान लागू कर दिये जायेंगे"।

क्या मैं यह जान सकता हूं कि नये वेतनमानों को कब लागू किया जायेगा?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम इसे शीघ्र लागू करने का प्रयास कर रहे है।

पश्चिम एशिया के अत्यधिक तेल वाले देशों के साथ आर्थिक सम्बन्ध

†

*652. **श्री हरी किशोर सिंह** :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया के अत्यधिक तेल वाले देशों के साथ आर्थिक सहयोग के नये प्रस्तावों पर तत्परता से विचार करने के सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर समन्वय का अभाव वांछित दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति के मार्ग में मुख्य बाधा है; और

(ख) क्या इस अभाव का कारण यह है कि किसी एक विभाग को तत्परता से अनुसरणात्मक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरी किशोर सिंह : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : इस देश और पश्चिम एशिया के देशों के बीच आर्थिक सौदों की बात चीत में कम से कम 6 या 7 मंत्रालय, अर्थात वाणिज्य मंत्रालय, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, इस्पात और खान मंत्रालय, औद्योगिक विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय पृथक रूप से संबंधित हैं।

यह बात तो समझ में आती है कि एक अथवा दूसरे चरण पर इन मंत्रालयों से परामर्श करना होता है। किन्तु सरकार से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि ये सभी मंत्रालय अपने ही प्रयासों से समन्वय करने में समर्थ हो जायेंगे। क्या सरकार एक एजंसी गठित करने के बारे में नहीं सोच रही है या क्या वह कम से कम एक मंत्रालय एक एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने के बारे में विचार कर रही है जो उचित रुप से इसे निपटा सकती है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह एजेंसी पहले ही है। यह विदेश मंत्रालय में आर्थिक डिविजन है। यह समन्वय संबंधी सभी कार्य करती है और कार्य बहुत ही संतोषजनक ढंग से हो रहा है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा उठे...

अध्यक्ष महोदय : केवल एक प्रश्न पूछा जाना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि परम्परा के विपरित कोई बात हो। यदि प्रथम सदस्य एक प्रश्न भी नहीं पूछता है, तो हम इस बारे में पुर्नविचार करेंगे कि दूसरा सदस्य कितने प्रश्न पूछें।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या मैं एक ठोस उदाहरण दे सकता हूं ? ईरान को खुदरेमुख लोह अयस्क का निर्यात करने के बारे में सौदा की लगभग बातचीत की गई थी इसमें बहुत सी अच्छी और सराहनीय बातें है। मैं इस बारे में इंकार नहीं करता। किन्तु मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। बातचीत का अन्तिम चरण हुआ ही नहीं, क्योंकि सरकार ने यह पाया कि उसके पास अपेक्षित नौवहन सुविधा नहीं है। इस बारे में नौवहन निगम से सम्पर्क स्थापित किया गया और नौवहन निगम योजना आयोग से सम्पर्क स्थापित करने के लिये समय चाहती थी कि क्या वह 30,000 टन के नौवहन की खरीदने के लिये धन की व्यवस्था करने को तैयार है। मैं इस प्रकार के समन्वय के अभाव की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार का इस बारे में क्या कहना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : श्रीमानजी क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये आपकी अनुमति मिल सकती है, क्योंकि यह इस्पात और खान मंत्रालय से संबंधित है ? प्रथम यह बात सच नहीं है कि बातचीत को अन्तिम रुप दे दिया गया है। उनको अन्तिम रुप दिया जा रहा है। उन सभी मामलों पर, जो खुदरे मुख लोह अयस्क खानों को विकसित करने के लिये दोनों देशों के बीच सामान्य समझौते के परिणामस्वरुप उठे हैं, विचार किया जा रहा है और अभी तक दोनों देशों के बीच नौवहन संबंधी सुविधाओं के अभाव के बारे में कोई भी कठिनाई अभी तक देखने में नहीं आई है। और भी कई बातें हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। अगले महीने दल यहां आ रहा है। हम इस मामले की ओर ध्यान देंगे। मेरे विचार में हमें अन्तिम रुप देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

धनबाद में कोयले का स्टाक

*653. **श्री धामनकर :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में कोयला चिन्ताजनक स्थिति की सीमा तक जमा हो गया है क्योंकि वहां इतनी मात्रा में कोयला जमा करने के लिये स्थान उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या कुछ स्थानों पर तो कोयले के ढेरों के कारण रेल यातायात में भी रुकावट का खतरा पैदा हो गया है तथा साथ ही उसमें आग लग जाने की आशंका भी ब ी हुई है; और

(ग) इस कोयले को उठवाने और उसे कोयले के संकट के कारण बन्द होने को बाध्य हुए एककों तक पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) धनबाद क्षेत्र में भारत कोकिंग कोल लि० का कोयले का स्टाक जो 1 फरवरी, 1974 को 19 लाख टन था, 1 अप्रेल 1974 को 19.77 लाख टन हो गया था । इसी अवधि में हार्ड कोक का स्टाक 250,000 टन से बढ़कर 305,000 टन हो गया । कुछ कोयला खानों में स्टाक जमा होना असुविधाजनक सिद्ध हुआ है । फिर भी रेलवे प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके इसके प्रेषण के लिए पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं ।

श्री धामनकर : यह उत्तर सबसे से अधिक टालने वाला और विश्वास न दिलाने वाला है । हमें वक्तव्य से पता चला है कि मुश्किल से कोयले के स्टाक में 77 हजार टन की वृद्धि हुई है और हार्ड कोक के स्टाक में मुश्किल से 50,000 टन की वृद्धी हुई है । किन्तु वहां कोयला इतना अधिक जमा हो जाता है कि काम करना भी सम्भव नहीं हो पाता और वास्तव में एक कोयला-खनिक की मौत बिजली की चालू तार से हो गयी है । इन परिस्थितियों में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय तथा इस्पात और खान मंत्रालय के बीच कोई समन्वय है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस्पात मंत्री इस्पात मंत्रालय की ओर से माल डिब्बों को प्रबन्ध करके कोयला की ढुलाई करने का प्रयास कर रहे है, क्या ऐसा करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

श्री सुबोध हंसदा : इस मामले में रेल मंत्रालय तथा इस्पात और खान मंत्रालय के बीच पूरा समन्वय है । किन्तु यह प्रश्न माल डिब्बों के आवंटन का है । हमें उत्पादन केन्द्र से उपभोक्ता केंद्र के लिये कोयला ले जाने के लिये काफी संख्या में माल डिब्बों की आवश्यकता है । किन्तु दुर्भाग्य-वश माल डिब्बे उपलब्ध नहीं थे और इसी कारण स्टाक जमा हो गये थे । केवल यह भी नहीं, डीजल तेल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण सड़क के मार्ग से ढुलाई में भी कमी हो गयी है । अतः जमा स्टाक क्रमशः बढ़ गया है ।

श्री धामनकर : समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से पता चलता है कि भाटिया कोयला क्षेत्रों में एक खनिक की मौत बिजली की तार छू जाने से हो गयी थी । क्या मैं यह जान सकता हूं कि उस श्रमिक को मुआवजा देने के लिये इस्पात और खान मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है और ऐसे क्या प्रबन्ध किये गये है जिससे इस प्रकार की घटनायें पुनः न हो ?

श्री सुबोध हंसदा : यह बिलकुल भिन्न प्रश्न है ।

Shri Jagannath Mishra: The Hon'ble Minister has admitted that stock of coal has been accumulated, but Divisional Superintendent, Dhanbad has said that the movement has been going on unhampered and an official of Bharat Coking Coal Limited has said that the movement of coal has been badly affected due to shortage of wagons. Keeping in view of this I want to know from the Hon'ble Minister that what can be the reason for the accumulation and whether there is any coordination between the production and the demand? If there is coordination, what is the reason for this accumulation? Please let me know the names of the units which have closed due to shortage of coal alongwith the location thereof and the total amount of loss incurred to them due to their closure?

श्री सुबोध हंसदा : माननीय सदस्य जानते हैं कि नवम्बर, 1973 के महीने में भी कुछ रेल कर्मचारी में अनुशासनहीनता की भावना पैदा हो गयी थी और पूर्वी डिविजन में हड़तालें हुई थीं । केवल

यही नहीं फरवरी के महीने में भी गाड़ी 'परीक्षकों' ने भी हड़ताल कर दी थी और उस कारण से पूर्वी क्षेत्र से कोयले की ढुलाई नहीं की जा सकी और इसलिये क्रमशः यह जमा होता गया।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट हो गया है कि 1 फरवरी को मुहानों पर कोयले का स्टाक 19 लाख टन था और 1 अप्रैल को कोयले का स्टाक 19.77 लाख टन हो गया था। इसलिये हम देख रहे हैं कि हम कोयले को धनबाद क्षेत्र के मुहानों से इधर उधर भेज देने के प्रयासों के बावजूद भी 60 दिनों के दौरान काफी मात्रा में 77,000 टन तक कोयले का स्टाक जमा हो गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में कोयले का दैनिक उत्पादन क्या है और क्या यह 1 हजार टन से अधिक है और उस क्षेत्र से प्रति दिन कितना कोयला भेजा जाता है। फिर भी 60 दिनों के दौरान 77,000 टन कोयले का स्टाक जमा हो गया है।

श्री सुबोध हंसदा : मेरे पास दैनिक उत्पादन के संबंध में आंकड़े नहीं हैं, किन्तु मेरे पास मासिक उत्पादन के आंकड़ें हैं अर्थात प्रतिमास उत्पादन 13.56 लाख टन का होता है।

Shri Bhagirath Bhanwar : Sir, it has been made clear that there is no shortage of coal at coal mines. Always it is said that coal cannot be moved due to strike in railways, so the factories have been closed. I want to know from the Railway Minister that the distance between Dhanbad and Rourkela is not too much, but recently a news item was published in the newspaper that Rourkela Steel Plant has been closed and it has been told that reason for this closure is non-availability of coal. It is understandable the coal cannot be delivered to factories situated in Western parts, but what is the reason for not despatching the coal to the eastern areas.

The Minister of Steel & Mines (Shri K. D. Malaviya) : It is not correct that Rourkela Steel Plant has been closed. Moreover Bhilai Plant also has not been closed. But it is a fact that these plants are not getting coal according to their requirements and so it is proper for us to put blame on one Ministry or one department for this. We are trying our utmost to solve the present difficulties such as strikes, so many tensions in the society, can be removed by increasing the production. The Government, whether it may be the Labour Ministry or it may the Railway Ministry or it is our Ministry, are trying their utmost to solve that tensions. I want to clear this point that unless the efficiency of the department and workers of all the places for our movement is not improved, the production cannot be increased considerably.

Dr. Laxminarain Pandeya : May I know whether the Hon'ble Minister is aware that like Dhanbad the coal has been accumulated in a very large quantity in Chirmini and Vishrampur coal mines in Madhya Pradesh and you have been informed by the people there that if coal is not cleared from there is time, there is possibility of breaking out of fire there. Even if some water falls on it, what efforts have been made by you for immediate removal of the coal ?

Shri K. D. Malaviya : It is a fact that a large quantity of coal has been accumulated and the fire may break out at many places due to pressure and friction of coal, but Government always tries their utmost, but some times the pace of movement of the coal is accelerated and sometimes it is stopped. I have explained the reasons for the same.

Shri Bhogendra Jha : We also know that coal has been accumulated at coal-mines and now the question has arisen that where it should be kept. The reasons for this are that wagons are not available but at present there is no strike in the Railways, so there should be no difficulty in getting wagons. The running of trains has been cancelled due to non-availability of coal. I am just coming from Samstipur Division. In Samstipur-Jainagar line the running 3 out of 4 trains has been cancelled as coal is not available there. The trains are not running due to

non-avaliability of coal and the coal has beeen accumulated due to non-availability of trains. In these circumstances I want to know whether it is a fact that the coal is being distributed through the old owners of the coalmines and they take small quantity of coal deliberately so that they may earn huge profits by selling it at higher prices and they have been assured by the higher officials in this regard. It is not known whether the officers of the Ministry are also included in these high officials. If there is a crisis of coal shortage and there is discontentment among the people, the coalmine would be nationalised and these would be handed over to the old mines-owners. So, I want to know whether the Government are ready to take steps like the acquisition of trucks for the movement of coal to Bihar, Bengal and any other place to the maximum extent?

Shri K. D. Malaviya: Perhaps the railway employees might not gone on constitutional strikes, but there have been small illegal strikes in the railways, whether their leaders want them or not. I think that the people of the lower categories have been going on strikes and they are not under the influence of All India Unions. It is fact that the coal is being delivered, because the people are everywhere doing arbitriraly whatever they like. The Government have never thought over the matter of requisition of trucks etc., because we would also have to incur heavy expenditure on diesel oil and the diesel oil is very costly. Therefore, the Hon'ble members would have to consider this aspect also.

Shri Bhogendra Jha: I had asked that whether the coal is being distributed through the old mine-owners and they deliberately take the supply of the coal in small quantity.

Shri K. D. Malaviya: I think that it is not the practice, if anywhere it is being done, I would inquire into it and see to it.

अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त करना

†

***654. श्री अर्जुन सेठी :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र के अनुसार अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् ने उनके मंत्रालय से यह सिफारिश करने का निर्णय कर लिया है कि देश में 10 गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों में से 9 कालेजों की मान्यता समाप्त कर दी जाए और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या उन कालेजों ने न केवल स्वीकृत संख्या से दुगने विद्यार्थियों को दाखिला दिया बल्कि उनके पास अतिरिक्त सीटों के लिये सुविधाएं भी नहीं थीं ;

(ग) क्या एक सीट के लिये 'दान' के रूप में 35,000 रुपयों के चेक लिये जाते हैं ; और

(घ) इन दोषी कालेजों के विरूद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (घ) सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) कुछेक समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार छपे थे जिनमें निम्नलिखित नौ मेडिकल कालेजों (दो सरकारी और 7 गैर-सरकारी) की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश करने के बारे में मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के निर्णय का जिक्र किया गया था :—

आन्ध्र प्रदेश :

(1)	रंगराया मेडिकल कालेज, ककीनडा . . .	गैर-सरकारी
(2)	काकातिया मेडिकल कालेज, वारंगल . . .	तदेव

कर्नाटक :

(3)	बंगलोर मेडिकल कालेज, बंगलोर . . .	सरकारी
(4)	मेडिकल कालेज, बेलारी	तदेव
(5)	कस्तुरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल . .	गैर-सरकारी
(6)	मेडिकल कालेज, गुलबर्गा . . .	तदेव
(7)	जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव . . .	तदेव
(8)	जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवनगिरि . . .	तदेव

महाराष्ट्र :

(9)	डा० वी० एम० मेडिकल कालेज, शोलापुर (महाराष्ट्र सरकार ने इसे हाल ही में अपने हाथ में लिया है)	प्राइवेट

(ख) यह बताया गया था कि उपर्युक्त मेडिकल कालेजों को जितने छात्रों को दाखिल करने की अनुमति थी उन्होंने उससे अधिक संख्या में छात्र दाखिल कर लिये हालांकि अतिरिक्त छात्रों के लिए उनके पास समुचित सुविधाएं नहीं थीं।

(ग) सरकारी कालेज कोई कैपिटिशन फीस (प्रति व्य.वि. शुल्क) अथवा दान नहीं लेते है। वैसे कुछ प्राइवेट मेडिकल कालेज कपिटिशन फीस लेते है और इनमें से कुछेक दान भी लेते है। अलग-अलग, कालेजों में अलग-अलग रकम ली जाती है।

(घ) समाचार पत्रों में यथासूचित भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिश भारत सरकार की अभी-अभी मिली है। संबंधित राज्य सरकारों और विश्व विद्यालयों से परमार्श कर इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अर्जुन सेठी : विवरण में बताया गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिश, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, भारत सरकार को हाल ही में प्राप्त हुई है। इस पर राज्य सरकारों और सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से बातचीत करके विचार किया जायेगा। सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श कर के इस पर विचार किया जा रहा है।

जब सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् के प्रतिवेदन पर विचार कर रही है तब कालेजों को मान्यता देते समय क्या सरकार छात्रों के हितों और भविष्य पर भी विचार करेगी। मैं यह बात भी जानना चाहता हूं कि क्या इन मेडिकल कालिजों में निर्धारित सीमा का उल्लंघन करके भी छात्रों के दाखले किये गये और क्या भारतीय चिकित्सा परिषद को इस तथ्य का पता है।

डा० कर्ण सिंह : उनके प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब इस मामले पर विचार किया जायेगा, छात्रों के हितों को अवश्य ध्यान में रखा जायेगा उनके प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं। भारतीय चिकित्सा परिषद् को विभिन्न सम्बद्ध विचारों पर ध्यान देना चाहिए था।

श्री अर्जुन सेठी : मेरे प्रश्न के दूसरा भाग यह है । क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् को इस तथ्य का पता है कि मेडिकल कालेज छात्रों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक कर देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या संख्या वृद्धि चिकित्सा परिषद् की जानकारी से अथवा जानकारी के बिना की जाती है ?

डा० कर्ण सिंह : चिकित्सा परिषद् ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये अपनी सिफारिशें की हैं।

श्री अर्जुन सेठी : मेरा दूसरा अनुपुरक प्रश्न यह है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तीसरा है । ठीक है मैं आपको एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमती देता हूं ।

श्री अर्जुन सेठी : समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि मेडिकल कालिजों को एक स्थान के लिये 35,000 रुपये की राशि मिलती है । इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के मेडिकल कालिजों पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है । क्या सरकार इस स्थिति में है कि भविष्य में वे इस बात का ध्यान रखे कि य मेडिकल कालिज इतना रुपया न लें ।

डा० कर्ण सिंह : सूची में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के कालिज हैं । सरकारी कालिज कोई कैपिटिशन फी नहीं लेते जहां तक गैर-सरकारी कालिजों का सम्बन्ध है कैपिटिशन फी लिय जाने के के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । जो कालिज कैपिटिशन फी लेते हैं उन कालिजों के कार्य को विनियमित करने के लिय हम विधेयक लाने का विचार कर रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुये इस सम्पूर्ण मामले पर बड़ी सावधानी से विचार करना है ।

डा० महिपतराव मेहता : जहां तक जामनगर मेडिकल कालिज का प्रश्न क्या सरकार मान्यता की मांग पर फिर से विचार करेगी अथवा नहीं ?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक जामनगर मेडिकल कालिज का सम्बन्ध है भारतीय चिकित्सा परिषद् ने इस समय केवल उसके बारे में ही कोई सिफारिश नहीं की है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने पूरा विवरण पढ़ा है क्या यह बड़ा रुचिकर तथा दुखद हैं । दो सरकारी कालिज हैं . . .

एक माननीय सदस्य : तीन ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं अपने आपको विवरण तक ही सीमित रख रहा हूं । विवरण में बताया गया है कि कर्नाटक के दो कालिज इस मामले में अन्तर्ग्रंत हैं । महाराष्ट्र में एक था जिसे महाराष्ट्र सरकार ने अभी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है । क्या ये सरकारी कालिज भी अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक छात्र दाखिल करने के दोषी है ? मंत्री महोदय ने बताया है कि कैपिटिशन फी सरकारी कालेज नहीं लेते हैं । परन्तु क्या ये कालिज भी अधिक छात्र दाखिल करते हैं । दूसरे, जब भारतीय चिकित्सा परिषद् मान्यता न देने की बात करती है, तब क्या विश्वविद्यालयों और राज्यों से विस्तार से परामर्श करना आवश्यक है क्योंकि मैं समझता हूं कि चिकित्सा परिषद् के नहीं कहने पर विश्वविद्यालय सामान्यतया परिषद् की सिफारिश ही स्वीकार करते हैं ।

डा० कर्ण सिंह : इस मामले से सम्बद्ध दो सरकारी कालिज है और एक को हाल ही में सरकारी अधिकार क्षेत्र में लिया गया है । भारतीय चिकित्सा परिषद् के अनुसार उन्होंने भी निर्धारित से अधिक दाखले किये हैं । भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, जो इन कालिजों के कार्यों को विनियमित करता है, के अनुसार

यह प्रक्रिया है कि जब सरकार को ऐसी सिफारिश प्राप्त हो, तो हम उसे राज्यों को तथा सम्बद्ध विश्व-विद्यालयों को उनके विचार जानने के लिय भेज सकते हैं। मैंने इस मामले में राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों से सम्पर्क स्थापित किया है क्योंकि इस प्रतिवेदन से सनसनी और तनाव पैदा हो गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे स्तर सुधारने के लिये प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही करेंगे। परन्तु हम, प्रक्रिया के अनुसार जिस प्रश्न का व्यवहार कर रहे हैं वह यह है कि हम शिफारिशों को राज्य सरकारों को भेज रहे हैं, उनसे विश्वविद्यालयों के विचार जानने के लिये तथा राज्य सरकारों के विचारों सहित विश्वविद्यलयों के विचारों को यथा शीघ्र केन्द्र को भेजने के लिये कर रहे है ताकि हम मामले में प्रगति कर सकें।

बहुत से माननीय सदस्य उठे . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को किस प्रकार अनुमति दे सकता हूं . . .

श्री के० लकप्पा : भारतीय चिकित्सा परिषद् **

अध्यक्ष महोदय : चिकित्सा परिषद् के लिये ऐसी शब्दावली का प्रयोग न करें। यह अच्छा नहीं है।

श्री के० लकप्पा : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अतः आप सहमत हैं कि इस शब्द को निकाल दिया जाय।

श्री के० लकप्पा : क्योंकि कर्नाटक बहुत में मेडिकल कालिज तथा सरकारी कालिज इस मामले में अन्तर्ग्रत है और हजारों छात्र प्रभावित हैं। मैं उन छात्रों के हित में एक बात पूछना चाहता हूं आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के ऐसे कालिजों सहित जो इन कालिजों में अध्ययन कर रहें हैं, जिनके बारे में मान्यता न देने की बात कही गई है। क्या मंत्रालय ने मेडिकल कालिजों में छात्रों के प्रवेश के मामले को कई वर्षों से दबाये रखा है? भारतीय चिकित्सा परिषद् ने इस मामले पर ध्यान दिया और इन्हें मान्यता न देने की सिफारिश करके कर्नाटक में भी सनसनी फैला दी है, वहां मेडिकल कालिज के छात्रों में बड़ा असंतोष व्याप्त है। इस मामलें में किसी . . . मेरी रुचि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न है अथवा भाषण?

श्री के० लकप्पा : मैं किसी गैर-सरकारी कालिज अथवा कैपिटिशन फी लेने का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मुझे बहुत प्रसनता है कि मंत्री महोदय कैपीटिशन फी दान तथा अन्य चीजें बन्द कराने लिये कदम उठाने जा रहे हैं। इन छात्रों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये जो इन मेडिकल कालिजों में अध्ययन कर रहे हैं चिकित्सा परिषद् द्वारा सुझाई गई कार्यवाही के संदर्भ में मंत्री महोदय क्या आश्वासन देने अथवा कदम उठाने का विचार कर रहे हैं।

डा० कर्ण सिंह : इस मामले को दबाये रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें जब भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों प्राप्त हुयीं हमने उनपर तुरन्त कार्यवाही की। हम ऐसा कर रहे हैं।

छात्रों के हितों तथा कल्याण का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उल्लेख मैंने राज्योंके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई अपनी चर्चा में भी किया। वे भी बहुत चिन्तित थे। मैंने कहा था कि हमें दो बातों में सन्तुलन स्थापित करना है। एक ओर हमें छात्रों के हितों को देखना है। दुसरी ओर हमें स्तर बनाये रखना है। दोनों वातों को ध्यान में रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपने विचार से हमें अगला प्रश्न नहीं लेना चाहिये?

एक माननीय सदस्य : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : अच्छा यही है कि हम अगला प्रश्न ले। आपमें से बहुत से सदस्य उठ खड़ें हुये है।

कोल माइन्स अथारिटी और रेलवे में प्रभावी समन्वय प्राप्त करने में असफलता का समाचार

***656. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री पी० गंगा देव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल माईंस आथरिटी लिमिटेड के निदेशक कोयले के आवागमन के कार्य में रेलवे के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित रखने में असफल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मैं स्पष्ट उत्तर की आशा कर रहा था परन्तु उत्तर नकारात्मक है। क्या मंत्री महोदय को कोयला निकालने वाली एजेन्सियों तथा रेल प्राधिकारियों द्वारा दिये गये अलग-अलग वक्तव्य जिनमें अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं तथा कोयले की कमी के बारे में एक दूसरे पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लगाये गये आरोप प्रत्यारोपों के बारे में गत मास अकसर प्रकाशित हुये समाचारों का पता है ? इससे देश में विषैला वातावरण पैदा हो रहा है और विभागों के सुगतमापूर्वक चल रहे कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तथा औद्योगिक विकास प्रमाणित होती है और लोगों के मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को इस बात का पता है और यदि हां तो इस प्रकार की तालमेल उपलब्ध करने तथा भविष्य में ऐसी तालमेल न होने के लिये कोई गुंजाइश न छोड़ने तथा देश के औद्योगिक कारखानों में इतनी हानि न होने देने के लिये क्या ठोस कदम उठाने का विचार है।

श्री सुबोध हंसदा : तालमेल के इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि रेलवे में कुछ कठिनाइयां आयीं जिनका पूर्वानुमान नहीं था और जैसा कि उन्हें विदित है, उस समय रेल कर्मचारियों में थोड़ा असंतोष था जिसके कारण वैगन आ-जा नहीं सकीं जिसके कारण खानों से कोयला उपभोक्ता केन्द्रों पर नहीं आ सका।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या सरकार, तालमेल के अतिरिक्त सड़क परिवहन, बजरों द्वारा जल परिवहन, रज्जू पथ तथा पाइप लाइन आदि परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है।

श्री सुबोध हंसदा : कोयले की ढुलाई तथा वितरण के बारे में एक समिति नियुक्त की गई थी और रेलवे के समय-समय पर इसकी बैठक हो रही हैं। इसने बहुत से सुझाव दिये हैं जिन्हें कि क्रियान्वित करना है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, the shortage of coal is being experienced since after the nationalization of Coal mines. Before wagons were available, private companies some how managed to secure the wagons supply, before mines were nationalized. Private Companies used to get wagons on bribing the railway staff. But now the wagons are not available because the staff do not get any sort of bribe.

Mr. Speaker : You had asked this Question that day also.

श्री सुबोध हंसदा : वह हम से अधिक जानते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : What is the remedy?

श्री सुबोध हंसदा : हम इस बात पर ध्यान देंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai: What did he said?

Mr. Speaker : He has said that you know it better than he.

Shri Hukam Chand Kachwai: You may enquire into it. There was no trouble regarding the availability of wagons before nationalisation of Coal mines. Hon. Railway Minister has said that 7 thousand wagons are missing and the Deputy Minister Steel and Mines says that wagons are not available. This matter may be looked into.

Mr. Speaker: The hon. Minister may have the information and get it enquired.

Shri R. N. Sharma : Sir, the first question has been replied in 'no' and the second "does not arise". May I know whether the recommendations of the coordination committee have been implemented and whether the wagons for loading 300 tonnes soft coke and 2000 tonnes hard coke are allotted every day and whether 300 wagons are made available to big burners every day? I want a categorical reply to these questions?

श्री सुबोध हंसदा : कोयले की ढुलाई में कुछ कठिनाई थी और इसलिए पर्याप्त मात्रा में कोयले की ढुलाई नहीं की जा सकी । इसके साथ साथ इस्पात संयंत्रों, सीमेंट कारखानों तथा विद्युत केन्द्रों की कोयले की मांग बढ गई । हम इन बड़े उपक्रमों को कोयले की सप्लाई की स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं ।

श्री चपलेंदु भट्टाचार्य : कोयले के उत्पादन तथा ढुलाई के बीच जो अन्तर होता जा रहा है उसे ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे और हमें बतायेंगे कि यदि यह स्थिति चलती रही तो इस वर्ष के अन्त तक क्या स्थिति हो जायेगी ? यदि कोयले की ढुलाई की सम्पूर्ण समस्या के वैकल्पिक समाधान निकालने के लिए तुरन्त उपचारात्मक उपाय नहीं किये गये तो क्या दिसम्बर 1974 के अन्त तक गम्भीर परिणाम नहीं निकलेंगे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : हम स्थिति के प्रति पूर्ण रूपसे सजग हैं । हम आगामी दो महीनों में कोयले की ढुलाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार करने के लिये गम्भीर प्रयास करेंगे और खानों के मुहानों पर जमा हुये स्टाफ को उचित स्थानों पर भेजेंगे ।

श्री समर गुह : जब कभी खानों से रेलों द्वारा कोयले की ढुलाई का प्रश्न उठाया जाता है एक ही उत्तर दिया जाता है कि रेल परिवहन सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के कारण जो रेल कर्मचारियों द्वारा पैदा की गई हैं, कोयले की ढुलाई में बाधा पड़ती है । क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि रेलवे में कठिनाई के समय में तथा रेलवे के सामान्य वर्ष के समय में अलग-अलग कितनी-कितनी वैगन निश्चित स्थान पर नहीं पहुंची तथा कितनी-कितनी मात्रा में कोयले की ढुलाई हुई ।

श्री के० डी० मालवीय : जब रेलवे में कार्य सामान्य रूप से चल रहा था तक तब कोयले की ढुलाई की स्थिति आज की अपेक्षा संतोषप्रद थी । रेलवे में कुछ विशेष परिस्थिति पैदा हो जाने तथा स्थिति नियंत्रण से परे हो जाने तथा कोयले तथा अन्य वस्तुओं को ढुलाई के लिये सहयोग करने हेतु कर्मचारियों को सहमत कराने में हमारे तथा मजदूर संघ नेताओं के असफल हो जाने के कारण पिछले कुछ समय से माल की ढुलाई की स्थिति में गिरावट आयी है ।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने पूछा है कि क्या कोई मूल्यांकन किया गया है । वह कहते है स्थिति संतोषप्रद है । इसका यह अर्थ तो नहीं कि मूल्यांकन किया गया है ।

श्री के० डी० मालवीय : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह कभी नहीं सोचना चाहिये कि सरकार ने ये सभी मूल्यांकन नहीं किये हैं। सरकार स्थिति का बड़ी सावधानी से अध्ययन करती है और तुलनात्मक मूल्यांकन करती है और निष्कर्ष निकालती है जिसके आधार पर कार्यवाही करती है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : कुछ दिन पूर्व बहुत से समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि कोयले की कमी तथा वैगन उपलब्ध न होने के कारण इस्पात संयंत्रों को फिर संकट का सामना करना पड़ेगा और समाचार पत्रों की जानकारी के अनुसार बहुत सी इस्पात मिलों में केवल छः दिन का कोयला शेष है। क्या यह सच है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह सच है कि दुर्भाग्यवश इस्पात मिलों में केवल काम-चलाऊ स्टाक है। इस्पात मिलों को अधिकाधिक कोयला भेजने के लिये हम उचित कदम उठा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इस्पात की बचत करने के बारे में श्रीनिवासन समिति

***649. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनिवासन समिति ने ऐसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दिया है, जिनसे प्रति वर्ष औसतन 10 लाख टन इस्पात की बचत होगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने कौन-कौन से महत्वपूर्ण अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त सुझावों पर विचार किया है और यदि हां, तो उन सुझावों का ब्यौरा क्या है जिन्ह सरकार ने क्रियान्वयन के लिए स्वीकार किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) श्रीनिवासन समिति ने इस्पात की बचत के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय सुझाए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अल्पकालिक उपायों से 4.74 लाख टन और दीर्घकालिक उपायों से 2.8 लाख टन इस्पात की बचत होगी। इस प्रकार कुल बचत 7.5 लाख टन होती है न कि 10 लाख टन।

(ख) रिपोर्ट की प्रतियां संसद भवन पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। फिर भी महत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे दी गई हैं जिन्हें अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा :—

अल्पकालिक उपाय :

1. कोल्ड ट्विस्टेड डीफोर्मैड साधारण इस्पात की छड़ों का उत्पादन करना तथा रीइनफोर्सड कन्क्रीट स्ट्रक्चर में रीइनफोर्समेंट के लिए सादी गोल छड़ों के स्थान पर उनका इस्तेमाल करना।

2. इस्पात तथा कंक्रीट स्ट्रक्चर के डिजाइन में समुन्नत तरीके अपनाना।

3. जहां कहीं सम्भव हो वहां निर्माण कार्य के लिए दूसरी सामग्री काम में लाना जैसे स्टील स्ट्रक्चर के स्थान पर रीइन्फोर्सड तथा रीइन्फोर्सड कंक्रीट स्ट्रक्चर, रीइन्फोर्सड कंक्रीट सीमेन्ट खम्भों के स्थान पर भार सह सकने वाली ईंटों की दीवारे बनाना, छत डालने और किनारों पर चादरें आदि लगा ने के स्थान पर नालीदार चादरों के बदले एस्बस्टास की चादरें काम में लाना।

4. इस्पात कारखोंनों द्वारा रोल्ड लाइट सेक्शनों का उत्पादन ।

5. भारतीय मानक डिजाइन संहिता में संशोधन करना जिससे रीइन्फोर्सड कंक्रीट सीमेंट तथा स्टील स्ट्रक्चर के रूपांकन के लिए अनुगेय हायर स्ट्रैसिज तथा लोअर लोड फैक्टर की अनुमति हो ।

दीर्घकालिक उपाय :

1. यूज आफ कोल्ड ट्विस्टेड डिफोर्मड बारस बिद हायर प्रूफ स्ट्रैस ।
2. भवन निर्माण में लकड़ी का इस्तेमाल ।
3. ऐसे इस्पात का उत्पादन जिस पर मौसम का प्रभाव न पडे ।
4. ऐसे मजबूत इस्पात का उत्पादन करना जिसमें मिश्र धातु का योग कम हो ।
5. समानांतर फ्लैंज बीमों का उत्पादन तथा वैल्डिड बीमों का आटोमेटिक फेब्रिकेशन ।

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है । कुछ सिफारिशें कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां हैं जैसे सीमेन्ट की उपलब्धि, उपयुक्त ग्रेड की ईंटों, लकड़ी आदि की उपलब्धि और कुछ श्रेणियों के इस्पात उत्पादन में औद्योगिक कठिनाइयां । यह भी आवश्यक होगा कि रूपांकन के परिवर्तनों के बारे में की गई सिफारिशों की अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों जैसे भारतीय मानक संस्था केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा और जांच करवाई जाय ताकि इस बात का पता चल सके । व्यवहारिक रूप में इन शिफारिशों को किस हद तक अपनाना सम्भव होगा इसकी आगे जांच की जा रही है ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम का संशोधन

*651. **श्री जी० वाई कृष्णन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उजरत-दरों के आधार पर काम करने वाले श्रमिकों को उस समय हानि उठानी पड़ती है जब उन्हें पूरा काम नहीं मिलता क्योंकि मजूरी की क्षति पर उन्हें कोई वास्तविक संरक्षण नहीं मिलता ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार न्यूनतम मजूरी अधिनियम का संशोधन करने का है ताकि निर्धारित काल-दर के 80 प्रतिशत भाग को काम से हटना (फाल-बैक) मजूरी अथवा प्रत्याभूत न्यूनतम मजूरी माना जाये ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) गारंटीकृत न्यूनतम मजदूरी के अभाव में, उजरत-दर पर काम करने वाले श्रमिकों को आय की हानि होना असम्भाव्य नहीं है । यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत समुचित सरकार की हैसियत में जो, अधिसूचना जारी की हैं, उनमें मजदूरियां काल-दर के आधार पर निर्धारित की गई है और उजरत-दरों पर नहीं की गई हैं ।

(ख) इस अधिनियम की धारा 3(2) (ग) उजरती कार्य में नियोजित कर्मचारियों की दशा में लागू होने वाली पारिश्रमिक की न्यूनतम दर निश्चित करने के लिए समुचित सरकार को समर्थ बनाती है ताकि ऐसे कर्मचारियों को, समयार्थ काम के आधार पर मिलने वाली मजूरी की न्यूनतम दर अर्थात गारंटीकृत समय दर प्राप्त हो । इस प्रश्न की जांच की जाएगी कि क्या यह अधिनियम के अन्तर्गत आए सभी रोजगारों का ध्यान रख सकती है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा कर्नाटक के मेडिकल कालेजों को मान्यता दिया जाना

*655. **श्री ए० के० कोन्नाशेट्टी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् मेडिकल कालेजों को मान्यता देने के लिये किन सिद्धान्तों का पालन करती है ;

(ख) क्या कर्नाटक के सभी मेडिक कालेजों को मान्यता दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो कर्नाटक में कितने मेडिकल कालेजों को मान्यता नहीं दी गई तथा इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) स्थान, कर्मचारियों, उपकरण, प्रशिक्षण और शिक्षण के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद् ने विशेष मानदण्ड रखे हुए हैं जिन्हें किसी मेडिकल कालेज को मान्यता देने से पूर्व पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) कर्नाटक में नौ मेडिकल कालेज हैं। इनमें से तीन मेडिकल कालेजों को अभी मान्यता दी जानी है। भारतीय चिकित्सा परिषद् के अनुसार इन कालेजों में कितनी सुविधाएं होनी चाहिए उतनी हैं नहीं।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा उद्योगों को दी गई रियायतों को समाप्त करना

***657. श्री राजदेव सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उपभोक्ता एसोसिएशन ने सरकार को यह अभ्यावेदन दिया है कि गैर-कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से उद्योगों को कोयले के लिए 20 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ रहा है क्योंकि कोयला खान प्राधिकरण ने उन रियायतों को समाप्त कर दिया है जिनका फायदा उद्योग पहले उठा रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा क्या रियायतों को समाप्त करने के कारण मूल्यों में वृद्धि है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख) खानों के अधिग्रहण के समय प्रचलित कोयले के मूल्यों में कोयला खान प्राधिकरण ने कोई वृद्धि नहीं की है। किन्तु सरकारी प्रतिष्ठान की हैसियत से उसने अपनी नियत क्रियाविधि के अनुसार उन साख सुविधाओं में सुधार किया है, जो अलग अलग स्वतंत्र कम्पनियों द्वारा दी जा रही थीं। विभिन्न उद्योगों के लिए कोयले की लागत पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव नहीं है और न इसे मूल्य वृद्धि का कारण ही माना जा सकता है क्योंकि उपभोक्ता केन्द्र पर कोयले की अंतिम लागत को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं।

Coverage under E.P.F. Act in Bihar

***658. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of Labour be pleased to state :

(a) whether the work of the Provident Fund Office relating to coverage in Bihar is most unsatisfactory;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the statement of coverage for the last two years; and

(d) the steps taken by Government to step up the coverage in Bihar ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The position of coverage during the last 2 years is as follows :

Year	No. of factories/establishments covered under the Act
1972-73	90
1973-74	101

(d) The Employees' Provindent Funds and Family Pension Fund Act, 1952 applies of its own vigour and the employers have a statutory obligation to comply with the provisions of the Act from the date of its applicability without waiting for any communication from the Provident Fund Authorities. The Regional Office. however, keeps a watch to ensure that no coverable factory/establishment evades compliance of the statutory provisions. The Provident Fund Inspectors have been asked to conduct a survey to ensure that no coverable establishment is left out of the purview of the Act.

Employment given to Ex-Servicemen

***659. Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the percentage of ex-servicemen provided with employment during each of the last three years following introduction of new pre-retirement training courses for the military personnel; and

(b) the changes being effected in the training courses and the period of training so as to provide better employment opportunities to the ex-servicemen?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) The percentages of ex-servicemen provided with employment during the last three years in relation to the number of persons released from the Services and entitled to rehabilitation assistance, during the corresponding periods are as under :—

Year	Percentage
1971	59.3%
1972	31.6%
1973	23.3%(P)

NOTE :— 'P' stands for provisional. Upto-date information for 1973 is still under compilation.

No separate account is being kept of ex-servicemen who are being provided with employment after receiving training in pre-release training courses. It is not practicable to compile these figures as the subsequent employment is not necessarily related to pre-release training.

(b) Besids vocational training courses in ITIs, new courses in Bee-keeping, Horticulture, Poultry Farming, Mush-room growing, Dairy farming, Export Documentation, Scientific agriculture and Life Insurance Corporation agency have been introduced in the last two years. The following new courses have been planned for 1974 :—

(i) Repairs/servicing of TV sets

(ii) Manufacture/assembly of TV sets

(iii) Servicing and repair of refrigerators and air conditioners.

(iv) Repairs and servicing of vehicles, tractors, pumps, sanitary fittings etc.

(v) Industrial packing.

(vi) Material Management.

(vii) Key punching.

The duration of the courses vary from 4 weeks to 2 years.

The training programmes are reviewed constantly and new courses introduced depending on the response from ex-servicemn and opportunities for employment in the particular vocation.

जम्मू और कश्मीर राज्य में सोपुर नगर के निकट झेलम नदी पर पुल का बनाया जाना

***660. श्री सैयद अहमद आगा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में सोपुर नगर के निकट झेलम नदी पर एक पुल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन था ; और

(ख) यदि हां, तो यह पुल कब तक बनाया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां श्रीमन् । झेलम नदी के पार सोपुर में सड़क पुल का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है ।

(ख) इसके लागत का अनुमान और योजनाएं बनाई जा रही हैं और मंजूरी के पश्चात्, इसको क्रियान्वित करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा ।

शोर के कारण श्रवण शक्ति खोये के कारण श्रमिकों को क्षतिपूर्ति

***661. श्री मूलचन्द डागा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया गया है कि कुछ उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को शोर के कारण श्रवण शक्ति खोना पड़ती है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हाँ, तो सरकार को इस प्रकार के कितने मामलों का पता लगा है ;

(ग) क्या श्रमिक नियमों में ऐसे उपबन्ध किए गये हैं कि औद्योगिक संयंत्रों में शोर के कारण श्रवण शक्ति समाप्त होने के मामले में क्षतिपूर्ति दी जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेडडी): (क) **और** (ख) केन्द्रीय श्रम संस्थान ने इंजीनियरी संक्रियाओं में उच्च शोर स्तरों से विगोपित 416 श्रमिकों के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया है । प्रारभिक विश्लेषण यह दर्शाता है कि कतिपय श्रमिकों को विभिन्न परिमाणों में श्रवण-शक्ति की हानि पहुची है । विभिन्न अन्य उद्योगों में ऐसे ही सर्वेक्षण की योजनाएं बनाई गई हैं ।

(ग) इस समय व्यावसायिक शोर विगोपन के कारण होने वाली श्रवण शक्ति की हानि के लिए प्रतिकर देने संबंधी कोई कानुनी उपबन्ध विद्यमान नहीं है ।

(घ) एक विशेषज्ञ समिति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन व्यावसायिक रोगों की सूची की पहले ही जाँच कर रही है और वह इस सूची में व्यवसायिक शोर से होने वाली श्रवण-शक्ति की हानि को शामिल करने पर भी गौर करेगी ।

मालदीव के प्रधान मंत्री का दौरा

***662. श्री वीरभद्र सिंह :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1974 में मालदीव के प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का विचार-विर्मश हुआ और इसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। मालदीव के प्रधान मंत्री ने 8 से 14 मार्च 1974 तक भारत की यात्रा की थी।

(ख) मालदीव के प्रधान मंत्री की यात्रा के अंत में जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6683/74]**

अरुणाचल का भूगर्भीय सर्वेक्षण

***663. श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में अरुणाचल और आसाम की तराई का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के फलस्वरुप अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित खनिजों के अनुमानित भंडारों का पता चला है :–

खनिज	स्थान/जिला	अनुमानित भंडार (लाख टनों में)
लिग्नाइट बिटूमिनी . . .	तिरप जिले के नामचिक .	910.00
कोयला	नामफुक कोयला क्षेत्र	..
ग्रेफाइट	सबांसिरी जिला .	35.00
	सियांग जिला . .	103.50
	लोहित जिला . .	710.00
चूना पत्थर	लोहित जिला .	530.00
सीमेंट ग्रेड व अंशतः . . .	..	..
फ्लक्स ग्रेड)		
डोलोमाइट . . .	कामेंग जिला .	200.00
(फ्लक्स ग्रेड)		

असम की तराई मे कोई खनिज निक्षेप नहीं मिला है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के चालू क्षेत्रगत सत्र (1973–74) के कार्यक्रम में संभावित खनिजधारी क्षेत्रों के भूवैज्ञानिक मानचित्रण, तथा विभिन्न जिलों में आधार-धातु, डोलोमाइट, चूनापत्थर, कोयला व ग्रेफाइट की खोज तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भूवज्ञानिक मानचित्रण व भूबनावट एवं नदी- बहाव क्रियाओं का अध्ययन शामिल है।

देबारी जिंक स्मैल्टर, उदयपुर का विस्तार

***664. डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर स्थित देबारी जिंक स्मैलटर की विस्तार योजना का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना की लागत क्या है और काम के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तार के बाद संयंत्र की जस्ता-उत्पादन क्षमता 45,000 टन प्रतिवर्ष हो जायेगी जब कि पहले 36,000 टन की परिकल्पना की गई थी, उप-उत्पादों अर्थात सल्फूरिक अम्ल तथा कैडमियम के उत्पादन में भी इतनी ही वृद्धि होगी। साथ ही अब हिन्दुस्थान जिंक लिमिटेड ने 66,000 टन ट्रिपल सुपर फास्फेट के बदले 72,600 टन सिंगल सुपरफास्फेट तथा 26,000 टन फास्फेरिक अम्ल के उत्पादन की पेशकश की है।

(ग) वर्तमान मूल्यों के आधार पर विस्तार की कुल लागत लगभग 15 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि 1970 के मूल्यों के आधार पर 36,000 टन जस्ते कि क्षमता के लिए 10.49 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी गई थी। योजना का काम चालू है और विस्तार कार्य के 1976–77 तक पूरा होने की आशा है।

तटस्थ देशों के समन्वय ब्यूरों के अल्जीयर्स में हुए सम्मेलन में किए गए निर्णय

***665. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की क्या तटस्थ देशों के समन्वय ब्यूरो के हाल ही में अल्जीयर्स में हुए सम्मेलन में कोई ऐसे निर्णय किये गये हैं जो भारत के हितों के विरुद्ध हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जी नहीं। मीटिंग में मध्य-पूर्व त ा फिलस्तीन के प्रश्न पर घोषणा और 'अंतिम प्रलेख' स्वीकार कर लिया गया। इन प्रलेखो की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में सुलभ हैं।

गोदी श्रमिकों का मजूरी ढ़ांचा

***666. श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी मुख्य पत्तनों के गोदी श्रमिको के मजूरी ढ़ांचे पर विचार करने के लिए एक द्विपक्षीय समिति नियुक्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक नियुक्त की जायेगी और क्या विचार-विर्मश के लिए समय–सिमा निर्धारीत है; और

(ग) प्रस्तावित समिति के सदस्यों के नाम और निर्देश–पद क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) बड़े पत्तनों के कर्मचारियों और गोदी श्रमिकों के बर्तमान मजदूरी ढ़ांचे के संशोधन के लिए समुचित तंत्र गठित करने का प्रश्न विचाराधिन है।

पाकिस्तान, भारत और बंगलादेश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता

*667. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री भारत सिंह चौहान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली समझौते के अधीन पाकिस्तान, भारत और बंगला देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर चर्चा की गई और वार्ता का क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) माननीय सदस्यों का ध्यान विदेश मंत्री के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो उन्होंने इस संदर्भ में 10 अप्रैल 1974 को सदन में दिया था ।

कोयला खानों द्वारा कोयले के लदान के लिए रोके गए वैगन

6397. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 में कोयला खानों द्वारा कोयले के लदान के लिए वर्ष-वार कितने वैगन रोके गए ; और

(ख) कोयला खानों द्वारा रोके जाने वाले वैगन की संख्या कम से कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 1971, 1972 और 1973 के दौरान सभी कोयला क्षेत्रों की कोयला खानों की सांईडिंग में लदान के लिए छोड़े गए वैगनों की संख्या निम्नलिखित है :—

1971 . .	1,16,973 वैगन (एफ डब्ल्यू)
1972 .	1,60,658 वैगन (एफ डब्ल्यू)
1973	1,88,505 वैगन (एफ डब्ल्यू)

(ख) कोयला खानों द्वारा वैगनों को कम से कम देर तक रोकने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है तथा वैगनों का रोका जाना अधिकांशतः उन कारणों से है जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है जैसे बिजली का फेल हो जाना, हड़तालें और खराब वैगन आदि ।

परिवार नियोजन के उद्देश्यों के लिए इण्डियन मेडिकल एसोशिएशन को दिए गए अनुदान

6398. **श्री श्यामसुंदर महापात्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिवार नियोजन के उद्देश्यों के लिए इंडियन मैडिकल एसोसिएशन को स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से अनुदान दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो एसोसियेशन को अब तक वर्षवार कितना अनुदान दिया गया है और क्या एसोसियेशन ने सरकार से समय-समय पर प्राप्त इस अनुदान के उपयोग का लेखाजोखा प्रस्तुत किया है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि एसोसियेशन को परिवार नियोजन के उद्देश्यों के लिए दिए गए अनुदान वास्तव में उन्हो कार्यों के लिए उपयोग में लाये गए हैं जिन कार्यों के लिए ये दिए गए थें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) परिवार नियोजन के कार्यकलापों के लिए इंडियन मेडिकल एसोसियेशन को स्वीकृत किए गये अनुदानों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

	वर्ष	विषय परिचायक पाठ्यक्रमों और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए	प्रयोगात्मक परियोजनायें	"योर हैल्थ" और "आपका स्वास्थ्य" पत्रिकाओं का प्रकाशन	योग
	1966–67 .	40,000	––	9,600	49,600
	1967–68 .	59,897	––	9,600	69,497
	1968–69 .	61,327	––	9,600	70,927
	1969–70	50,000	9,360	9,600	68,960
	1970–71	67,253	––	9,600	76,853
	1971–72	30,127	––	9,600	1,39,727
**		1,00,000**			
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए	1972–73 .	—	––	—	––
	1973–74 .	11,813	––	—	11,813

इंडियन मेडिकल एसोसियशन ने बारहवें और अंतिम विषय परिचायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 23-4-71 को स्वीकृत किए गये 25000 रुपयें के अनुदान के अलावा अन्य सभी अनुदानों के संबंधमें चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा विधिवत जांचे हुए लेखे प्रस्तुत किए हैं ।

(ग) जी हां, 25000 रुपये के अनुदान के मामले को छोड़कर जिसके लिए अपेक्षित कागज-पत्रों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

राज्यों को परिवार नियोजन के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग

6399. श्री विश्वनाथन झुंझुनवाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य वर्ष 1972 तथा 1973 में केन्द्र द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये दी गई सहायता का उपयोग नहीं कर सके हैं और क्यों तथा सहायता की कितनी राशि अप्रयुक्त रही ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां गत दो वर्षों में परिवार नियोजन के साधनों से लाभान्वित होने वालों की संख्या कम हुई है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां गत दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले लोगों की प्रतिशतता कम हुई है और परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा): (क) बिहार, जम्मु व कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्यों ने 1972-73 के दौरान तथा बिहार बिहार, जम्मू व कश्मीर केरल और मध्य प्रदेश राज्यों ने 1973-74 के दौरान परिवार नियोजन के लिये केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग नहीं किया है और ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (अनुलग्नक 1)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6684/74]**

(ख) केवल गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मणिपुर और मेघालय राज्यों ने 1971-72 की तुलना में 1972-73 के दौरान परिवार नियोजन अपनाने वालों की कुल संख्या में गिरावट दिखाई है।

वर्ष 1973-74 (अप्रैल, 73 से जनवरी, 1974) के लिये प्राप्त सूचना अनन्तिम और अपूर्ण है। तथापि उपलब्ध सूचना के आधार पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों ने कुल अपनाने वालों के बारे में कुछ गिरावट दिखाई है।

सामाजिक, आर्थिक भिन्नताओं, पर्याप्त साधनों और संचार सुविधाओं आदि के अभाव के कारण विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन के अपनाने में कुछ भिन्नताओं के अतिरिक्त खासकर वर्ष 1973-74 के दौरान परिवार नियोजन में खराब निष्पत्ति के लिए अधिक प्रोत्साहन राशि वाले बृहद् नसबन्दी शिविरों को बन्द कर देना तथा इस वर्ष के पहले भाग में बजट व्यवस्था की अनिश्चितता इसके लिए मुख्य उत्तरदायी कारण है।

(ग) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के लिए परिवार नियोजन के आंकड़ों के ग्रामीण/नगरीय ब्यौरे के बारे में सभी राज्यों को राज्यवार पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि उपलब्ध सूचना के आधार पर गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों ने पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ अधिक बुरी निष्पत्ति दिखाई है। उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए गये हैं जिनका एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक 2) **[ग्रंथालय में रखा गया। दखिए संख्या एल० टी० 6684/74]**

इस्पात की कमी का इंजीनियरिंग उद्योग पर प्रभाव

6400. **श्री मार्तन्ड सिंह :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और अन्य अलौह धातुओं की कमी का इंजीनियरिंग उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें बड़े उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सबोध हंसदा) : (क) से (ग) इस्पात की कई श्रेणियों की उपलब्धि मांग से कम है और हो सकता है कि देश के उपभोक्ता क्षेत्रों को मुख्यतः अपर्याप्त सप्लाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। स्थिति का सामना करने के लिए किए गए उपायों में प्रौद्योगिक सुधारों द्वारा देशीय उत्पादन में वृद्धि करना, मालिक मजदूर सम्बन्धों को बेहतर बनाना,

बेहतर रख-रखाव आदि, आयात के मामले में उदार नीति अपनाना विशेष रुप से उन श्रणियों के लिए जिनकी आपूर्ति कम है, निर्यात का विनियमन करना और वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना सम्मिलित है । ।

जहां तक अलौह धातुओं का सम्बन्ध है जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे ग्रेड III के स्टेनोंग्राफर

6401. डा० गोविन्ददास रिछारिया
श्री के० सी० चन्द्रप्पन

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय में अन्य सी० एस० एस० एस० संवर्गों से प्रतिनियुक्ति पर आये ग्रेड III के कितने स्टेनोग्राफर काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या रक्षा मंत्रालय में अन्य संवर्गों से प्रतिनियुक्ति पर आये ग्रेड III के अपने मूल संवर्गो में वापस जाने के इच्छुक स्टेनोग्राफरों को उनके संवर्गों में वापस भेज दिया गया है ;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर आये ग्रेड iii के रक्षा मंत्रालय में ही नौकरी में ले लिये जाने के इच्छुक स्टेनोग्राफरों को वहां नौकरी में ले लिया गया है यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर आये ग्रेड III के स्टेनोग्राफरों को वरिष्ठता को संरक्षण दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) 13।

(ख) जी हां श्रीमन् ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के अन्य संवर्गों से रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ती पर आए ग्रेड III के स्टेनोग्राफरों को जो रक्षा मंत्रालय में ही रहने के इच्छुक हैं, उन्हें अभी तक रक्षा मंत्रालय में नहीं खपाया जा सका है । उन्हें खपाए जाने तथा उनको वरिष्ठता को संरक्षण प्रदान किए जाने के प्रश्न पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और संबंधित संवर्ग के प्राधिकारी को सलाह से विचार किया जा रहा है ।

विदेशों को स्वीचगियरों की सप्लाई

6402. श्री एम० एस० पूर्ति : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को हाल ही में कुछ देशों से स्विचगियरों के लिए बड़े निर्यात आर्डर मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य और अन्य शर्तें क्या हैं ?

(क) जी हां । कम्बोदिया से स्विचगियर के लिए एक बड़ा निर्यात आर्डर प्राप्त हुआ है ।

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(ख) क्रय देश का कुल मूल्य 8. 14 लाख है । मई, 1974 तक सप्लाई पूरी हो जायेगी ।

Indian Doctors in Canada

6403. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state whether Government would ascertain the present number of Indian doctors in Canada through the Indian Embassy there?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : Yes, Sir.

Verification of Membership of Central Labour Organisation

6404. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Central Government used to verify the membership of Central Labour Organisations after every two years ; and

(b) if so, the period for which verifications have not been made and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) Verifications of membership as on the 31st December, 1966 and the 31st December, 1968, were conducted. The work of verification of membership, as on the 31st December, 1970, was initiated early in 1971 but at the instance of Trade Union Organisations who pleaded their preoccupation with the Mid-term elections to Parliament and pending consideration of certain points raised by some of them, the verification was postponed. Subsequently, it was decided to undertake verification of membrship as on the 31st December, 1972. The four Central Trade Union Organisations, as also four other organisations claiming to be of an all-India character, were asked to furnish their claims of membership as on that date. Two of these organisations have not yet furnished their claims.

संगरौली कोयला क्षेत्रों में स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की बजाए बाहर से कर्मचारियों की भर्ती

6405. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में संगरौली कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्धक वर्ग स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की बजाये बाहर से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भर्ती कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थानीय लोगों को रोजगार देने की सरकारी नीति की इस प्रकार अवज्ञा रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में रीवा के निकट कईमूर पहाड़ियों में तोपखाने की रेंज के कारण यातायात में बाधा

6406. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में रीवा के निकट कईमूर पहाड़ियों में तोपखाने की रेंज के कारण गढ़ बड़भार गढ़हाट रोड़ पर यातायात में बाधा पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में ईंधन तेल की कमी के संदर्भ में इस समस्या पर विचार किया है ? क्योंकि मार्ग में रूकावट पड़ने के कारण घुम कर जाने से लीवा और गढ़हाट के बीच की दूरी 15 मील तक अधिक हो जाती है ; और

(ग) क्या यातायात में बिना रूकावट डाले या उसका मार्ग बदले बिना उक्त अभ्यास करना संभव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) गढ़ वदवार-मोहानिया चोरहट सड़क का रास्ता मिलिट्री चांदमारी क्षेत्र से गुजरता है जो मार्च 1973 से 7 साल के लिये अधिसूचित किया गया है। एक असैनिक बस सुबह रावा से चोरहट जाती है तथा सायंकाल लौटती है। दूसरी गाड़ियां बहुत कम आती जाती हैं। अभ्यास के दौरान जब चांदमारी नहीं होती है तो गाड़ियों नहीं रोकी जाती है। चांदमारी के दौरान भी जिस समय गोली बारी बन्द होती है तो गाड़ियों को जाने दिया जाता है। यह क्षेत्र मिलिट्री यूनिटों द्वारा गोली चलाने के अभ्यास के लिये प्रयोग होता है। यह अभ्यास दूसरे ध्यान पर नहीं हो सकता है। गाड़ियों के आने जाने में कम से कम रुकावट होती हैं।

संगरौली कोयला क्षेत्रों में कीमती मशीनों को बट्टे खाते में डालना

6407. श्री रण बहादुर सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में संगरौली स्थित राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला क्षेत्रों में दो डम्पर और एक शोवल जिनकी लागत 50 लाख रुपये है, बट्टे खाते में डाल दिये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इन मशीनों की सही लागत क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Shortcomings of Heavy Electricals (India) Limited, Bhopal

6408. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the extent to which the measures taken to remove the shortcomings of Heavy Electricals (India) Limited, Bhopal have proved helpful and the further action proposed to be taken in this regard;

(b) whether the ratio of employees of Madhya Pradesh *vis-a-vis* those coming from other States is much less in the said company; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) The measures taken to improve the operations at Bhopal have resulted in an output of Rs. 76 crores during 1973-74 as compared to an output of Rs. 57 crores during 1972-73.

Further action proposed covers improvement in productivity, rationalisation of products, reorganisation of systems, improvement in management and better labour relations.

(b) No, Sir. Nearly 60% of the employees in the Organisation are from Madhya Pradesh.

(c) Does not arise.

Military Recruiting Offices and Training Centres in Madhya Pradesh

6409. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4037 on the 21st March, 1974 regarding Military Recruiting offices and Training centres in Madhya Pradesh and state :

(a) whether a demand has been pending for long for increasing the number of centres so that more opportunities may be available to the people of the State; and

(b) if so, Government's reaction thereon ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Officers and other ranks of MP discharged from Army

6410. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of officers and other ranks of Madhya Pradesh discharged from Army during the last two years;

(b) the number of those likely to be discharged this year, and

(c) whether certain steps to rehabilitate them after their discharge from Army are under consideration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik): (a) and (b) This information is not readily available. It will be collected and laid on the Table of the House.

(c) A statement indicating the benefits/concessions available to ex-servicemen for their rehabilitation after discharge from the Armed Forces is attached. These concessions are equally applicable to officers and JCOs/ORSs from Madhya Pradesh discharged from the Army.

Statement

Soldiers/Sailors and Airmen's Boards have been specially geared up to hold monthly and quarterly meetings with the Employment Exchange Officers to help ex-servicemen to find suitable employment. Ex-servicemen are given preference for jobs in Defence installations, para-military organisations like watch and ward of Railways etc., where their past training and experience could be useful. Orders were issued in July 1966 for reservation of 20% of the permanent vacancies of Class IV and 10% of the permanent vacancies of Class III under the Central Government for ex-servicemen for a period of two years in the first instance. These orders have since been extended upto 30th June 1974 and all temporary vacancies have also now been included in the reservation scheme. State Governments and Public Sector Undertakings under the Central Government have also been asked to make reservations on the lines of the reservations made in the Central Government posts. Further, the public Sector Undertakings under the Central Government have been directed to reserve 17½% in Class III and 27% in Class IV posts for ex-servicemen, disabled ex-servicemen. The nationalised banks have also been advised to make reservations on similar pattern. Relaxation of age and relaxation of minimum educational qualifications have been given to ex-servicemen for recruitment to certain posts. For officers, short courses have been organised in business management, personnel management and industrial management. For JCOs/ORs and equivalent ranks, pre-release and pre-cum-post release training courses like teachers' training trade in ITI, poultry, dairying, bee-keeping, cattle management etc. are also organised.

2. A number of concessions were made available to disabled ex-servicemen after December 1971 in order to assist them for getting employment. Disabled ex-servicemen are accorded Priority I, which is highest for the purpose of employment to Class III and Class IV posts which are filled through Employment Exchanges. While filling the vacancies reserved for ex-servicemen, preference is given to disabled ex-servicemen and the overall percentage of reserved vacancies were raised from 45% to 50% with the proviso that the additional vacancies so made available will be utilised first for the appointment of disabled ex-servicemen and if any such vacancies are left over thereafter, they will be made available to other ex-servicemen. For appointment to Class III posts, educational qualifications are also relaxed for disabled ex-servicemen at the discretion of the appointing authority provided the disability does not affect with the discharge of duties attached to the posts. Orders also exist relaxing the medical standards and age limits for disabled ex-servicemen.

3. The Central Government have formulated two colonisation schemes one in Arunachal Pradesh and other in Great Nicobar Island, for settlement of ex-servicemen. It is proposed to settle about 3,000 ex-servicemen with their families under these schemes in the next few years.

4. A certain percentage of imported tractors have been reserved for allotments to serving and ex-service personnel. Ex-servicemen are entitled to purchase surplus vehicles of the Defence Ministry before they are notified to the Directorate General of Supplies and Disposals for auction. The Ministry of Industrial Development have reserved quota of commercial vehicles (Ambassador cars, three-wheelers scooters and Tempos) for priority allotment to ex-servicemen and their cooperative societies.

5. Regular Commmissioned Officers seeking re-employment assistance after retirement can register themselves with the Directorate General of Resettlement. The Directorate General, Resettlement maintain their screened dossiers and depending on their qualifications and experience, sponsor their names for suitable jobs in the para-military organisations, Central/State Government offices and Public & Private sector Undertakings. The number of officers who get re-employed depends upon availability of jobs in the aforesaid avenues of employment. The Directorate General Resettlement also arranges short re-orientation courses for a limited number of retiring or retired officers to facilitate their absorptions in civil jobs.

6. Reservation was also made for released ECOs/SSCOs in the All India Central Services upto January 1974. During 1974, they are required to take the normal UPSC examinations like other candidates; the question of extending the scheme for 1975 and thereafter in a suitably revised form is receiving attention.

7. Efforts are also being made to guide and assist ex-servicemen to take advantage of self-employment opportunities in small-scale industries. Temporarily surplus military lands are firstly offered to ex-servicemen and their societies for cultivation on lease basis. Where such lands are available for permanent disposal, ex-servicemen are also one of the priority holders to purchase such lands from Government at fixed price.

Diamond Mine near Mirzapur

6411. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Geologists have found out a big mine of diamonds near Mirzapur;

(b) whether this news has appeared in the press as well;

(c) whether the Geologists have made it a practice to get such news published in an exaggerated manner with a view to getting popularity; and

(d) the number of news regarding discovery by Geologists published in the newspapers during the last six months and how many of them were found to be true ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) No, Sir.

(b) A statement attributed to Director Geology and Mining Uttar Pradesh appeared in local dailies regarding discovery of a diamond mine in Jungle area of Mirzapur district. Director Geology and Mining subsequently issued letters to different dailies contradicting the statement attributed to him.

(c) and (d) From time to time, news items regarding discovery of minerals and other interesting geological finds appear in the press. The sources quoted are varied e.g., Geological Survey of India, State Governments, Public Sector Undertakings, the teachers of Universities and even private prospectors. It is difficult to state the number that has appeared in the newspaper during the last six months.

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा विभिन्न राज्यों के मेडिकल कालेजों की मान्यता वापस ले लेना

6412. **श्री बेकारिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ मेडिकल कालेजों की मान्यता वापस ले ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार से मान्यता वापस लिये जाने वाले कालेज कौन कौन से हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री से एक अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया की सिफारिश अभी अभी मिली है जिसमें कांउसिल ने कर्नाटक के छह कालेजों और आन्ध्र प्रदेश के दो कालेजों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की एम० बी० बी० एस० डिग्री की मान्यता वापस लेने की सिफारिश की है । जहां तक डा० वी० एम० मेडिकल कालेज शोलापुर का सम्बन्ध है, इस काउंसिल ने सिफारिश की है कि इस कालेज को शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली एम० बी० बी० एस० डिग्री के लिए अनुमोदित न किया जाए । इस मान्यता को वापस लेने की सिफारिश करने का कारण यह है कि इन कालेजों में उपलब्ध सुविधाओं में कमी है । इन कालेजों ने नाम इस प्रकार हैं :—

कर्नाटक

1. बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर
2. मेडिकल कालेज, बेलारी
3. जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, दवानगिरि
4. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, बैलगांव
5. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल
6. मेडिकल कालेज, गुलबर्गा

आन्ध्र प्रदेश

7. रंगरया मेडिकल कालेज, ककिनाडा
8. ककेतिया मेडिकल कालेज, वारंगल

महाराष्ट्र

9. डा० वी० एम० मेडिकल कालेज, शोलापुर

(ग) और (घ) जी हां, इस बारे में कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया की कथित सिफारिश पर्याप्त और अद्यतन तथ्यों पर आधारित नहीं है । इस विषय में मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया की सिफारिश जो अभी अभी प्राप्त हुई हैं, सम्बन्धीत राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से परामर्श कर सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी ।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय नागरविमानन संगठन में विचाराधीन मामलों को पाकिस्तान द्वारा वापस लेना

6413. श्री बेंकारिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1972 में भारत ने पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में विचाराधिन मामलों को वापस लेने का प्रस्ताव करने में पहल की थी ;

(ख) क्या अब उन्होंने इन विषयों पर द्विपक्षीय बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले की स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जुलाई, 1972 में शिमला करार पर हस्ताक्षर करने के बाद, भारत ने पाकिस्तान को सुझाव दिया था कि दोनों सरकारें हेग तथा मान्ट्रियल में स्थित अपने-अपने प्रतिनिधीयों को अपने-अपने केस तत्काल वापस लेने के संबंध में निदेश दे सकती हैं। अगस्त 1972 में दोनों पक्षों ने यह वांछनीय समझा कि ये मामले द्विपक्षीय तौर पर तय किए जाने चाहिए ।

(ग) मार्च, 1971 मे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऊपरि उड़ानों के जो मामले दायर किए थे, वे अंतराष्ट्रयी सिविल विमानन संगठन परिषद के सामने अब भी अटके हुए हैं। दोनों पक्षों के अनुरोध पर, अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानान संगठन परिषद ने 15 जून, 1973 को यह कहा कि जब तक पाकिस्तान और / या भारत अनुरोध न करे, तब तक परिषद के भावी सत्रों में विचार के लिए ये मामले सम्मिलित न किए जाएं। इस विषय पर अभी तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्रश्न पर कोई द्विपक्षीय वार्ता अभी आरम्भ नहीं हुई है ।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

6414. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरि बोर्ड के सदस्यों के नामों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : अध्यक्ष स्वतंत्र सदस्यों और नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधीयों की नियुक्ति से संबंधीत मामलों की विस्तृत जांच करनीं आवश्यक है और यह चल रही है।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रक्षा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

6415. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कर्मचारियों के वेतनमान तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब तक निर्धारित नहीं किए गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रक्षा सेवाओं के श्रेणी ii, iii और iv के सिविलियन कर्मचारियों के लगभग 2500 वर्गों के पदों में से लगभग 2400 पदों के संशोधित वेतन-मान 29–12–73 और 28–2–74 को प्रकाशित कर दिए गए हैं। शेष के संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने और प्रकाशित हो जाने की आशा है। श्रेणी i के सिविलियन अफसरों के बारें में भी संशोधित वेतन-मानों के निर्णय के शीघ्र प्रकाशित हो जाने की आशा है क्योंकि इस संबंध में सरकारी निर्णय की घोषणा 29 मार्च 1974 को ही की गई थी ।

जहां तक सशस्त्र सेना कार्मिकों के बारे में संशोधीत वेतन-मानों का संबंध है, इस पर पूरी सक्रियता से विचार किया जा रहा है और निर्णय को शीघ्र प्रकाशित कर दिया जाएगा ।

Jobs to Educated bastar Adivasis in Bailadilla

6416. Shri Lambodar Baliyar : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether educated Adivasis of Bastar (Madhya Pradesh) are not given jobs in Bailadilla and other establishments while persons coming from far off places are given jobs there;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps Government propose to take in this matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Vacancies in Class III and IV are filled through local employment exchange/ central employment exchange. Where suitable candidates are not available from employment exchange vacancies are advertised in press and copy endorsed to employment exchange. To ensure interest of local people, an officer of State Government is associated in the selection of candidates for recruitment to such posts. Recruitment to Classes I and II posts is made on All India-basis. A percentage of vacancies are reserved for Schedulel Caste and Scheduled Tribes.

(b) and (c) Does not arise.

मशीने निर्माण करने वाले कारखानों द्वारा उत्पादन का विविधीकरण

6417. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादन के विविधीकरण शुरु करने के लिए मशीन बनाने वाले कारखानों को अधिक स्वतंत्रा देने के बारे में किए गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : इस संबंध में औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 4-3-1974 को जारी किए गए प्रेस नोट की एक प्रति संलग्न है ; **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6685/74]**

भारी इंजीनियरिंग कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के उपाय

6418. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में भारी इंजीनियरिंग कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कोई उपाय करने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सभी भारी इंजी० एककों का वर्ष 1974-75 का उत्पादन लक्ष्य अनन्तिम रुप से 550 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है जो 1973-74 के 408.93 करोड़ रु० के वास्तविक उत्पादन से 34% अधिक है ।

इस लक्ष्य को विद्यमान क्षमता का अधिक उपयोग करके प्राप्त करने की आशा है । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कदम उठाए गये हैं उनमें अलग-अलग एककों के प्रबन्ध का पुनर्गठन और व्यवसायिकीकरण, एककों द्वारा निर्मित उपकरणों का मानकीकरण उत्पादनमिश्र का विविधीकरण और युक्तिकरण, डिजाइन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना, वस्तुसूची पर अधिक अच्छ नियंत्रण, इष्टतम उपयोग हेतु दुर्लभ कच्चे माल का अन्तर संयंत्र स्थानान्तारण और संयंत्रों में निवारक रखरखाव पर अधिक बल देना सम्मिलित हैं । उत्पादन में होने वाली अड़चनों

का पता लगाने के लिए संयंत्र स्तर पर विस्तृत अध्ययन भी किए गए थे । इन अध्ययनों के परिणामस्वरूप विभिन्न एककों का कुछ संतुलन सुविधाएं देने के लिए कार्यक्रम स्वीकृत किए गए है । ये कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिए गए है और इनका उद्देश्य न्यूनतम लागत पर और यथासंभव शीघ्र समय में अतिरिक्त उत्पादन करना है ।

इस मंत्रालय ने (1) संसाधनों का आवंटन, (2) कार्य संचालन संबंधी योजनाएं और कार्यक्रम, (3) प्रगति का मानिटरिंग, (4) प्रतिसम्भरण के जरिये मूल्यांकन और (क) नियंत्रण, और (ख) मासिक तथा त्रैमासिक रिपोर्टों के जरिए आयोजना का कार्य करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने के लिए एक सूचना-प्रणाली भी स्थापित की है ।

वर्ष 1974-75 में देश में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

6419. श्री वयालार रवि : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार देश में वर्ष 1974-75 में पांचवी योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) केरल राज्य में इनमें से कितने केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और 1974-75 में उक्त राज्यों में इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक एककों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकारी उद्यमों संबंधी कार्यवाही समिति की सिफारिशें

6420. श्री वयालार रवि : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्थापित की गई सरकारी उद्यमों सम्बन्धी कार्यवाही समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन औद्योगिक एककों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इन एककों में फजूलखर्ची को रोकने और इन्हें अधिक लाभप्रद कदमों से कितनी सहायता मिली है और इस दिशा में सरकार का विचार क्या आगे कार्यवाही करने का है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कार्य-समिति की सिफारिशों के आधार पर इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य को सुधारने के लिये अनेक अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपाय प्रारम्भ किए गए हैं । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :—

1. युक्तिपूर्ण कार्मिक नीति ;
2. वस्तुसूची नियंत्रण की सुधरी प्रणाली;
3. सामग्री आयोजन और पूर्वानुमान, उत्पादन आयोजन और नियंत्रण जैसे कार्यों में सुधार ;
4. प्रणालीबद्ध रखरखाव कार्यक्रम तैयार करना ;
5. कार्यों की विविधता कम करने के लिए, जो अब कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं, उत्पादन-मिश्र को युक्तिपूर्ण बनाना ;
6. औद्योगिक संबंधों को भावनापूर्वक व्यवहार में लाना ;

4—13 L. S. S. (ND)/74

7. पुरस्कार प्रणालियों और युक्तिपूर्ण और वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजनाओं के द्वारा प्रबंधकीय और पर्यवेक्षी कर्मचारियों और कामगारों को प्रोत्साहित करना ;
8. अत्यावश्यक कच्चे माल जैसे इस्पात, कच्चा लोहा सीमेंट आदि का समय पर सम्भरण;
9. हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडीया) लिमिटेड का भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के साथ विलय सहित प्रबन्ध का पुनर्गठन । जिनका एक संयुक्त बोर्ड और एक अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक होगा;
10. विद्युत उद्योग अनुसंधान तथा विकास संघटन का भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ विलय ।

(ख) यह बताना संभव नही है कि वित्तीय दृष्टि से इन उपायों से कितना प्रभाव पड़ा; किन्तु इन और अन्य उपायों के परिणामस्वरूप उपक्रमों में उत्पादन का कुल मूल्य 1972-73 में 281 करोड़ रुपये से 1973-74 में 409 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है जिससे स्थिर मूल्यों पर लगभग 44% की वृद्धि का पता चलता है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई में आई० बी० एम० मशीनों का चलन बन्द करना

6421. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा वहां आइ० बी० एम० मशीनों का चलन बिलकूल बन्द करने की मांग की जा रही है ;

(ख) क्या यंत्रीकरण समिति की सिफारिश के अनुसार ऐसी मशीनें कर्मचारियों की सहमति से ही लगाई जा सकती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो बम्बई कार्यालय से ये मशीनें हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकरियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । स्वचालन समिति की सिफारिश, संगणकों के उपयोग से संबंधित थी न कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के महाराष्ट्र स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय में इस्तेमाल की जा रही मशीनों जैसी इकाई अभिलेख मशीनों के उपयोग से ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में प्रति परिवार साफ्ट कोक का अपर्याप्त कोटा

6422. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रति परिवार घरेलू खपत के लिए प्रदान किया गया साफ्ट कोक का कोटा काफी अपर्याप्त है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दैनिक उपभोग की अत्यावश्यक वस्तु में चोर-बाजारी व्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो साफ्ट कोक के कोटे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चुन हुए स्थानों पर कोयला भण्डार स्थापित करना

8423. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री चुने हुए स्थानों पर कोयला-भण्डार स्थापित करने के बारे में 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चुने हुए स्थानों पर कोयला भण्डार स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

विश्व की जनसंख्या

6424. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मार्च, 1974 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या वार्षिकी के अनुसार विश्व की जनसंख्या 1972 के मध्य में लगभग 380 करोड़ हो चुकी थी ;

(ख) क्या इसके अनुसार चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है और उसके बाद भारत का स्थान है ; और

(ग) यदि हां, तो जनता की दशा सुधारने के लिए देश की जनसंख्या कम करने हेतु सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां, संयुक्त राष्ट्र जनांकिकीय वर्ष पुस्तिका (डेमोग्राफिक ईयर बुक) 1972 के अनुसार 1972 के मध्य वर्ष तक विश्व जनसंख्या का अनुमान 378.20 करोड़ था ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

परिवार नियोजन को क्रमश: एक वृहत्तर विकास समूह में मिलाने का प्रस्ताव है, खासकर स्वास्थ्य, पोषण तथा प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवा और संचार प्रयत्नों को ऐसे समेकित विकास की दिशा में लगाया जाएगा । आशा की जाती है कि न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम जिसका उद्देश्य लोगों को उत्तम स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए एक अधिक कारगर ढांचा प्रदान करेगा ।

2. परिवार नियोजन कार्यक्रम में सुधार करने के लिए जो अन्य कदम उठाए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) माताओं और बच्चों की उत्तम स्वास्थ्य देखभाल के लिए रोगरोधन और बचाव की योजनाओं को सुदृढ़ करना ।

(2) राज्यों में आधारभूत ढांचें को सुचारु रुप से स्थापित करने पर अधिक जोर देना ताकि इससे उत्तम निष्पत्ति हो सके ।

(3) स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, मजदूर संघों आदि को अधिक कारगर ढंग से शामिल करना और कार्यक्रम में जनता का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना ।

(4) सुधरी हुई गर्भनिरोधक तकनीक तैयार करने पर जोर ।

(5) चुनिदा जिलों में परिवार नियोजन प्रयत्नों को तेज करना ।

(6) जो राज्य उपलब्धि के स्तरों में राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं उन राज्यों की निष्पत्ति में सुधार करने पर जोर देना ।

(7) परिवार नियोजन के लिए उत्तम प्रेरणा और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक-उद्देशीय कार्यकर्ताओं के स्थान पर क्रमानुसार बहु उद्देशीय कार्यकर्ताओं को लगाना और उन्हें प्रशिक्षित करना ।

(8) लडकियों की विवाह की आयु बढ़ाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

ब्रिटिश मोटर कार कंपनी, नई दिल्ली में छंटनी

6425. **श्री मूलचंद डागा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश मोटर कार कंपनी, नई दिल्ली गैर-कानूनी और श्रम विरोधी कार्यवाहियां कर रही है और श्रमिक संघ के सभी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी और परेशान करने की कार्यवाहियां कर रही है ;

(ख) क्या 12 मार्च, 1974 से 60 व्यक्तियों की छंटनी कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो छंटनी क्यों की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, ब्रिटिश मोटर कार कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबन्धकों ने अपने 112 कर्मचारियों में से 60 की 13-3-74 से वर्कशाप द्वारा उठाई गई हानि के आधार पर तथा भविष्य में कारोबार में सुधार की बहुत कम संभाव्यता के कारण छंटनी कर दी है । प्रबन्धकों ने यूनियन के पदाधिकारियों आदि को सताने और परेशान करने सम्बन्धी आरोपों को मानने से इन्कार किया है ।

पंजाब फुटकर किराना व्यापारी संघ तथा उत्तर भारत परचून किराना संघ से प्राप्त ज्ञापन

6426. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पंजाब फुटकर किराना व्यापारी संघ तथा उत्तर भारत परचून किराना संघ, चंडीगड से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या बातें उठायी गई हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां ।

(ख) इस ज्ञापन में निम्नलिखित बातें कहीं गई है :—

(1) खाद्य पदार्थोंके नमूने उस स्थान से लिए जायें जहां पर ये तैयार होते है, न कि छोटे दुकानदारों से क्योंकि मिलावट केवल उसी स्थान पर ही होती है ।

(2) घटिया वस्तुओं और मिलावटी वस्तुओं में अन्तर किया जाए और घटिया वस्तुएं बेचने पर मामूली सी सजा दी जानी चाहिये ।

(3) वस्तुओं पर नकली छाप थोक विक्रेताओं द्वारा लगाई जाती है, न कि छोटे दुकानदारों द्वारा ।

(4) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निर्माताओं को यथापेक्षित वारंटी देने को कहा जाए और खाद्यान्न बेचने वाले छोटे-छोटे दुकानदारों के खिलाफ उन सभी लम्बित मामलों को तत्काल वापस लिया जाए जिनमें निर्माणावस्था में मिलावट पाई गई है ।

(5) एगमार्का वस्तुओं में यदि मिलावट हो, तो उस कैमिस्ट के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए जिसने यह प्रमाणित किया हो कि वे वस्तुएं मानक कोटि की हैं ।

(6) प्रत्येक नमूने को तीन की बजाए चार भागों में बांटना चाहिये ताकि विक्रेता सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट की जांच करने के अभिप्राय से उस नमूने का विश्लेषण किसी दूसरी प्रयोगशाला से भी करा सके ।

(7) जब यह सिद्ध हो चुका है कि खिसारी दाल हानिकर है, तो इसके बोने पर पाबन्दी लगा दी जाए ।

(8) छोटे व्यापारियों और परचून विक्रेताओं को केन्द्रीय खाद्य मानक समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए ।

(ग) इस ज्ञापन पर निम्नांकित कार्यवाही की गई है या की जा रही है :—

(1) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से जोरदार अपील की गई है कि वे निर्माताओं और थोक विक्रेताओं से नमूने लेने पर विशेष बल दें किन्तु परचून विक्रेताओं को बरी या माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच कहीं भी मिलावट हो सकती है ।

(2) घटियां वस्तुओं के बारे में सजा घटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(3) निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल थोक विक्रेता ही खाद्य पर नकली छाप लगाते है । परचून वाले भी नकली छाप लगा सकते है ।

(4) राज्य सरकारों से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि वे वारंटी वाली धारा को कड़ाई के साथ लागू करें । अन्यथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें ।

(5) इस मामले को कि जिस कैमिस्ट ने 'एगमार्क' के अन्तर्गत किसी खाद्य को शुद्ध प्रमाणित किया है उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उस समुचित एजेन्सी के साथ उठाया जा सकता है जो इसे कार्यरूप देने के लिये उत्तरदायी है ।

(6) जो संशोधन विचाराधीन है उनमें प्रत्येक नमूने को तीन के बजाए चार भागों मे बांटने का भी प्रस्ताव है ।

(7) खिसारी दाल को बोने की मनाही के प्रश्न पर विचार किया गया है किन्तु इसे कार्यान्वित कर पाना संभव नहीं था क्योंकि यह दाल तीव्रतम जलवायु में पैदा होती है और फिर इसमें प्रोटीन भी काफी मात्रा में होता है । तो भी, खाद्य और कृषि मंत्रालय/भारतीय खाद्य निगम ने दाल को उत्पादन स्रोत पर ही विषरहित करने की एक परियोजना हाथ में ले ली है ।

(8) केन्द्रीय खाद्य मानक समिति में छोटे व्यापारियों और किराना विक्रेताओं का प्रतिनिधि शामिल करना तो संभव नहीं है किन्तु फिर भी अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के परिसंघ जैसे कुछेक संघ को उस उप समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है जो कानून में संशोधन करने का काम करती है । खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में जिन प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जा रहा है, उनमें उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है ।

Pillar Type Volcano Stones found in Telephone Nagar Colony (Indore)

6427. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether centuries old pillar type volcano stiones have been found in Telephone Nagar Colony in Grom Kanodia of Indore (Madhya Pradesh);

(b) whether the archaeologists are of the opinion that the lava emitted by the volcanoes had changed into pillar type stones; and

(c) if so, the fact in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) to (c) The exact location of Gram Kanolia of Indore is not precisely known. However, there is a village Kanadia, at the east of Indore. This region has been systematically mapped by the Geological Survey of India in the field season 1972-73, and no such feature of major significance was found. Some of the dykes and also some of the Lava flows of Deccan Traps of the region show columnar jointing due to which hexagonal, vertical or horizontal rock columns of considerable length are found at some places.

जहाजों से माल उतारने तथा चढ़ाने के लिए कोचीन पत्तन पर रिश्वत दिया जाना

6428. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया शिपर्स काउंसिल के अध्यक्ष श्री वी० डी० चौघुले ने कहा था कि कोचीन पत्तन पर जहाजों से माल उतारने तथा माल चढ़ाने के कार्य को शीघ्रता से कराने के लिये रिश्वत दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्तन तथा देश के अन्य पत्तनों पर रिश्वतखोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) श्री वी० डी० चौगुले द्वारा दिये गये ऐसे किसी वक्तव्य के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) कोचीन पत्तन पर रिश्वत दिया जाना 8 फरवरी, 1974 से बन्द कर दिया गया था, बम्बई, मारमोगाव, कंडला तथा विशाखापत्तनम पत्तनों पर रिश्वत दिये जाने सम्बन्धी पद्धति के प्रचलित होने के बारे में कोई समाचार नहीं है। फिर भी, विशाखापत्तनम पत्तन पर रिश्वत दिये जाने के कुछेक मामलों के समाचार मिलने पर जिनकी कि अभी पुष्टि नहीं हुई है "स्टोवेडोरस" तथा कर्मचारियों को कहा गया है कि वे ऐसी प्रथा को बन्द करें, मद्रास पत्तन पर काम को शीघ्र कराने के लिए कर्मचारियों को रिश्वत देने की प्रवृत्ति प्रचलित है और इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए सम्बन्धित स्वार्थी व्यक्तियों के रिश्वत न देने के लिये कहा गया है। कलकत्ता पत्तन पर इस प्रकार रिश्वत देने के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इस्पात उत्पादन पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव

6429. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी विभिन्न इस्पात परियोजनाओं तथा उनके मंत्रालय से सम्बन्ध अन्य उद्योगों में बिगड़ती हुई स्थिति के लिये जिम्मेदार है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस दिशा में कोई प्रयास किये थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रुप रेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्ष 1973–74 में मुख्य इस्पात कारखानों में उत्पादन पर मुख्यत निम्नलिखित कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है :—

(1) बिजली को सप्लाई में भारी कटौती तथा रूकावटे विशेषतया अप्रैल-नवम्बर, 1973 की अवधि में, जिसने भिलाई को छोड़कर सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा। (2) कोयले का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना जिसका कारण भी बड़ी हद तक इस अवधि में बिजली को सप्लाई में की गई कटौती तथा रूकावट था, जिससे समस्त झरिया कोयला क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप कोयला शोधनशालाओं और कोयला खानों में काम कम हुआ जिससे सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा और (3) रेलवे में, विशेषतः दक्षिण पूर्वी और पूर्वी रेलवे में थोड़े थोड़े समय के पश्चात धीमीगति से काम करने को घटनाएं तथा औद्योगिक अशान्ति जिससे कोयले और दूसरे कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों के लाने ले जाने पर प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप कच्चे माल की कम आवक को देखते हुए उत्पादन में भारी कमी करना आवश्यक हो गया। बिजली की सप्लाई में कटौती/रूकावटों लोड शैडिंग के कारण कोयले, एल्यूमीनियम और जस्ते के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है।

(ख) और (ग) जहां तक बिजली की और कोयले की कमी का सम्बन्ध है, सिंचाई और बिजली मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों, सम्बन्धित राज्य सरकारों और रेलवे के साथ निकट सम्पर्क स्थापित किया गया है और इसे बनाए रखा जा रहा है। स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है और इसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है। कुछ इस्पात कारखानों में बिजली पैदा करने की रक्षित क्षमता में वृद्धि करने तथा कोयला खानों में ऐसी क्षमता स्थापित करने के प्रश्न भी विचाराधीन है।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देना

6430. श्री राम भगत पासवान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागरिकता विहीन व्यक्तियों के बारे में वर्ष 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन अब तक भारत में लौटे कितने व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अंतर्गत मार्च 1974 के आखीर तक जो 129,578 व्यक्ति देश-प्रत्यावर्तित किए गए थे उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई है।

Whereabouts of Indians killed in Turkish Air Crash on 5-3-74

6431. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether two Indian passengers were also killed in a Turkish air crash on 5th March, 1974;

(b) whether it is correct that Government had no knowledge of the whereabouts of these two persons; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir; the air crash occurred on 3rd March, 1974 and not on 5th March, 1974.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

कलकत्ता स्थित बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग समूह का अनुचित कार्यकरण

6432. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता स्थित बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग समूह के अनुचित कार्यकरण जिसमें अवांछनीय श्रमिक सम्बन्धी प्रक्रियायें भी शामिल हैं के विरुद्ध जनता में व्यापक रोष का पता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनवरी, 1974 में पटसन उद्योगों के बारे में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता

6433. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में पटसन उद्योग के बारे में चार दिवसीय त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें श्रमिकों और प्रबंधकों की किन मांगों पर विचार-विमर्श हुआ और इस वार्ता के क्या परिणाम रहे; और

(ग) क्या यह वार्ता असफल हो गई है; और यदि हां, तो किन मामलों पर मतभेद बना हुआ है और इसे हल करने के लिए इस बीच क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) से (ग) जूट उद्योग में धमकी दी गई हड़ताल को रोकने के लिए किये गये कई त्रिपक्षीय विचार-विमर्शों के क्रम में, 10—13 जनवरी, 1974 को कलकत्ता में एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। इस बैठक में विचार विमर्श की गई मांगे, अन्य बातों के साथ-साथ : (1) मई, 1972 को पश्चिम बंगाल के जूट सम्बन्धी समझौते को कुछ मद्दों को कार्यान्विति का न किये जाने, (2) श्रमिकों के कुछ वर्गों के सम्बन्ध में ग्रेडों/वेतन-मानों, समयदरों और उजरत-दरों के संशोधन, जिनके सम्बन्ध में मई, 1972 के समझौते में निपटाया नहीं जा सका, (3) बोनस आदि से संबंधित थी ।

10-13 जनवरी, 1974 के त्रि पक्षीय विचार-विमर्श के पश्चात् 13-1-74 को भारतीत जट मिल एसोसिएशन आर इन्टक, एच० एम० एस० और एन० एफ० आई० टी० यू० से सम्बद्ध तीन यूनियनों द्वारा, राज्य औद्योगिक सम्बद्ध तंत्र के समक्ष एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अन्य यूनियनोंने इस आधार पर की यह इनकी मांगों को पूरा नहीं करता, समझौते पर हस्ताक्षर कहने से इन्कार कर दिया। श्रमिकोंका एक भाग 15 जनवरी, 1974 से हड़ताल पर चला गया। पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग में 17 फरवरी, 1974 से हड़ताल वापस ले ली गयी थी। अन्य राज्यों में भी जूट श्रमिकों द्वारा हड़ताल को वापस ले लिया गया है ।

बिजली मजूरी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त संबंधी समिति का प्रतिवेदन

6434. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली मजूरी मार्ग निर्देशक सिद्धांत सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मजूरी पुनरीक्षण आनुषंगी लाभों, परिलब्धियों और सेवा की शर्तों के बारे में अपनाये जाने वाले सिद्धांतों के बारे में समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशों को क्रियान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) समिति ने मजदूरी में संशोधन अनुषंगी लाभों, परिलब्धियों और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें अभी देनी है; अन्तरिम सहायता से संबंधित इसकी सिफारिशें राज्य सरकारों और विद्युत बोर्डों के ध्यान में पहले ही ला दी गई है।

अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

6435. श्री शंकरराव सावंत : क्या **श्रम** मंत्री अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में 15 नवम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) अक्तूबर-दिसम्बर, 1973 के प्रत्येक महीने में और वर्ष 1974 के पहले दो महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था; और

(ग) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रत्येक महीने में बढ़ने के सामान्यतया क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) यह पहले ही 30—8—73 को जवाब दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 4947 के उत्तर में सभा की मेज पर रख गये विवरण संख्या 3 में वर्णित कर दी गई है।

(ख) उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :—

अक्तूबर (73)	नवम्बर (73)	दिसम्बर (73)	जनवरी (74)
254	259	260	264

(ग) यह वृद्धि उन वस्तुओं के मूल्यों मे हुई वृद्धि के कारण है, जो सूचकांकों के संकलन में आती हैं।

आस्ट्रेलिया को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के निर्मित सामान का निर्यात

6436. श्री नवल किशोल शर्मा :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के एक मिशन ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और आस्ट्रेलिया की हिन्दुस्तान मशिन टूल्स द्वारा निर्मित सामान के निर्यात के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये थे;

(ख) यदि हाँ, तो आस्ट्रेलिया को कितने मूल्य का एच० एम० टी० का सामान निर्यात किया जायेगा और उक्त करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप सरकार की कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। आस्ट्रेलिया के एक मिशन ने दिनांक 16 फरवरी, 1974 से 8 मार्च, 1974 तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का दौरा किया था। फिर भी, आस्ट्रेलिया को मशीनी औजारों के निर्यात के लिए उनके साथ कोई करार नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों को आनरेरियम तथा भत्ता देने के लिये धनराशि का नियतन

6437. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के जीवन तथा मृत्यु पंजीकरण विभाग के विभिन्न केन्द्रों में कार्य कर रहे नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों को आनरेरियम भत्ता देने के लिये केन्द्रीय सरकार धन-राशि का नियतन करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 का आनरेरियम भत्ता इस बीच नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों को दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों को 1971–72 का मानदेय दे दिया गया है।

(ग) 1970-71 और 1972-73 के दौरान नई दिल्ली नगर पालीका के कर्मचारियों को मानदेय न देने का कारण यह है कि इन वर्षों में नई दिलो नगर पालिका को इस प्रयोजन के लिए कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया था।

योजना आयोग द्वारा कोयला उत्पादन के लक्ष्यों में कमी

6438. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन नीति समिति ने मूलतः पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 1600 लाख टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य का सुझाव दिया था परन्तु योजना आयोग ने इसे कम कर के 1350 लाख टन कर दिया है;

(ख) इस कमी के क्या कारण है; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य क्या है और क्या यह ईंधन तेल की सप्लाई में कमी को देखते हुए कोयले की आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने 1978–79 के लिए कोयले की मांग 1350 लाख टन आंकी है जो व्यापक अन्तर-क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित है और तदनुसार पांचवीं योजना के लिए इस लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। परन्तु इन अनुमानों में घट-बढ़ की जा सकती है।

(ग) 1974–75 के लिए कोयले का उत्पादन लक्ष्य 950 लाख टन है, जिससे ईंधन-तेल की कम सप्लाई के कारण कोयले की बढ़ती हुई मांग के भी पूरा हो जाने की आशा है।

पाकिस्तानी संवाददाताओं द्वारा भारत का दौरा

6439. **श्री पी० ए० स्वामिनाथन् :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी संवाददाताओं के भारत के दौरे की तिथि भारत को बता दी गई है;

(ख) कितने पाकिस्तानी संवाददाता भारत के दौरे पर आ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें क्या सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह):(ख) से (ग) 19 फरवरी 1974 को पाकिस्तान सरकार को लिखे पत्र में, सरकार ने चार पाकिस्तानी पत्रकारों को फिर से निमंत्रण भेजा था, 1972–73 में पहले निमंत्रित किया गया था। इसके अलावा पांच और पाकिस्तानी पत्रकारों को भारत आने का निमंत्रण भेजा गया है। भारत-प्रवास के दौरान इन पत्रकारों का सरकारी अतिथियों के रूप में सत्कार किया जाएगा। सरकार के इस पत्र का पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई उत्तर अभी नहीं मिला है।

व्यापार संबंधी रुकावटों को दूर करने के लिए भारत–अमरीका संयुक्त आर्थिक आयोग

6441. श्री एस० एन० सिंह देव :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमरिका तथा भारत के बीच व्यापार सम्बन्धी रुकावटों को दूर करने के लिए दोनों देश का एक संयुक्त आर्थिक आयोग गठित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में वर्ष 1971 के व्यापार करार का पुनरीक्षण किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधिन है किन्तु इस बारे में अभी कोई अंतीम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) 1971 में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सरकार ने कोई व्यापार समझौता नहीं किया था हालाकि प्रस्तावित संयुक्त आयोग में अगर, और आपसी सहमति से जब यह गठित होता है तब, जिन विषयों पर विचार करने का ख्याल है उनमें दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों का प्रश्न भी शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोलार स्वर्ण खानों द्वारा स्वर्ण का निर्यात

6442. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोलार स्वर्ण खानों को अपने उत्पादन के कुछ प्रतिशत स्वर्ण का निर्यात करने तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में बेचने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चाय कम्पनियों दवारा भविष्य निधि के अंशदानों का जमा कराया जाना

6443. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अनेक चाय कम्पनियों द्वारा भविष्य निधि के अनुदानों के जमा न कराये जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए दोषी चाय कम्पनियों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी नहीं ।

(ख) ऐसे मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन देय राशियों की वसूली के लिए कार्यवाहियां शुरू की गई है । इस के अतिरिक्त, कई मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाए गए है और धारा के 14-ख अधीन हर्जाने लगाए गए हैं ।

ग्रेट ईस्टर्न होटल, कलकत्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न कराया जाना

6444. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन सालों के दौरान ग्रेट ईस्टर्न होटल, कलकत्ता के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त अवधि में कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न कराने वाले अन्य प्राइवेट होटलों के नाम क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रेट ईस्टर्न होटल लि०, कलकत्ता ने निम्नलिखित अवधियों संबंधी भविष्य निधि की देय राशियां जमा नहीं कराई हैं :—

(1) सितम्बर, 1971 के लिए;

(2) नवम्बर, 1971 से जुलाई, 1972 तक;

(3) अक्तूबर, 1972 से जून, 1973 तक;

(4) सितम्बर, 1973 से अक्तूबर, 1973 तक; और

(5) फरवरी, 1974 ।

(ख) प्रतिष्ठान के विरुद्ध मार्च, 1973 तक की चूकों के लिए अभियोजन चलाया गया है । मई, 1972 से जुलाई, 1972 तक की अवधि, जिसके लिए धारा 7क के अधीन कार्यवाही हाथ में है, को छोड़ कर मार्च, 1973 तक वसूली के लिए प्रमाण-पत्र दायर किए जा चुके हैं । प्रतिष्ठान को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 की धारा 7 क के अधीन अप्रैल, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक की अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया था, परन्तु जांच में उपस्थित होने की बजाय उन्होंने जुलाई,

1973, अगस्त 1973, नवम्बर 1973 और दिसम्बर 1973 के महीनों के लिए देय राशियों का भुगतान कर दिया। चुक की अवधि के लिए देय राशि का निर्धारण करने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 8 और 14(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में मैसर्स टावर होटल, कलकत्ता नामक ऐसा केवल एक प्राइवेट होटल है जिसने पिछले ग्यारह वर्षों या कुछ ऐसी ही अवधि के लिए भविष्य निधि अंशदानों का भुगतान नहीं किया है।

Provision of Medical Aid and Medicine to people in Rural Areas

6445. Shri Jagannathrao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the action taken to make available life-saving medicines free of cost or at cheap rates to the persons without means and those living in remote villages; and

(b) the number of persons benefited as a result thereof during the last three years, year-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) Free medical services, both curative and preventive are provided to the persons living in the rural areas, through a network of primary health centres and sub-centres. So far, on an average, the majority of the States are spending Rs. 4000 to Rs. 6,000 on drugs per primary health centre per annum.

During the Fifth Five Year Plan, under the Minimum Needs Health Programme, drugs worth Rs. 12,000 per annum per Primary Health Centre and Rs. 2000 per annum per sub-centre will be supplied by the State/Union Territory Government. Realising the need for ensuring availability of quality drugs for the masses, and to have a specific programme for this purpose under the Fifth Five Year Plan, the joint meeting of the Central Councils of Health and Family Planning which met in New Delhi from 5th to 7th April, 1974 has recommended the constitution of a Committee to examine the procurement agency that will be able to assist Central and State Governments in this regard.

As on 30-9-1973 there were 5,264 primary health centres in the country, each primary health centre catering to a population of about 80,000 to 100,000.

ईंधन नीति का कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन पर प्रभाव

6446. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की नई ईंधन नीति का कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में राज्यों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय तेल संकट के सन्दर्भ में उर्जा के देशी-साधनों के अच्छे और पूर्ण उपयोग को महत्व दिया जा रहा है। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रो के आवश्यक उत्पादन पर इस नीति के बुरे प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

कच्चे माल की अधिक लागत का इस्पात ट्यूब उद्योग पर प्रभाव

6447. **श्री तरूण गोगोई :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की अधिक लागत का इस्पात ट्यूब उद्योग पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) कच्चे माल की अधिक लागत के क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस्पात ट्यूब उद्योग के लिए इस्पात मुख्य कच्चा माल है। इस्पात के मूल्य में वृद्धि हो जाने का प्रभाव इस उद्योग के साथ साथ सभी अन्य उद्योगों की उत्पादन लागत पर भी पड़ा है। फिर भी, इस्पाती ट्यूबों के उत्पादन में गिरावट नहीं आई है, जैसा कि निम्नलिखित उत्पादन आंकड़ों से पता चलता है :--

वर्ष	जल तथा ढांचे आदि के लिए ब्लैक और गेल्वेनाइज्ड वेल्ड की गई इस्पात की पाइपें तथा ट्यूबे (मी० टन)	ई० आर० डब्ल्यू० इस्पाती ट्यूबें (मी० टन)
1971	2,34,133	30,071
1972 . .	3,22,219	29,333
1973 . .	3,25,000 (लगभग)	30,000 (लगभग)

टिप्पणी :--उपर्युक्त उत्पादन आंकड़े संगठित उद्योगों से लिये गये है, जिनमें कि इनका अधिक उत्पादन होता है।

(ग) इस्पात के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन लागत और उत्पादन शुल्क में वृद्धि का हो जाना है। इसका दूसरा कारण दिनांक 15-10-1973 से नई मूल्य नीति का लागू हो जाना है, जिसके अनुसार, प्लेटों, ढांचों और रेलवे के सामान को छोड़कर अन्य श्रेणी के इस्पात के मूल्यों में भिन्न-भिन्न राशियों में अधिक वृद्धि हो गई है। यह पहले की "सस्ते इस्पात" की नीति में संशोधन था, ताकि कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इस्पात की खपत कम की जा सके।

(घ) कच्चे माल के मूल्य में हुई वृद्धि एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है, जो कि हमारे देश में भी घटित हुई है। उठाये जा रहे कदमों का उद्देश्यों कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करना है।

कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने के लिए आधुनिक उपकरणों की सप्लाई करने के लिए माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन को क्रयादेश दिया जाना

6448. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के आधुनिकीकरण हेतु आधुनिक उपकरणों की सप्लाई के लिए माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड को आशयपत्र सहित क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कोयला खनन प्राधिकरण और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को क्रमशः 20.00 करोड़ रु० और 1.20 के मूल्य के उपकरण खरीदने के लिये आशय-पत्र दिये गये हैं।

नेपाल को दी जाने वाली भारतीय सहायता में परिवर्तन

6449. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल को दी जाने वाली भारतीय सहायता में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है और सहायता में किस प्रकार के परिवर्तन किये जायेंगे तथा इस बारे में नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच हुई बातचित का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत ने 1951 में नेपाल को सहायता देना शुरु किया था और अब तक वह करीब 105 करोड़ रुपये की सहायता दे चुका है जो ज्यादातर प्रायोजनाओं के लिए अनुदान के रुप में दिया गया है। इनमे से अधिकांश प्रायोजनाएं संचार, सिंचाई और बिजली के क्षेत्रों में अवस्थापनीय स्वरुप की थीं ।

विगत दो दशकों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, दोनों देश भारत-नेपाल सहायता कार्यक्रम के स्वरुप और विषय पर बराबर विचार करते रहे हैं। इस उद्देश्य से अप्रैल-मई 1973 में काठमांडू में और फरवरी 1974 में दिल्ली में दोनों देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधी मंडलों में विचार -विमर्श हुआ था । नेपाल में देवीघाट में एक पनबीजली प्रायोजना के निर्माण के लिए तथा नेपाल में सीमेंट का एक संयंत्र लगाने के लिए भारतीय सहायता के बारे में समझौते हुए हैं। इस बात पर भी सहमति हुई है कि पूर्व में काठमांडू को धनकुटा से जोड़ने वाली एक सड़क के निर्माण के लिए भी भारत द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे अन्य कई क्षेत्रों पर भी सहमति हुई जिनमें भारत-नेपाल का सहयोग लाभ-दायक होगा ।

सहायता में वृद्धि का ठीक-ठीक पता तभी लगाया जायेंगा जब कि उपर्युक्त प्रायोजनाओं की अंतिम रिपोर्ट तैयार हो जाएंगी ।

अल्यूमीनियम उद्योग को राजसहायता देना

6451. **श्री के० मालन्ना :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की दर में कमी कर के अल्युमिनियम उदयोग को राजसहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान इस बारे मे सरकार का हुई हानि की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारें मे सरकार की पुनरीक्षित नीति का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फ्रांस, ब्रिटेन और इटली की सहायता से छोटे युद्धपोतों का डिजाइन तैयार करना

6452. **श्री के० मालन्ना :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने छोटे युद्धपोतों के डिजाइनों के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और इटली से अनुरोध किया है;

(ख) यदी हां, तो जहाजों का निर्माण करने के लिए भारतीय नौसैनिक कर्मचारियों की सहायता के लिए जिन देशों के डिजाइन और तकनीकी जानकारी को भारत ने स्वीकार किया है उनके नाम क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच हुए करार का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) इस बारे में प्रस्ताव सक्रीय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं ।

20 लाख किलोवाट क्षमता वाले बिजली-घरों के लिए उपकरण सप्लाई करने के लिए रूसी प्रस्ताव

6453. **श्री के० मालन्ना :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 लाख किलोवाट की क्षमता वाले बिजली घरों के लिए उपकरण सप्लाई करने संबंधी रूसी प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए उनके मंत्रालय ने एक पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि फिलहाल भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड देश की मांग को पूरा करने में समर्थ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारतीय और सोवियत विशेषज्ञों के संयुक्त दल की एक बैठक में सोवियत पक्ष ने बताया कि उनका देश वर्ष 1976-80 की अवधि में उपकरणों की सप्लाई करके कुल 20 लाख कि० वा० तक की बड़ी क्षमता वाले तापीय बिजली घरों की स्थापना में सहायता कर सकता है। भारतीय पक्ष ने कहा कि इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

2. बड़े संयंत्रों और उपकरणों की उपलब्धता पर विचार करते समय यह अनुभव किया गया था कि तापीय जल तथा नभिकीय बिजली परियोजनाओं के लिए मुख्य बिजली जनित्रण संयंत्रों तथा उपकरणों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र के हेवी इलैक्ट्रिकल्स मैन्यूफैक्चरिंग एककों में पर्याप्त उत्पादन क्षमता का विकास कर लिया गया है । पांचवीं योजनावधि में संयंत्र और उपकरणों के आयात की बहुत कम मात्रा में ही आवश्यकता होगी जिनके लिये पहले ही प्रबंध कर लिये गये हैं ।

3. योजनागत कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए आवश्यक उत्पादन बनाये रखने हेतु पुर्जों और सामग्री को प्राप्त करने के बारे में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, सोवियत संघ से बराबर व्यवस्था किए हुए है ।

4. इसके अतिरिक्त, पांचवी योजना की अवधि के प्रारंभ में मांग और सप्लाई के बीच मामूली अंतर को पूरा करने के लिए सोवियत संघ से 200 मे० वा० के 2 टर्बो सेटों के आयात की व्यवस्था की गयी है । सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना में सोवियत सहायता का प्रस्ताव इस विचार से किया गया था कि ये विविध एकक 200 मे० वा० की निर्धारित क्षमता के होंगे, लेकिन पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 200 मे० वा० के सेट तैयार करने में भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० की क्षमता में वृद्धि हो जायेगी और यह योजना अवधि में होने वाली आवश्यकता को पर्याप्त रुप से पूरा कर लेगा, इसलिए यह निश्चय किया गया है कि इन वस्तुओं के आयात की आगे कोई आवश्यकता नहीं होगी । इसके अनुसार सोवियत प्राधिकारियों को इस स्थिति के बारे में उपयुक्त रुप से बता दिया गया है ।

कोयला जमा होने से कोयला खनन कार्य बन्द होना

6454. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला खानों में कोयले का भारी भंडार जमा हो जाने के कारण कोयला निकालने का काम बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और कोयले के जमा भण्डार की ढुलाई के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खानमंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तिब्बत में भारतीय एजेंटों की कथित तोड़फोड़ की गतिविधियों का ब्रिटिश समाचार पत्रों में समाचार

6455. श्री नरेन्द्र कुमार सोधी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "डेली टेलीग्राफ" द्वारा प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि तिब्बत में तोड़फोड की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर भारतीय एजेंट भेजें जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह आरोप बिल्कुल निराधार है ।

तकनीकी सैन्य कर्मचारियों की छंटनी

6456. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उपकरणों के उत्पादन और रखरखाव के लिए तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती हर वर्ष की जाती है, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो पाती;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की मंत्रालय की वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) क्या वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारी संख्या में भर्ती किये गये तकनीकी सैन्य अधिकारियों की छंटनी की जा रही है, जबकि ऐसे तकनीकी कर्मचारियों की पहले से ही अत्यधिक मांग हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की छंटनी करने के क्या कारण है और क्या ऐसे सभी अनुभवी अधिकारियों को रक्षा प्रतिष्ठानो में खपाने के लिए कोई योजनाये बनाई गई हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) मांग आवश्यकताओं और प्रशिक्षण क्षमता की उपलब्धता पर आधारित होती है । कोई विशिष्ट वार्षिक कोटा निर्धारित नहीं किया गया हैं ।

5—13 L.S.S/74

(ग) और (घ) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत 1965 में अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान किये गए तकनीकी स्नातकों की ओर है, जिन्हें स्थायी कमीशन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया अथवा जिन्होंने उसके लिए अपना विकल्प नहीं दिया और जो बढ़ाया गया 10 वर्ष का अपना कार्य काल पूरा करने के बाद 1975 में मुक्त हो जाएंगे। ऐसे सदस्य की संख्या कुल 97 अफसरों में से केवल 16 हैं।

सेवा मुक्त होने के पश्चात इन अफसरों को रक्षा मंत्रालय के पुर्नव्यवस्थापन महानिदेशालय द्वारा पुर्नवास के लिए सामान्य रूप से और सिविल क्षेत्र में रक्षा स्थापनाओं तथा अन्य स्थानों में नौकरी खोजने में सहायता दी जाएगी।

सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना का बुलाया जाना

6457. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए कितनी बार सेना भेजी गई, उनकी संख्या तथा विशिष्ट कार्य क्या-क्या था;

(ख) बढ़ते मूल्यों के विरुद्ध जनअसन्तोष को दबाने के लिए सेना के योग से जवानों के मनोबल पर उसका क्या प्रभाव पडा है; और

(ग) क्या आवश्यक वस्तुओं के जमा भण्डारों का पता लगाने और काले बाजार के विरुद्ध सेना का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1971 और 1973 के बीच 35 अवसरों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, 34 अवसरों पर अनिवार्य सेवा जारी रखने के लिए, 64 अवसरों पर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और 76 अवसरों पर अन्य प्रकार की सहायता के लिए सेना को तैनात किया गया। हर अवसर पर लगाए गये सैनिकों और विशेषकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किये गये सैनिकों की संख्या बताने से कोई लोक हित नहीं होगा।

(ख) सशस्त्र सेनाओं को सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए उपयोग किए जाने के परिणाम स्वरूप उनके मनोबल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है। सेनाएं तैनात करने का लक्ष्य शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने और जनता के लिए अनिवार्य सेवाएं जारी रखना था और किसी प्रकार के असन्तोष को दबाना नहीं।

(ग) काले-बाजार में अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी के विरुद्ध सशस्त्र सेनाओं को उपयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसे बिलकुल सिविल प्रशासनिक कार्यों के लिए बढ़िया किस्म की सशस्त्र सेनाओं की जरूरत नहीं है।

भिलाई, रुरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

6458. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है और क्या कोयले की कमी के कारण वहां का काम धीमी गति से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और सरकार ने इस संबंधी में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों की वार्षिक निर्धारित क्षमता तथा वर्ष 1973-74 के उत्पादन के अस्थायी आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिखाए गए है :–

(हजार टन)

कारखाना	निर्धारित क्षमता		उत्पादन	
	इस्पात पिण्ड	विक्रय इस्पात	इस्पात पिण्ड	विक्रय इस्पात
भिलाई .	2500	1965	1894	1680
राउरकेला . .	1800	1225	1081	735
दुर्गापुर . . .	1600	1239	776	375
जोड़ .	5900	4429	3751	2790

उपर दी गई तालिका से यह पता चलेगा कि भले ही भिलाई का उत्पादन निर्धारित क्षमता से कम था, परन्तु वह इतना कम नहीं था ।

वर्ष 1973-74 में उत्पादन पर मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है :—

(1) बिजली की सप्लाई में भारी कटौती तथा रुकावटें विशेषतया अप्रैल-नवम्बर, 1973 की अवधि में, जिससे भिलाई को छोड़कर सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा । (2) कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि न होना जिसका कारण भी बड़ी हद तक इस अवधि में बिजली की सप्लाई में की गई कटौती तथा रुकावट था जिससे समस्त झरिया कोयला क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा । परिणामस्वरूप कोयला शोधनशालाओं और कोयला खानों में काम कम हुआ जिससे सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा और (3) रेलवे में, विशेषत: दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी रेलवे में थोड़े थोड़े समय के पश्चात धीमीगति से काम करने की घटनाएं तथा औद्योगिक अशान्ति जिससे कोयले और दूसरे कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों के लाने-ले जाने पर प्रभाव पड़ा । परिणामस्वरूप कच्चे माल की कम आवक को देखते हुए उत्पादन में भारी कमी करना आवश्यक हो गया । मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण भी दुर्गापुर इस्पात कारखाने में और कुछ हद तक राउरकेला इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा । ठीक तौर पर यह बताना कठिन है कि केवल कोयले की कमी के कारण उत्पादन में कितनी हानि हुई है । बिजली की सप्लाई तथा रेल यातायात के बारे में सिंचाई और बिजली मंत्रालय दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों, संबंधित राज्य सरकारो तथा रेलवे से निकट संपर्क स्थापित किया गया है । स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इसकी लगातार समीक्षा की जाती है ।

सोने का खनन

6459. श्री धामनकर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा ड्रिलिंग सहित सोना निकालने के लिए और भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा भूमिगत खान विकास की एक समन्वित कार्यक्रम वाली योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटड पहले ही कोलार चट्टानी परत के 60 किलोमीटर स्वर्णक्षेत्र की एक छोटी सी पट्टी में सोने की खुदाई कर रहा है। कम्पनी ने देश के कुछ अन्य ज्ञात स्वर्णधारी क्षेत्रों में कुछ खानें फिरसे खोलने की संभावना पर विचार किया है, जहां पहले छुटपुट स्वर्ण खनन का काम होता रहा है। प्राप्त आंकड़ों के गहन अध्ययन के आधार पर भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा समन्वेषण तथा भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा परवर्ती खान विकास के लिए एक समेकित योजना तैयार की गई है। खनिज प्राप्ति स्थलों की आर्थिक उपादेयता के निर्धारण हेतु परिणामों की संयुक्त परीक्षा के बाद, इस योजना में आरम्भिक भूतल समन्वेषण और तत्पश्चात भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा गहन अधोभूमि ड्रिलिंग कार्य तथा भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा आगे का समन्वेषी खान विकास कार्य किया जायेगा। योजना का ब्यौरा तथा शुरु किए जाने वाले काम का वास्तविक परिणाम प्रारम्भिक भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के दौरान प्राप्त परिणामों पर निर्भर होगा।

मालापुरम अपहिल गोलाबारी रज वाली भूमि को नगर के विकास के लिए खाली करना

6460. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **रक्षा** मंत्री मालापुरम अपहिल गोलाबारी रेंज की जगह के बारे में 21 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4055 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उनके मंत्रालय से अपने पत्र संख्या 30516/वी० 3/69/पी० डब्ल्यू० और संख्या 16875/वी० 3/71 पी० डब्ल्यू० दिनांक क्रमशः 11 जनवरी, 1971 और 26 अक्तूबर, 1972 में अनुरोध किया है कि वह मालापुरम अपहिल गोलाबारी रेंज वाली भूमि को नगर के विकास के लिए खाली कर दे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन। तथापि अपहिल गोलाबारी रेंज मालापुरम को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने में हमारी असमर्थता प्रकट करते हुए रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या बी०/50650/क्यू० 3 एल० (साउथ)/8899-क्यू०/डी० (क्यू० एण्ड सी०) दिनांक 11 दिसम्बर, 1971 के द्वारा केरल सरकार के पत्र संख्या 30516/वी० 3/69/पी० डब्ल्यू०, दिनाक 11 जनवरी का उत्तर भेज दिया गया था। 26 अक्तूबर 1972 को उनका पत्र प्राप्त हो जाने के बाद इस मामले पर पुनः विचार करने का निर्णय किया गया। सेना द्वारा मलमुरी में अन्य रेंज का उपयोग करने की व्यवहार्यता का सेना मुख्यालयों और स्थानीय सेना प्राधिकारियों के परामर्श से अध्ययन किया जा रहा है। जैसे ही कोई निर्णय हो जाएगा राज्य सरकार को सूचित कर दिया जाएगा।

राज्यों में नकली औषधियों की बिक्री

6461. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में औषध बिक्रेता बड़ी मात्रा में नकली औषधियां बेचते हैं ;

(ख) क्या वे औषधियों के नमूने बेचते हैं जिससे सरकारी खजाने को भारी हानि उठानी पड रही है क्योंकि कम्पनियां नमूनों पर जो मुफ्त बांटने के लिए होती हैं, के उत्पादन शुल्क का भुगतान नहीं करती; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां। भारतीय उपभोक्ता परिषद द्वारा प्रकाशित "औषधि अपमिश्रण सर्वेक्षण" में यह बात कही गई है।

(ख) और (ग) नमुने के तौर पर चिकित्सकों को दी जाने वाली दवाइयां कैमिस्टों द्वारा बेची जा रही है ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अधीन केमिस्ट लोग चिकित्सकों के नमुनों की न तो बिक्री कर सकते हैं और न उनका स्टाक ही रख सकते हैं। केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें नकली दवाइयां की समस्या से परिचित हैं और इस समस्या को प्रभावकारी ढंग से हल करने के लिए कार्यवाही शुरु कर दी गई है।

बंगलौर में आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ इन्डीजिनस मेडिसिन्स की स्थापना

6462. श्री ए० के० कोत्राशेट्टी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ इंडीजिनस मेडिसिन्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का निर्णय क्या है और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक अखिल भारतीय संस्थान खोलने का विचार है। इस संस्थान को कहां पर खोला जायेगा इस बारे में भारत सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा में और इसकी सभी शाखाओं में शिक्षण के स्वरूप का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ताकि भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी कालेजों और सम्बद्ध संस्थानों के सामने चिकित्सा शिक्षा का एक उच्च स्तर रखा जा सके और आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान की सुविधायें दी जा सकें।

भारत की समुद्रतटीय सुरक्षा के लिए "कौरवेटे" युद्धपोतों का उपयोग

6463. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना समुद्रतटीय सुरक्षा के लिए "कौरवैटे" युद्धपोतों का उपयोग करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारतीय नौसेना द्वारा कावेत्ती युद्धपोत का उपयोग करने का एक प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस बारे में आगे और ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स के लिए रुसी प्रस्ताव

6464. श्री डी० के० पण्डा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० के लिए एक रूसी प्रस्ताव को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सोवियत संघ द्वारा भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को किसी प्रस्ताव की सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण पुर्तगाल द्वारा मोजमबीकनों को दक्षिण-अफ्रीकी खान मालिकों के हाथ बचना

6465. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जर्मन जनवादी गणतंत्र के प्रमुख समाचार-पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुर्तगाल हर वर्ष लगभग 1,00,000 मोजमबीक को दक्षिण अफ्रीकी खान मालिकों को एक वर्ष की अवधि के लिए बेचता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्रसंघ में अपने स्थायी प्रतिनिधि के अनुदेश देने का है कि वह संयुक्त राष्ट्र की "मानव अधिकार" आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से विश्व जनमत तैयार करे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) जी हां ।

(ख) जहां तक भारत सरकार को मालूम है दक्षिण अफ्रीका के भरती-अधिकारी अपनी खानों के लिए मजदूरी भरती करने के उद्देश्य से मोजाम्बीक और दूसरे औपनिवेशिक प्रदेशों में गए थे । यह सवाल जब कभी भी मानवाधिकार आयोग में, आर्थिक-सामाजिक परिषद अथवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में उठाया गया है, तभी भारत ने जबर्दस्ती भरती करने की इस अधित्तिजनक प्रथा को समाप्त करने के लिए कहा है ।

Memo from Bokaro Steel Workers Union

6466. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a memorandum had been sent to him some days back on behalf of Ispat Kamgar Union (Steel Workers' Union), Bokaro;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) No, Sir. However, a copy of the Memorandum from the Bokaro Ispat Kamgar Union addressed to Deputy Labour Commissioner, Government of Bihar, about the lock-out by M/s Garden Reach Workshop Ltd. has been received in the Ministry.

(b) and (c) It is for the State Government to whom the Memorandum is addressed to take necessary action in the matter.

Expenditure on Family Planning During Fifth Plan

6467. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Giridhar Gomango :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the total expenditure proposed to be incurred on account of family planning by the Government during the Fifth Plan; and

(b) the state-wise figures of that expenditure?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa): (a) Rs. 516 crores.

(b) The State-wise allocation of the above amount is yet to be finalised.

Annual Expenditure on Indian Embassy in USA

6468. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total annual administrative and other expenditure incurred on Indian Embassy in U.S.A., the expenditure incurred during 1970 and the percentage increase for the present; and

(b) whether Government have contemplated and implemented some measures to reduce the expenditure and if so, the extent thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The total annual administrative and other expenditure incurred on Indian Embassy in U.S.A., during 1970-71 was Rs. 195.14 Lakhs while that for 1973-74 is expected to be of the order of Rs. 162.43 lakhs. The *decrease* in expenditure is 16.8% approximately.

(b) Yes, Sir. The work and staffing patterns have been rationalized, and economy cuts imposed on contingent and miscellaneous expenditure with a view to effecting reduction in the overall expenditure.

Legislation Regarding Labour Participation in Management

6469. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the concept of full participation of workers in the management;

(b) if so, the reasons for which Government do not bring the said concept on the statute-book; and

(c) whether Government propose to bring forward a legislation in the House, providing for equal rights for the labourer and a director in the management?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) Government propose to bring forward a comprehensive Industrial Relations Bill. The proposal for a provision about labour participation in management would be kept in view while finalising this Bill.

भारतीय डाक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए ओमन सरकार का अनुरोध

6470. श्री वीरभद्र सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या ओमन सरकार ने अपने देश के लिए डाक्टर और अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों को भजने के लिए भारत से अनुरोध किया है !

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले मे भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने ओमान सरकार को शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये हैं । चार डाक्टर वहां पहले से ही है और चार और डाक्टर शीघ्र ही ओमान रवाना होने वाले हैं ।

गैर सरकारी क्षेत्र में लघु इस्पात संयंत्र

6471. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री लघु इस्पात संयंत्रों के बारे में 14 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3051 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) विभिन्न कम्पनियों को लाइसेंस देने के लिए क्या मापदण्ड अपनाये गए हैं ; और

(ग) क्या इनमें से किसी कम्पनी का किसी प्रकार बड़े औदयोगिक गृहों से संबंध है और यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करने के मामले में क्या कार्यवाही की गई है जिसमें एकाधिकारों और आर्थिक शक्ति के जमाव को रोका जा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) लोक सभा के 14 मार्च 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 3051 के उत्तर में उल्लिखित 128 विद्युत भट्टी इकाइयों में से 33 इकाइयों के पास औदयोगिक लाइसेंस हैं। उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। शेष में से 8 इकाइयों के पास आशय पत्र हैं, और 3 इकाइयों को लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश के अधीन प्राधिकृत किए गए है और शेष इकाइया औदयोगिक लाइसेंस देने की उदार नीति के अर्न्तगत लोहा और इस्पात नियन्त्रक के पास पंजीकृत है।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस देते समय सरकार की औदयोगिक नोति तथा विभिन्न दूसरी बातों जैसे आवश्यक सामग्री की उपलब्धि, राज्यसंयुक्त क्षेत्र उपक्रमों की वरीयता, क्षेत्रीय बिखराव निर्यात की गूंजीयश तथा अन्य सम्बन्धित बातों पर उचित रूप से विचार किया जाता है।

(ग) अब तक जिन इकाइयों को विद्युत भट्टियां लगाने की अनुमति दी है उनमें से निम्नलिखित इकाइया औदयोगिक लाइसेंस देने की नीति की जांच समिति, जुलाई 1969 के अनुसार 20 बड़े बड़े उद्योग घरानों की है :—

(1) जे० के० आयरन एन्ड स्टील कं०, लि० कानपुर।	26–12–1959 को अर्थात् एम आर०टी०पी० एक्ट के बनने से पहले लाइसेंस दिया गया था।
(2) मोती लाल पदमपत शुगर मिल्स कं० (प्रा०) लि०, कानपूर।	इस इकाई की स्थापना उस समय हुई थी जब यह उद्योग औदयोगिक लाइसेंस के क्षेत्र में नहीं था और बाद में सी० ओ० बी० लाइसेंस पाने का हकदार हो गया था।
(3) टाटा आयरन एन्ड स्टील कं० आदित्यपुर।	—वही—

उद्योग विकास तथा विनियमन, अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस देने के लिए सभी प्रस्तावों की जांच करते समय एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 के सन्दर्भ में कंपनी कार्य विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंसीकृत विद्युत्त भट्टी इकाइयां

	क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	स्थान
	1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1	आन्ध्र स्टील निगम लि०, विशाखापत्तनम् .	विशाखापत्तनम्
बिहार	2	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० आदित्यपुर	आदित्यपुर
	3	उषा एलायज एण्ड स्टील लि०, आदित्यपुर .	आदित्यपुर
गुजरात .	4	पोली स्टीलज (इंडिया) लि०, भावनगर .	भावनगर
हरियाणा	5	वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स लि०, फरीदाबाद	फरीदाबाद
केरल . .	6	स्टील कम्पलेक्स लि०, कालीकट .	कालीकट
मध्य प्रदेश .	7	एलाइड स्टीलज लि०, रायपुर . .	रायपुर
	8	कन्सोलिडेटिड स्टीलज एण्ड एलायज लि०, मुरैना	मुरैना
महाराष्ट्र .	9	मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, कलवे	कलवे
	10	गोगटे स्टीलज लि०, तारापुर . .	तारापुर
	11	महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक तथा निवेश निगम, बम्बई ।	बम्बई
	12	कृष्ण स्टील इंडस्ट्रीज लि० बम्बई 1	बम्बई
कर्नाटक .	13	भोरूला स्टील लि०, बंगलौर . .	बंगलौर
	14	आन्ध्र स्टील निगम लि०, बंगलौर .	बंगलौर
पंजाब .	15	पंजाब कन्कास्ट स्टीलज लि०, लुधियाना	लुधियाना
तामिलनाडु .	16	तमिलनाडु औदयोगिक विकास निगम लि०, आरकोनम ।	आरकोनम
उत्तर प्रदेश .	17	जे० के० आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, कानपुर	कानपुर
	18	राठी एलाय एण्ड स्टीलज ,गाजियाबाद .	गाजियाबाद
	19	मोतीलाल पदमपत शूगर मिल्स कम्पनी (प्रा०) लि०, कानपुर	कानपुर

	क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	स्थान
	1	2	3
उत्तर प्रदेश-जारी			
	20	इलक्ट्रो स्टीलज कास्टिगज लि० गाजियाबाद	गाजियाबाद
	21	मोदी इंडस्ट्रीज लि०, मोदी नगर	मोदीनगर
	22	अमृत स्टीलज लि०, गाजियाबाद	गाजियाबाद
	23	यू० पी० स्टीलज लि०, मुज्जफरनगर	मुज्जफरनगर
	24	सोमानी स्टीलज लि०, ऊना . .	ऊना
	25	वेद स्टीलज, लखनऊ . . .	लखनऊ
	26	रेनबो स्टील लि०, मुज्जफरनगर	मुज्जफरनगर
पश्चिमी बंगाल .	27	नेशनल आयरन एण्ड स्टील कपम्नी लि०, हावड़ा	हावड़ा
	28	हिन्दुस्तान आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, कलकत्ता ।	कलकत्ता
	29	स्टील रोलिंग मिल्स आफ हिन्दुस्तान (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।	कलकत्ता
	30	इन्डो-जापान स्टीलज लि०, हावड़ा	हावड़ा
	31	पेंज स्टीलज लि०, शाहगंज . .	शाहगंज
	32	सिद्धार्थ स्टीलज लि०, कलकत्ता . .	कलकत्ता
	33	सिलिगुरी स्टीलज, सिलिगुरी, कलकत्ता .	कलकत्ता

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल का भूगर्भीय सर्वेक्षण

6472. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने के लिए केरल राज्य के विभिन्न भागों का भूगर्भीय सर्वेक्षण करने की कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) केरल सरकार द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य के विभिन्न भागों का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई है। तथापि, केरल सरकार के पांचवीं योजना के मसौदे में केरल के भूतत्व और खनन निदेशालय द्वारा खनिजों के लिए किए जाने वाले खोले कार्यों के प्रस्ताव में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का समावेश होगा । बन क्षेत्रों में खनिजों की खोज करने का प्रस्ताव है ।

केरल के ग्रामीण अस्पतालों को सहायता

6473. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में, राज्यवार, ग्रामीण अस्पतालों की संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्रीय सरकार से सहायता मिल रही है ;

(ख) क्या कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत इस सहायता में वृद्धि की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) भारत सरकार राज्य सरकारों की ग्राम अस्पतालों के लिये कोई सहायता नहीं देती है;

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

इस्पात उद्योग की संयुक्त वार्ता समिति की बैठक

6474. श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री रामसहाय पाण्डे :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1974 के तीसरे सप्ताह में इस्पात उद्योग की संयुक्त वार्ता समिति (ज्वांइट निगौगशिएटिंग कमेटी) की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय लिया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बैठक में हिन्दुस्थान स्टील लि० के भिलाई, दुर्गापुर, औट राउरकेला के इस्पात कारखानों बोकारो इस्पात कारखाने, टिस्को, इस्को और मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि० के लिए वर्ष 1974–75 के लिए उत्पादन लक्ष्य निश्चित किए गए थे। यह लक्ष्य यह मानकर रखे गये थे कि बिजली तथा अन्य सामग्री जैसे कोयला लौह-अयस्क आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी।

पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच घनिष्ट संबंध

6475. श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री रामसहाय पाण्डे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की और दिलाया गया है कि पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होने में भारत बाधक बन रहा है और इस प्रकार अप्रैल, 1974 में होने वाली त्रिपक्षीय बैठक की योजना के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान की कुछ अखबारी और रेडिओ रिपोर्टों को देखा है।

(ख) इस प्रचार का इसी बात से पर्दाफ़ाश हो जाता है कि भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीयों बातचीत कार्यक्रमानुसार, नई दिल्ली में 5 अप्रैल, 1974 को आरम्भ हो गई है। इसके अलावा मतभेद दूर करने, संबंधों को सामान्य बनाने और उप-महादवीप में स्थायी शान्ति की स्थापना के उद्देश्य से, सरकार द्वारा की गई पहल इतनी सुविदित है की इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

यूनाइटिड अरब एमीरेटस के विदेश मंत्री का दौरा

6476. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाईटिड अरब एमीरेट्स ने भारत के साथ पारस्पारिक संबन्ध के विभिन्न प्रस्तावों में विशेष रुचि दिखाई है ;

(ख) क्या यूनाइटिड अरब एमीरेट्स के विदेश मंत्री ने लाहोर में इस्लाम शिखर-वार्ता में भाग लेने के बाद दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी ; और

(ग) यदि हां, तो वार्ता का क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । संयुक्त अरब अमीर राज्य के विदेश मंत्री, महामान्य अहमद खलीफा अल सुवेदी ने 25 से 28 फरवरी, 1974 तक भारत की सरकारी यात्रा की थी ।

(ग) संयुक्त अरब अमीर राज्य के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान बात पर सहमति हुई थी कि उर्वरक, शोध कारखानों, सीमेंट संयंत्रों, इस्पात तथा अन्य सहायक उद्योगों के क्षेत्रों तथा एक दूसरे देश के लिए आवश्यक वस्तु आदान-प्रदान में भी सहयोग की संभवनाएं हैं । वाणिज्यक, आर्थिक और क्षेत्रों में सहयोग को बढाने की दृष्टी से यह निर्णय किया गया था कि दोनों के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में सम्मिलित आर्थिक, तकनीकी और वज्ञानिक कमीशन की स्थापना की जाए ।

भारत की मुस्लिम आबादी के प्रतिनिधियों को लाहौर इस्लामी सम्मेलन का आमन्त्रण

6477. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया** :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क प्रेस में प्रकाशित समाचारों के अनुसार लाहोर के इस्लाम सम्मेलन द्वारा भारत को मुस्लिम आबादी के एक प्रतिनिधि का आमन्त्रण दिए जाने का सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को ऐसे किसी निमंत्रण की जानकारी नही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

195 युद्धबन्दियों के बारे में बंगलादेश के प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का आकाशवाणी से प्रसारण

6478. श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :
श्री निहार लास्कर :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने 195 युदंधवंदियों के बारे में बंगलादेश के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य को आकाशवाणी से प्रसारित करने के संबंध में भारत सरकार से आपत्ति की है।

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उल्लेख किया है कि भारत इस पक्ष में नहीं है कि पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच अच्छे संबंध बने ; और

(ग) इस बारे में भारत का दृष्टिकोण क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस बारे में पाकिस्तान से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तौलने वाली मशीनों के लिए विदशी फर्मों को क्रयादेश

6479. श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तौलने वाली मशीनों के लिए क्रयादेश देते समय पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने कुछ विदेशी फर्मों के प्रति पक्षपात दिखाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ख) क्या देश के लघु उद्योगों की इस बारे में उपेक्षा की गई थी; और

(ग) क्या उनसे सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बड़े उद्योग और लघु उद्योग एककों को आर्डर दिये गये थे :—

(1) प्रत्यक निविदाकार के उत्पाद की स्वीकार्यता और उनका पिछला निष्पादन;

(2) सफलतापूर्वक सप्लाई करने की उनकी योग्यता और क्षमता ; और

(3) प्रत्येक फर्म के पास सम्पूर्ण भारत में डाक तथा तार पारेषितों को 'खरीद के बाद की सेवा' प्रदान करने की सुविधा की उपलब्धता।

जिन फर्मों को ठेके दिये गये थे उनका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	फर्मों का नाम	उनका सम्बद्ध वर्ग
1	मैसर्स लिब्राइंडस्ट्रीज, बम्बई	लघु उद्योग एकक
2	मैसर्स एशियाटिक मशीनरी कारपोरेशन, हावड़ा	—वही—
3	मैसर्स नारने तुलेमान मैन्युफैक्चरिंग (प्रा०) लि०, हैदराबाद .	—वही—
4	मैसर्स एव्रो (इ०) लि०, नई दिल्ली	बड़े उद्योग एकक

(ग) लघु उद्योग एककों में से एक ने पूरी मात्रा का ठेका देने के लिए इस विभाग को अभ्यावेदन दिया था । राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा जब इस खास लघु उद्योग एकक को मशीनों के नमूनों का परीक्षण किया गया ; वे विशिष्टाओं के अनुकूल नहीं पाई गई । इस बात पर घ्यान न देते हुए और केवल लघु उद्योग एकको को सहायता पहुंचाने के दृष्टकोण से एवं भविष्य में लघु उद्योग एककों से खरीद करने हेतु क्षेत्र तैयार करने के लिए इस एकक को एक ठेका (मूल्य रु० 8,35,560.00) इस शर्त पर दिया गया था कि सम्पूर्ण सप्लाई निर्दोष होनी चाहिए । इस फर्म द्वारा दिय गये प्रचुर नये नमूनो का राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा पुनः परीक्षण किया गया परन्तु उनमें परिवर्तन पाया गया । फर्म को पहले ही निर्दोष प्रचुर सप्लाई करने की सलाह दी गई है ।

सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे फिल्मों की कमी

6480. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे फिल्मों की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकारी अस्पतालों में अपेक्षित मात्रा में एक्स-रे फिल्मों की सप्लाई पुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन संत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) यह प्रश्न नहीं उठते ।

Special Facilities to Augment Capacity of Machine Manufacturing Industry

6481. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to extend special facilities for augmenting the capacity of machine manufacturing industries; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the Press Note dated 4-3-74 issued by the Ministry of Industrial Development is enclosed. **[Placed in Library. See No. L.T. 6686/74.]**

Manufacture and Supply of Arms by India to other Countries

6482. Shri Chandulal Chandrakar :

Shri M. Ram Gopal Reddy :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether India has manufactured light arms and supplied to other countries;

(b) if so, the main features thereof during the last three years;

(c) the steps being taken by Government to speed up their production; and

(d) the amount of foreign exchange earned during the last three years, year-wise by selling these arms to other countries?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. To certain friendly countries on commercial basis.

(b) to (d) It would not be in the public interest to disclose further details.

चौथी योजना की अवधि में उड़ीसा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों का पूरा किया जाना

6483. **श्री गिरिधर गोमांगों :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को चौथी योजना के अंत तक जिला वार कितने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को पूरा किया गया है ;

(ख) चौथी योजना के आरम्भ में राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी तथा चौथी योजना के अन्त तक जन्म नियंत्रण की दर कितनी थी ; और

(ग) अनुचित जन्म नियंत्रण उपायों पर रोक लगाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) चौथी योजना अवधि 1969–70 से 1973–74 तक (जनवरी, 1974 तक) के दौरान उपलब्धियों सम्बन्धी अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) जनसंख्या प्रक्षेपणों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के अनुमानों के अनुसार 1 मार्च, 1969 को उड़ीसा की कुल जनसंख्या 209.4 लाख थी ।

चौथी योजना के अन्त में आए जन्म दरों के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है । तथापि भारत के महापंजीकार को नमूना पंजीयन योजना द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमान के अनुसार राज्य में 1969 में 38.2 प्रति हजार जनसंख्या की जन्म दर की तुलना में 1972 में यह दर 34.3 प्रति हजार जनसंख्या थी, जिससे 10.2 प्रतिशत की कमी दिखाई देती है ।

(ग) परिवार नियोजन एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसमें कुछ भी दबाव नहीं डाला जाता। भारत सरकार ने हिदायतें जारी की है कि आदिम जाति क्षेत्रों में परिवार नियोजन के बजाय स्वास्थ्य की देखभाल पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। तथापि परिवार सम्बन्धी शिक्षा और सेवाओं की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

उड़ीसा राज्य में चौथी योजना अवधि 1969–70 से 1973–74 तक (जनवरी, 1974 तक) के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम की जिलेवार उपलब्धियां।

	जिला	नसबन्दी	लूप	समकक्ष गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता	कुल अपनाने वाले
1	बालासोर . . .	35 385	33,015	2,262	70, 662
2	बोलंगीर . .	13,827	5,990	1,107	20,924
3	कटक . . .	87,129	41,799	2,839	1,31,767
4	धेनकन्हाल . .	19,862	10,048	2,430	32,340
5	गंजम . . .	37,533	17,982	3,514	59,029
6	कलहंडी . . .	21,561	5,709	1,093	28,363
7	किओनंझार . .	24,325	18,773	1,653	44,751
8	कोरमपुर . .	51,824	8,449	1,594	61,867
9	मयूरभंज . .	47,172	28,706	2,441	78,319
10	फुलबानी . .	9,235	7,806	1,841	18,882
11	पुरी . . .	33,228	16,421	3,088	52,737
12	सम्भलपुर . .	25,510	7,441	3,028	35,979
13	सुन्दरगढ़ . .	20,462	11,135	2,631	34,228
	योग .	4,27,053	2,13,274	29,521	6,69,848

उड़ीसा में न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्विति

6484. श्री गिरीधर गोमांगो : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा में आदिमजाति के अशिक्षित श्रमिकों को उचित मजूरी देने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में उड़ीसा न्यूनतम मजूरी अधिनियम अब तक कहां तक लागू किया गया है ;

(ख) विभिन्न विभागों के ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को इस समय दी जाने वाली मजूरी की दर कितनी है; और

(ग) इस संबंध में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है और पांचवी योजना के प्रस्ताव तक कार्यक्रम क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला मुख्यतया राज्य कार्यक्षेत्र में आता है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, उन रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित।संशोधित की गई है, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार "समुचित सरकार" है। ये मजदूरी दरें रोजगार की सभी जगहों पर लागू होती हैं और ये केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं, जिन्हे प्रभावी रूप से कार्यान्विताति सुनिश्चित करने के लिए, अनुदेश दिए जाते हैं।

ठेकेदारों द्वारा भुगतान की जाने वाली मजदूरियों की वास्तविक दरों के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। तथापि जब कभी अधिसूचित मजदूरी दरों से कम मजदूरी के भगतान के संबंध में शिकायत प्रवर्तन अधिकारियों के ध्यान में ला दी जाती हैं, कार्रवाई की जाती है।

सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़के बनाना

6485. **श्री सैयद अहमद आगा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन द्वारा डोनवारी को गुरेज, मछिल को कलारू और चौकीवाल को डेगंदार से मिलाने वाली सड़कों का निर्माण कब तक किया जायगा; और

(ख) मधुमति नाले पर 3 टन भार उठाने लायक पुल कब तक बनाया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) चौकीवाल-ठेकेदार सड़क पर संघटक कार्य के 1975-76 तक और सतही निर्माण कार्य के 1977-78 तक पूर हो जाने की योजना है। डोनवारी से गुरज और मछिल से कालारू की सड़के सीमा सड़क विकास बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

(ख) मधुमति नाले पर 3 टन भार उठाने लायक एक वैली पुल 1974-75 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

उत्तर भारत के व्यक्तियों का विदेशों में जाना

6486. **श्री श्रीकिशान मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान उत्तर भारत से अनेक व्यक्ति विदेशों को जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके विदेशों में जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुल कितने व्यक्ति विदेशों को गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) से (ग) सरकार को पिछले वर्ष के दौरान कोई बड़े पैमाने पर उत्तर भारत से विदेशों में लोगों क चले जाने की जानकारी नहीं है।

Foreign Assistance for Pakistani P. O. Ws. in India

6487. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the replies given to Unstarred Question No. 292 and Starred Question No. 487 on the 21st February, 1974 and on the 28th March, 1974 respectively and state the foreign assistance, if any, received for Pakistani Prisoners of War in India?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): No foreign assistance was received for Pakistani Prisoners of War in India.

6—13 L. S. S. (ND)/74

नई दिल्ली/दिल्ली के पुनर्वास कालोनियों में खाली पड़े प्लाट और उनकी निलामी

6488. **श्री अम्बेश** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली/दिल्ली के प्रत्येक पुनर्वास कालोनी के प्रत्येक ब्लाक में कितने प्लट खाली पड़े हैं;

(ख) नई दिल्ली/दिल्ली के उपरोक्त पुनर्वास कालोनियों के प्रत्येक ब्लाक में ऐसे प्लाटों की संख्या कितनी है जिन की पिछले वर्षों में नीलामी हुई है; और

(ग) प्लाटों की नीलामी से कुल कितनी आय हुई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) नई दिल्ली/दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में प्रत्येक ब्लाक में खाली प्लाटों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक I) [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6687/74**]। इनमें वे प्लाट शामिल नहीं है जो निपटारे के लिए उपलब्ध है परंतु जिन पर अनधिकृत कब्जा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्वास कालोनियों में प्रत्येक ब्लाक में नीलाम किए गए प्लाटों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक II)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6687/74**]

(ग) 95,15,900.00 रुपए।

गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा कोक का परिष्करण

6489. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में गैर-सरकारी निर्माताओं को कोक के परिष्करण की अनुमति दे दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) 13 जुलाई, 1973 तक बिहार सरकार ने, हार्ड कोक बनाने के लिए, 53 एककों को अस्थायी तथा चार एककों को स्थायी आधार पर पंजीकृत किया है। 13 जुलाई, 1973 के बाद, 13 एककों को, जो पहले अस्थायी आधार पर पंजीकृत किये गये थे स्थायी आधार पर स्थापित कर दिया गया। पंजीकरण की शर्तों तथा कारणों के बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

उड़ीसा के ग्राम्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र

6490. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के ग्राम्य क्षेत्रों में इस समय कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं;

(ख) क्या वहां और अधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की सरकार की योजनाएं हैं तथा उड़ीसा और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जनसंख्या की तुलना में इनकी संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० क० किस्कु) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में 2,00,99,220 ग्रामीण लोगों को (1971 की जनगणना के अनुसार) चिकित्सा

और स्वास्थ्य देखरेख सुविधायें प्रदान करने के लिये (30 सितम्बर, 1973 की स्थिति के अनुसार) 313 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1665 उप केंद्र है । इसके मुकाबले वहां पर 49,24,582 आदिवासी हैं । इस राज्य में एक और प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र खोला जाना है । औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के अन्तर्गत करीब 64,000 लोगों को इलाज की सुविधायें दी जाती हैं ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक के रूप में एक श्रमिक नेता की नियुक्ति

6491. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में महाप्रबंधक के रूप में एक श्रमिक नेता की नियुक्ति से श्रमिक असंतोष में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र में तथा अन्य इस्पात संयंत्रों में तुलनात्मक रूपसे कितने श्रम दिवसों की हानि हुई ?

इस्पात ओर खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) वर्तमान महाप्रबन्ध की नियुक्ति के समय से लेकर दुर्गापुर नें मालिक मजदूर सम्बधों में कुछ सुधार हुआ है ।

(ख) किस अवधि विशेष में श्रम दिनों को हानि को संख्या कई बातों पर निर्भर करती है, जिनमें सभी पर प्रबन्धकों के बस में नहीं होती है और न ही वे औद्योगिक सम्पर्क संबंधी समस्याओं का परिणाम होते हैं । दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हुई श्रम दिनों को हानि की अन्य इस्पात कारखानों में हुई श्रम दिनों को हानि से तुलना करके कोई निष्कर्ष निकलना ठीक न होगा ।

सामान्यत: अन्य इस्पात कारखानों को अपेक्षा दुर्गापुर में श्रम दिनों की हानि अधिक हुई है । वर्ष 1972-73 में काम बन्दी के कारण दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों में हुई श्रम घण्टों की हानि नीचे दी गई हैं :—

कारखाना	काम बन्द के कारण हुई श्रम घटों की हानि
(1) भिलाई इस्पात कारखाना . . .	5,131
(2) दुर्गापुर इस्पात कारखाना . . .	261,487
(3) राउरकेला इस्पात कारखाना	20,064

दिएगो गार्शिया के बारे में पाकिस्तान नीति में परिवर्तन

6492. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान सरकार ने दिएगो गार्शिया द्वीप समूह के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को मान लिया है जिसमें हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित किया गया है । सरकार ने हाल में पाकिस्तान से 2 अप्रैब 1974 की एक प्रेस रिपोर्ट देखी है जिस में पाकिस्तान के रक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री का यह वक्तव्य दिया गया है :

"अगर ब्रिटिश सरकार अमरीकी सरकार की सरकार को कोई खास सुविधाएं प्रदान करती हैं तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते ।" केवल इस वक्तव्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ।

1973-74 मे रुरकेला इस्पात संयंत्र में जन-घंटों की हानी

6492. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1973-74 में रुरकेला इस्पात संयंत्र में कितने जन-घंटे की हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : वर्ष 1973-74 में राउरकेला इस्पात कारखानों में श्रमिक अशांति के कारण 51,000 श्रम घंटों की हानि हुई ।

मैसर्स ग्लोब मोटर्स द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशियां जमा न कराना

6494. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदेश जारी करने के उपरान्त भी मेसर्स ग्लोब मोटर्स, दिल्ली ने न तो कर्मचारियों के वेतनों से काटी गई राशियां जमा की हैं और न ही कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अपने अंशदान की राशियां जमा की हैं;

(ख) स्थानीय भविष्य निधि अधिकारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की राशियां जमा न करने के संबंध में कब कब और कितनी बार मैसर्स ग्लोब मोटर्स, दिल्ली के रिकार्ड का निरीक्षण किया; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त कम्पनी ने कितनी बार राशियां जमा नहीं की और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है—

(क) मैसर्स ग्लोब मोटर्स लिमिटेड, दिल्ली के प्रबंध-तंत्र ने मई, 1967 से जनवरी, 1970 तक की अवधि के दौरान भविष्य निधि अंशदानों की अदायगी में चूक की । समय-समय पर प्रतिष्ठान के विरुद्ध राजस्व वसूली और अभियोजन कार्यवाहियों के रूप में कानूनी कार्यवाहिया शुरू की गई थीं परन्तु कम्पनी के बकाया राशि के किस्तों में भुगतान के प्रबंध की एक योजना दिल्ली के उच्च न्यायालय से अनुमोदित करा ली, जिसने अभियोजन कार्यवाहियों को रोक दिया । प्रतिष्ठान ने 5 (पांच) किस्तों का भुगतान कर दिया है और उसने नियोजकों के हिस्सों की बाबत लगभग 9,872 रुपए की अंतिम किस्त की अदायगी के लिये मियाद बढ़ाने के लिये उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है, जिसका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विरोध किया जा रहा है । प्रतिष्ठान ने फरवरी, 1970 से फरवरी, 1974 तक की अवधि के लिए भविष्य निधि जमा कर दी है ।

(ख) फरवरी, 1970 के बाद भविष्य निधि प्राधिकारियों ने 1970 में इस प्रतिष्ठान का पांच बार और 1971, 1973 और 1974 के दौरान एक बार निराक्षण किया ।

(ग) फरवरी, 1970 के पश्चात् इस प्रतिष्ठान ने 1970 में 5 बार, 1971 में 7 बार, 1972 में 3 बार, 1973 में 3 बार और 1974 में 2 बार भविष्य निधि अंशदानों के भुगतान की अदायगी में देरी की । चुंकि भुगतान में देरी छोटी अवधियों के लिये कीं और चुंकि भुगतान प्राप्त कर लिये गए थे, इसलिये अभियोजन नहीं चलाया गया ।

भारत सिंगापुर नौसनिक सहयोग वार्ता

6495. श्री एम० एस० संजीवीराव :
श्री वनमाली बाबू :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर नौसेना को प्रशिक्षण सुविधाएं देने तथा प्रक्षेपणास्त्रयुक्त जंगी जहाजों के उत्पादन में सहायता देने के लिए भारत–सिंगापुर नौसैनिक सहयोग के बाद में मार्च 1974 को बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना में आन्ध्र प्रदेश द्वारा निर्धारित परिवार नियोजन लक्ष्य की प्राप्ति

6496. श्री एम० एस० संजीवीराव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना अवधि के लिये आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन संबंधी लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये लक्ष्य अलग से निर्धारित नहीं किये जाते। अतः आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षत्रों में किस हद तक लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Headquarters of Coal Authority in Calcutta

6497. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the number of such officers in B.C.C.L. and Coal Authority as are drawing more than Rs. 1,000 as pay;

(b) the justification for keeping the Headquarters of Coal Authority in Calcutta and the number of officers and employees working there;

(c) the amount of travelling allowance drawn by the officers of B.C.C.L. and Coal Authority in 1973; and

(d) the amount of pay, House Rent Allowance and other allowances drawn by the Chairman of Coal Authority as also other facilities enjoyed by him and the number of visits paid by him to Dhanbad coal field during the last one year?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Clash among Labourers in H.E.C. Ranchi

6498. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether some persons were killed and some were injured as a result of a clash between two groups of labourers in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi in January; and

(b) if so, the facts of the incidents and the action taken against the guilty persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The information is being collected.

Agitations during last six months

6499. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number of strikes, lock-outs and 'work to rule' agitations resorted to in the country during the last six months;

(b) the number of legal and illegal ones, among them, separately;

(c) whether Government propose to take certain concrete steps to check such tendencies; and

(d) if so, the outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (d) The information is being collected.

Cases of Tea Plantation Labour in Tripura

6500. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Labour** be pleased to state the number of cases of tea plantation labourers of Tripura State which are pending in the labour court or at any place and also of those which have been settled by the Union after discussing them with plantation owners during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The matter falls essentially in the state sphere.

Indian Doctors in Russia

6501. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state whether Government will collect information through Indian Embassy in Russia to ascertain the number of Indian doctors in Soviet Russia at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): Yes, Sir.

Roof Collapse of Handidhua Coal Mine

6502. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether some labourers were killed due to collapse of roof of Handidhua coal mine in Talcher; and

(b) the compensation given to the injured labourers and the families of the deceased by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) Yes, Sir.

(b) It is learnt from the State Government of Orissa to whom this mine belongs that three persons were killed on the spot and another in hospital due to roof-collapse in Handidhua coal mine on 11-1-74. Besides, six persons were seriously injured. M/s Goenka Investments Private Ltd., who work as Agents of State Government have paid advance compensation of Rs. 500/- to the family of each deceased and finai assessment of compensation is yet to be done. No compensation has been paid by the Agents to the injured persons.

चौथी योजना के दौरान उड़ीसा में हरिजनों और आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध की गई चिकित्सा सुविधायें

6503. **श्री वनमाली बाबू :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हरिजनों और आदिवासी क्षेत्रों तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का लक्ष्य चौथी योजना की अवधि के दौरान प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितनी कमी हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक सामुदायिक विकास खण्ड को छोड़कर शेष प्रत्येक खण्ड में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। आदिवासी क्षत्र और अन्य पिछड़े क्षेत्र सामुदायिक विकास खण्डों के अन्तर्गत आते हैं।

वर्ष 1974 में राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

6504. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन 1974 में होने वाला है और यदि हां, तो यह कब तथा कहां होगा;

(ख) क्या लंदन स्थित राष्ट्रमंडलीय देशों का सचिवालय दो ऐसे सम्मेलनों के बीच की अवधि के दौरान भारत तथा अन्य सदस्य देशों को सामान्य रुप से अथवा विशेष पत्र भेज रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे पत्रों में क्या मुख्य बातें कहीं गई हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां ।

(ग) ओटावा में अगस्त 1973 में शासनाध्यक्षों की बैठक के बाद राष्ट्रमंडल सचिवालय के पत्र राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के निर्णयों पर अमल करने अथवा उसके द्वारा सुझाये गए प्रस्तावों की जांच करने की दिशा में राष्ट्रमंडल सचिवालय की ओर से बरते गए उपायों से संबद्ध विभिन्न विषयों पर लिखे गए थे, जैसा कि सामान्यत: होता है।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना बुलाए जाने के बारे में सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्षों की राय

6505. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना, वायु सेना और नौसेना के तीनों एककों के अध्यक्षों ने देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविलियन अधिकारियों की सहायता करने हेतु सशस्त्र सेनाओं के बारम्बार प्रयोग किए जाने पर अपनी राय और चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अहमदाबाद के सिविल अस्पतालों में सेवाओं में सुधार

6506. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य स्थानोंके सिविल अस्पतालों में अधिक भीड़भाड़ रहती है तथा वहां कर्मचारियों की संख्या कम है और उनके पास साज-सामान अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अस्पतालों में इस स्थिति को ठीक करने तथा चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं में सुधार लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०के० किस्कू) : (क) अहमदाबाद में स्थित सिविल अस्पताल और राज्य के अन्य अस्पतालों में कुछ भीड़भाड़ रहती है परन्तु वहां पर स्टाफ और साज–सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(ख) अस्पतालों में पलंगों की संख्या तथा अन्य सुख–सुविधाओं को बढ़ाने की योजनाओं को राज्य योजना में शामिल कर लिया गया है।

शाहजहांनपुर आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री का पुनः खोला जाना

6507. **श्री जीतेन्द्र प्रसाद :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री, शाहजहानपुर का ओ पी बी सेक्शन, जो कुछ महीनों पहले बन्द कर दिया गया था, शीघ्र ही पुनः खोल दिया जाएगा ;

(ख) क्या सरकार उस काम के लिए प्राइवेट पार्टियों को दिये गए ठेके रद्द करने का विचार कर रही है जो ओ० पी० बी० द्वारा किया गया था जिससे यह काम आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री को दिया जाए और ओ० पी० बी० सेक्शन शीघ्रातिशीघ्र काम कर सकें ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमान्

(ख) ओ पी बी द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उसके लिए किसी प्राइवेट पार्टी को ठेके नहीं दिए गए थे और ऐसे किन्हीं ठेकों को रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपूर स्थित आर्डनेंस क्लोदिंग कारखाने के हिसाब-किताब में धोखा धड़ी का मामला

6508. **श्री जीतेन्द्र प्रसाद :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर स्थित आर्डनेंस कारखाने के हिसाब–किताब में गड़बड़ी होने का एक मामला हुआ है तथा इसमें बड़ी मात्रा में धन अन्तग्रस्त है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) संबंधित व्यक्ति को मुअत्तल कर दिया गया है और आगे जांच पड़ताल जारी है ।

Setting up of a Training School for Displaced Persons in Champaran, Bihar

6509. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government had proposed to open a training school for the displaced persons from East Pakistan settled in Champaran, Bihar; and

(b) if so, the reasons for not opening the school so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) and (b) We have not been able to trace this proposal. If the Honourable M. P. furnishes further information, the matter will be looked into.

Assessment of Family Planning Programme of Last Three Years

6510. Shri Bibhuti Mishra:
Shri Giridhar Gomango:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the State-wise amount of expenditure incurred on family planning since 1972 till the 19th March, 1974;

(b) whether the doctors furnish exaggerated figures in regard to the progress made in the family planning;

(c) the number of vasectomy operations performed during the aforesaid period;

(d) whether Government have constituted any Committee for the assessment of the family planning work; and

(e) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa): (a) Expenditure figures are maintained financial yearwise and not calendar year-wise. A statement giving the required information for the year 1972-73 and 1973-74 (upto December, 1973) is attached (Annex-I). **[Placed in Library. See No. L.T. 6688/74.]**

(b) There is no evidence to suggest that the doctors furnish exaggerated figures in regard to the progress made.

(c) A statement giving State-wise total number of vasectomy operations done from April 1972 till December, 1973 is annexed (Annex-II). **[Placed in Library. See No. L.T. 6688/74.]**

(d) No.

(e) Does not arise.

Indo-Arab Friendly Relations

6511. **Shri Bibhuti Mishra**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the various spheres of India's friendly relations with Arab countries;

(b) whether these countries have increased the price of oil despite having friendly relations with India; and

(c) the extent of co-operation with these countries in economic sphere?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) India has friendly relations with the Arab countries in all spheres including the political, cultural, commercial, economic and technical spheres.

(b) In a series of recent decisions, the Organisation of Petroleum Exporting countries, which has both Arab and non-Arab members, raised the prices of crude oil. These higher prices are applicable to all buyers, including friendly countries and petroleum-importing Arab countries. They are applicable to oil-imports by India also.

(c) The value of the total trade between India and the Arab countries in 1972-73 was about Rs. 287 crores, representing 7.5% of India's total foreign trade. There are 48 Indian experts serving in Arab countries under the Indian Technical and Economic Co-operation programme. In addition, the services of over 1000 experts have been made available to these countries on a direct-contract basis. Under the Technical Assistance programmes, there were 12 trainees in 1973-74 from these countries receiving training in Indian Institutions.

Indian firms have put a number of projects, public buildings, etc., in these countries. Indian teams have conducted techno-economic surveys in some of these States. We have also offered to participate in joint ventures or to execute turn-key projects in cement, fertiliser, textiles, etc. In Iraq we are carrying out a feasibility study for a new railway project which, if approved by that Government, may also afford India the opportunity of participating in its execution.

महाराष्ट्र द्वारा कोयला तथा कोक के मूल्यों पर नियंत्रण

6512. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोयला तथा कोक के मूल्यों पर नियंत्रण लागू किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नेवल आर्मामेंट डिपो, अल्वाये के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता देना

6513. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवल आर्मामेंट डिपो, अल्वाये के कर्मचारियों ने कोचीन निगम के गठन की तिथि से मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता देने की मांग की थी;

(ख) इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कर्मचारियों ने इस बात को लेकर जनवरी 1974 में वेतन न लेने की घोषण कि थी; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) नियमो के अधीन जिन सिविलियनों की ड्यूटी का स्थान किसी ऐसे नगर (इस मामल में कोचीन) के पास पड़ता हो जहां नगर प्रतिकर तथा मकान किराया भत्ते स्वीकार्य हों और जिन्हें मजबूरन उस नगर के भीतर रहना पड़ रहा हो उन्हें थे भत्ते दिये जा सकते हैं, बशर्तें:—

(i) ड्यूटी के स्थान तथा उक्त भत्तों के लिए पात्र नगर की नगरपालिका सीमाओं की परिधि के बीच की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक न हो ; और

(ii) संबंधित कर्मचारियों को मजबूरन, अर्थात् ड्यूटी के स्थान के निकट आवास की कमी के कारण, भत्तों के लिए पात्र नगर के भीतर रहना पड़ रहा हो।

नेवल आर्मामेंट डिपो, अलवाय, के सिविलयन कर्मचारियों के संबंध में अब ये शर्तें पूरी हो गयी हैं।

(ग) जी हां, श्रीमन् । यूनियन ने जनवरी, 1974 में वेतन के बायकाट का आह्वान किया था लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया।

(घ) नेवल आर्मामेंट डिपो, अलवाये के सिविलियन कर्मचारियों को 1-12-73 से, कोचिन में स्वीकार्य दरो पर मकान किराया तथा नगर प्रतिकर भत्त देने के संबंध में 8-4-1974 को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

केरल स्टेट बर्मा-सीलोन इवेक्यू एसोसिएशन से अभ्यावेदन

6514. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को केरल स्टेट बर्मा सीलोन इवेक्यू एसोसिएशन से उनकी शिकायतों तथा उसको दूर करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या कहा गया है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां, प्रधान मंत्री को सम्बोधित दिनांक 10 अक्तूबर 1973 का एक अभ्यावेदन एसोसिएशन से प्राप्त हुआ था।

(ख) एसोसिएशन ने अनुरोध किया था कि :

(i) उन प्रत्यावासी परिवारों द्वारा देय राशि की वसूली, जिन्होंने उनको दिए गए ऋणों तथा राजस्व देय का समय पर भुगतान करने में चूक की थी, के संबंध में केरल सरकार के आदेशो को रद्द कर दिया जाना चाहिए ;

(ii) ऋण की आधी राशि को अनुदान के रूप में बदल दिया जाए तथा शेष आधी राशि को ब्याज रहित होना चाहिए ;

(iii) बर्मा तथा श्रीलंका में छोडी गई सम्पत्तियों के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(ग) केरल सरकार ने सूचित किया है कि प्रत्यावासियों में विकट निर्धनता के मामलो- में उन्होंने, राजस्व वसूली की कार्यवाही का रोक दिया है और ऋण के भुगतान करने में अधिकतम समय वृद्धि की मंजूरी दी जाती है।

ऋण की आधी राशि को अनुदान में बदलने तथा शेष आधी पर ब्याज की छुट दने से सम्बंधित उनकी प्रार्थना को मानना सम्भव नहीं है।

श्रीलंका तथा बर्मा में प्रत्यावासियो द्वारा छोडी गई सम्पत्तियों के लिए मुआवजा देने के बारे में भारत सरकार की कोई योजना नहीं है। फिर भी, श्रीलंका के प्रत्यावासियो के मामले में श्रीलंका के 75,000 रु० प्रति परिवार तक के मूल्य की सम्पत्तियों के हस्तान्तरण की श्रीलंका सरकार ने अनुमति दे दी है। जहां तक बर्मा का संबंध है, हाल हो में वर्किंग प्युपल्स डेली, रंगून ने बर्मा सरकार की एक अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसमें उन राष्ट्रिकों तथा विदेशी उद्यमों से, जिन्हें व्यापार राष्ट्रीयकरण विधि, 1963 तथा समाजवादी आर्थिक तंत्र स्थापना विधि, 1965 के अधीन राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, मुआवजे के बारे में सीधे आवेदन पत्र मांगे गए थे।

केरल में प्रस्ताविक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का खोला जाना

6515. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री 7 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2392 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सरकार ने इस बात का कोई निर्णय किया है कि केरल में प्रस्तावित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय किस स्थान पर खोला जायेगा; और

(ख) क्षेत्रीय पासपोर्ट, का यह नया कार्यालय केरल में कब तक काम करना आरम्भ कर देगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां। यह निश्चय किया गया है कि केरल के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन में खोला जाए।

(ख) यह नया कार्यालय 30 मार्च, 1974 से मद्रास कार्यालय के वर्तमान भवन में एक अलग इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। कार्यालय भवन और अन्य सुविधाओं को जुटा लेने के बाद एवं बटवारे का प्रबंध पूरा हो जाने के बाद यह यूनिट कोचीन चला जाएगा।

देश में अविवाहितों की संख्या

6516. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री वर्ष 1973 में देश में नसबंदी तथा बंध्याकरण के आपरेशनों के बारे में 28, फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1312 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने हमारे देश में अविवाहितों की प्रतिशतता तथा इस समय विवाह की औसत आयु ज्ञात करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रुपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ने देश में अविवाहितों के प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि 1971 की जनगणना के अनुसार देश में 10 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के 36.8 प्रतिशत पुरुष और 22.0 प्रतिशत महिलायें अविवाहित हैं। जहां तक विवाह के समय औसत आयु का प्रश्न है, हाल ही में 1970-71 में आपरेशन्स रिसर्च ग्रुप, बडोदा द्वारा इस मंत्रालय की वित्तीय सहायता से किये गये एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण से पता चला है कि 1966–70 के दौरान जो विवाह हुये उनमें क्रमश: पतियों की औसत आयु 23.8 वर्ष थी और पत्नियों की 18.3 वर्ष थी।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अधिकारी संघ से ज्ञापन

6517. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दुर्गापूर इस्पात संयंत्र के सहायक अधिकारियों से "फार पियुप्लस एण्ड पार्लियामेंट टू जज" शीर्षक से कोई ज्ञापन या श्वेत पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने उन समस्याओं का अध्ययन किया है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) इस ज्ञापन में दुर्गापूर इस्पात कारखाने की कुछ समस्याओं तथा वहां हुई कुछ घटनाओं के बारे में अधिकारियों की संख्या के विचार व्यक्त किए कए हैं। कारखाने के प्रबंधक ज्ञापन में उल्लिखित समस्याओं के बारे में उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। सरकारी स्तर पर कोई विशेष कार्रवाई करनी आवश्यक नहीं समझी गई है।

देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों मे काम कर रहे डाक्टर

6518. प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हमारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है कि एम० बी० बी० एस० के कितने डाक्टर गांवों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्यों मंत्रालय ने गांवों के अस्पतालों में डाक्टरों की सेवाओं की समस्या का अध्ययन किया है तथा उनका समाधान खोजा है; और

(ग) यदि हां. तो उसका ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) यद्यपि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है फिर भी सरकार को यह मालूम है कि राज्य सरकारों संघ शासित सरकारों के अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम० बी० बी० एस० डाक्टर काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) संचार की अच्छी सुविधायें न होना, शैक्षणिक तथा भौतिक सुविधाओं की कमी, बुनियादी सुख-सुविधाओं का न होना, देहात के अस्पालों में काम करन वाले

डाक्टरों में समाज और व्यवसाय से अलग अलग पड़ जाने का भय जैसी समस्यायें देखने में आई है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्य/संघ शासित सरकारों ने जो कदम उठाये है वे इस प्रकार है:–

भारत सरकार

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाले उन डाक्टरों को 150 रुपये प्रतिमास का विशेष भत्ता दिया जाता है जिन्हें दुर्गम क्षेत्रों में काम करना पड़ता है।

राज्य/संघ शासित सरकारे

(1) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों के लिए एकीकृत संवर्ग की रचना।

(2) ग्रामीण भत्ता, परिवहन सुविधायें, फर्नीचर आदि सहित मुफ्त क्वार्टर, सुरक्षित पानी की सप्लाई, बिजली आदि जैसे एक मुश्त प्रोत्साहनों का दिया जाना।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में खास कर इमारतों और रिहायशी क्वार्टरों से संबंधित भौतिक सुविधाओं में सुधार।

(4) गांवों में काम करने के इच्छूक सेवा निवृत्त डाक्टरों को दोबारा रोजगार देना।

(5) अग्रिम वृद्धियां देना।

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काफी मात्रा में दवाइयों और उपकरणों की व्यवस्था करना।

(7) कुछ राज्यों ने चिकित्सा छात्रों को शिक्षावृत्ति/वजीफे देने का प्रस्ताव भी किया है ताकि वे कतिपय वर्षों के लिये गांवों में काम करने के लिये उन्हें अनुबन्धित कर सकें।

गांवों में परिवार नियोजन के लिए जन प्रचार के माध्यम

6519. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मंत्रालय ने गांवों और गन्दी बस्तियों में जन प्रचार के माध्यम द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रभावी रूप से संगठित करने का कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) सभी प्रकार के उपलब्ध प्रचार साधनों और तरीकों से परिवार नियोजन जन शिक्षा कार्यकलाप ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में, जिनमें गन्दी बस्तियां भी शामिल है, संगठित किया जाता है।

(ख) अब तक किये गये जन शिक्षा कार्यकलापों के परिणाम स्वरूप शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे काफी जागरुकता पैदा हुई है। अध्ययनों से पता चलता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति अब अधिकतर लोगों का रवैया अनुकूल हो गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में अकुशल प्रशासन व्यवस्था

6520. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इन्टक' की महाराष्ट्र शाखा ने उनके मंत्रालय का ध्यान कर्मचारियों की भविष्य निधि संबंधी प्रशासन व्यवस्था तथा भविष्य निधि अधिकारियों की अकुशलता की ओर दिलाया है ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि विभिन्न राज्यों में इस अकुशल प्रशासन के कारण, निर्योक्तागण भविष्य निधि के अंशदानों की जमा राशि को सरकार के पास जमा न कराकर स्वयं ही 20 करोड़ रुपये से अधिक डकार गए है; और

(ग) यदि हां, तो इन कदाचारों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट 14 मार्च, 1974 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित हुई है।

(ग) भविष्य में निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि 30-9-73 को भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशि 19.35 करोड़ रुपये की, जब कि 31-3-1972 को यह 20.66 करोड़ रुपये थी। ये बकाया राशियां छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में अंशदानों के कुल संग्रह के केवल 1.9 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। बकाया राशियों का अधिकांश वित्तीय रूप से कमजोर एककों से संबंधित है। चुंकि चूक की समस्या से निपटने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को अपर्याप्त पाया गया, इसलिये अधिनियम, को 1-11-1973 से संशोधित किया गया है, जिसमें नियोजकों को भविष्य निधि की देय राशियों के भुगतान में चूक करने से रोकने के लिए दण्डनीय उपबन्धों को और कठोर बनाया गया है। चुकों के सम्बन्ध में भविष्य निधि प्राधिकारी निम्नलिखित कार्रवाईयां कर रहे है :—

(1) समुचित मामलों में, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन चलाए जाते है।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा के अन्तर्गत राजस्व वसूली कार्रवाईयां आरम्भ की जाती है।

(3) उपर्युक्त मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत पुलिस/न्यायालयों के पास शिकायतें दायर की जाती है।

(4) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 की धारा, 14 ख के अन्तर्गत दण्डनीय हरजाने लगाए जाते है।

(5) कुछ मामलों में, पर्याप्त गारंटी जमानत आदि दने की शर्त पर, प्रतिष्ठानों को उचित किश्तों में देय राशियों का भुगतान करने का मोका प्रदान किया जाता है।

(6) उन कपडा मिलों के मामलों में, जो कि दिवालिया हो गई है, उनके द्वारा निर्मित की गई पुर्ननिमीण सम्बन्धी योजनाओं की गुण दोष के आधार पर जांच की जाती है।

नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक में कर्मचारी संघ

6521 **श्री मधु दंडवते** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड के प्रबंधकों ने बैंक के कर्मचारी संघ के साथ किए गए करारों तथा समझौतों का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या प्रबंधकों ने इस कर्मचारी संघ की 1 नवम्बर, 1971 से मान्यता समाप्त कर दी है;

(ग) क्या न्यायालय ने बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध कडी टिप्पणी की है और बैंक को संघ के दो सक्रिय कर्मचारियों जिनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किए गए थे, के विरुद्ध जांच करने से रोक दिया है; और

(घ) बैंक प्रबंधकों के संघ विरोधी रवैये तथा श्रमिकों के लिए अहितकर प्रक्रियाओं को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

कोयला खान अधिकरण के सर्वोच्च पद

6522. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोयला खान प्राधिकरण में कितने सर्वोच्च पदों पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के वर्तमान निर्देशक मंडल एक अध्यक्ष तथा 6 कार्यरत निदेशक सहित 13 निदेशक है, उनमें से अध्यक्ष तथा 4 कार्यरत निदेशक कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के गठन के समय राष्ट्रपति कोयला विकास निगम में काम करते थे।

डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा 'हन्ना बैटल' दिवस मनाया जाना

6523. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तन** :
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डोगरा रेजीमेन्ट की एक बटालियन ने हल ही में सीमावर्ती क्षेत्र में "हन्ना बैटल" दिवस मनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या "हन्ना बैटल" दिवस का सम्बन्ध प्रथम विश्व युद्ध से है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय सेना द्वारा इस दिवस को मनाये जाने की क्या आवश्यकता थी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 21 जनवरी, 1916 को मध्य पूर्व में शेख साद और हान्ना में लडी गई लडाई की विजय को मनाने के लिए डोगरा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन हर वर्ष 21 जनवरी को "हन्ना बैटल" आनर दिवस मनाती है। उस लडाई में इस यूनिट ने परम शौर्य का प्रदर्शन किया था। इस यूनिट के ले नायक लल्ला उस लडाई में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए विक्टोरिया क्रास प्रदान किया गया था।

(ग) जी, हां श्रीमन्।

(घ) किसी रेजीमेंट के महा पराक्रम और परम बलिदान की परम्परा उसके द्वार जिन युद्धों में समय-समय पर भाग लिया गया है उनके दीर्घकालीन कार्य से बनती है। ऐसी परम्पराओं को बनाए रखने तथा उन्हें और सुदृढ करने के लिए सेनाओं के लिए यह प्रथा है कि वह उनकी स्मरणीय विजय को हर वर्ष मनाएं। इनका चाहे स्वतंत्रता पूर्व की लडाइयों के सम्बन्ध हो अथवा स्वतंत्रता बाद से।

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों की पुरानी लडाइयों को सम्माननीय दिवसों के स्थान पर उन यूनिटो के मामले में नई लडाइयों के सम्माननीय दिवसों को धीरे-धीरे लाया जा रहा है जिन यूनिटो ने स्वतंता के पश्चात हाल ही के आक्रमणों / युद्धों में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

बोर्डो के पास गोदी श्रमिकों संबंधी विचाराधीन दावे

6524. श्री अर्जुन सेठी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोर्ड के पास गोदी श्रमिकों के भविष्य निधि तथा उपदान आदि की अदायगी सम्बन्धी अनेक दावे अभी विचाराधीन पडे है,

(ख) क्या इसका कारण अधिकारियों की लापरवाही है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

दिल्ली जल संभरण तथा मल-व्ययन उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6525. श्री मान सिंह भौरा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल संभरण तथा मल व्ययन उपक्रम के कर्मचारियो वे एक वर्ग ने 20 मार्च, 1974 को सांकेतिक हडताल करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के जल संभरण तथा मल व्ययन उपक्रम के 250 श्रमिको में से 150 श्रमिको ने अपनी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 20-3-74 को एक सांकेतिक हडताल की :

(1) चालकों के अस्थायी पदों और कतिपय अन्य रिक्त स्थानों को भरना;

(2) मस्टर रोल वाले ड्राइवरों की क्लीनरों के पद पर नियुक्ति;

7—13 LSS/74

(3) बेलदारो की नियुक्ति ;

(4) मख्य मैकैनिक लाइनमैन, पंप चालकों और सहायक पम्प चालको के वेतन-मानों का संशोधन;

(5) वर्क चार्ज प्रणाली प्रारंभ करना;

(6) पुनर्गठन योजना,

(7) 21 श्रेणियो के नवीकृत वेतन-मांनों को लागू करना ।

हड़ताल को टालने के उद्देश्य से, प्रबन्धकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की 13-3-74 को एक द्विपक्षीय बठक आयोजित की गई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये गये। 19-3-74 को दोनों पक्ष सरोधन अधिकारी, दिल्ली के समक्ष उपस्थित हुए जब कि यूनियन के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि वे प्रयत्न करेंगे और यूनियन के अन्य प्रतिनिधियों तथा श्रमिकों पर जोर डालगे कि वे सांकेतिक हडताल न करें। इसके बावजूद 20-3-1974 को हड़ताल हुई ।

विद्युत उद्योग के श्रमिकों द्वारा हड़ताल की धमकी

6526. श्री भान सिंह भौरा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उद्योग के श्रमिकों ने एक सतत अखिल भारतीय हड़ताल करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या है, और उन पर सरकार कीं क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) समाचार पत्रों की सूचनाओ के अनुसार विद्युत मजदूरी मार्गदर्शन समिति द्वारा मजदूरी के प्रश्न पर किसी स्वीकार्य निणय पर पहुंचने में असमर्थ होने पर विद्युत श्रमिकों का हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव है ।

बोकारो इस्पात कारखाने का प्रबन्ध निदेशक

6527. श्री भान सिंह भौरा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबंध निदेशक को पदमुक्त करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सम्भवत: अभिप्राय बोकारो स्टील लि० पिछले प्रबन्ध निदेशक से है जिन्होंनें 11 मार्च, 1974 को अपने पद का कार्य भार छोडा था ।

(ख) यह अधिकारी बोकारो स्टील लि० में रक्षा मंत्रालय से प्रतिनियुक्त पर गया हुआ था और अब वह अपने मूल संवर्ग में वापिस आ गया है ।

कोयले पर आधारित पैट्रोलियम के बारे में जांच

6528. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग ने देश में कोयले पर आधारित पेट्रोलियम के लिए गत तीन वर्षों में तिथिवार तथा क्षेत्र वार कितनी बार जांच की है,

(ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा किय गये इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले, और

(ग) प्रत्येक सर्वेक्षण पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदव प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने कोयले पर आधारित पेट्रोलियम के बारे में कोई विशेष अन्वेषण नहीं किए है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में चेचक का प्रकोप

6529. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के लोगों के लिये चेचक रोग का भारी खतरा पैदा हो गया है और इस राज्य की राजधानी इस रोग से प्रभावित है ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने के लिये केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1974 में (16 मार्च तक) देश में चेचक से ग्रस्त रोगियों की संख्या 28,911 और उससे मरने वालों की संख्या 4,340 थी । इनमें से बिहार में 17,664 लोग रोग ग्रस्त हुए (कुल संख्या का 60.9 प्रतिशत) और 2,777 इससे मरे (कुल मृत्युओं का 63.8 प्रतिशत) बतलाए गए हैं । इस अवधि में राज्य की राजधानी से 144 रोगियों और 13 मृत्युओं के होने की सूचना मिली है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गहन चचक रोधी अभियान के अन्तर्गत सरकार ने चेचक के प्रकोप को रोकने के लिये अविलंब और पर्याप्त उपाय किये हैं जो इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय/राज्य तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महामारी विज्ञानियों की अध्यक्षता में 19 निगरानी और रोग प्रकोप की रोक थाम वाले दलों को रोग प्रकोप की रोकथाम करने और उसकी निगरानी संबंधी गतिविधियों को तेज करने का काम सौंप दिया गया है ।
2. प्राथमिक टीकों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है (इसमें नवजात शिशु का टीका भी शामिल है)।

3. बिहार में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। प्रगति की समीक्षा से संबंधित पिछली बैठक 2 अप्रैल, 1974, को पटना में सम्पन्न हुई। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में जो कमियां पाई जाती हैं, उनकी जानकारी दी जाती है ताकि तत्काल उपचारी उपाय किये जा सकें।

4. 1973-74 में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिये अलग से 14 गाड़ियां दी गई है ताकि सक्रिय निगरानी और रोग को रोकथाम संबंधी कार्य की भली भांति देख रेख की जा सके। इससे पहले राज्य को 11 मोटर साइकलें भी दी गई थीं।

5. जमाकर सुखाई गई चेचक की प्रबल वैक्सीन और दो मुंही सुइयां काफी माता में सप्लाई की जा रही हैं।

6. राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो एक केन्द्रीय पोषित योजना है, राज्यों को इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिये शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

7. अधिक से अधिक संख्या में लोग स्वेच्छा से टीका लगवाएं और चेचक के संदिग्ध रोगी की तुरन्त सूचना दें, इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को काफी माता में स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार सामग्री सप्लाई की जा रही है।

आकाशवाणी (विविध भारती), दिल्ली से इसके बारे में एक विज्ञापन भी प्रसारित किया जा रहा है। जिसमें जनता से चेचक के संदिग्ध रोगी की सूचना किसी नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में देने और चेचक का टीका लगवाने का भी अनुरोध किया जाता है।

8. चेचक की सूचना देने की कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और साप्ताहिक महामारी रिपोर्टों को भेजने के लिये राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को छपे हुए फार्म भी दे दिये गये हैं।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के उत्पादन में कमी

6530. **श्री स्वर्णसिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर के बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में जनवरी, 1974 की तुलना में फरवरी, 1974 में कमी हुई है ;

(ख) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) कम्पनी को (टनों और धनराशि में) कितनी हानि हुई ;

(घ) हानि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी हानि रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोद हंसदा) : (क), (ख) और (घ) जनवरी तथा फरवरी 1974 का विक्रेय इस्पात का उत्पादन इस प्रकार था :—

	जनवरी, 1974	फरवरी, 1974 (टन)
विक्रेय इस्पात	35,536	30,215

फरवरी के महिने मे उत्पादन कम होने का मुख्य कारण यह था कि फरवरी की तुलना में जनवरी में 3 कार्य दिवस अधिक थे । इसलिए उत्पादन में इस कमी के लिए किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जनवरी की तुलना में फरवरी में कम्पनी की बिक्री में वास्तविक कमी 2 लाख रुपये थी ।

(ङ) कम्पनी का उत्पादन न बढने का मुख्य कारण यह है कि भूत में प्रतिस्थापना मरम्मत तथा रख-रखाव कार्य की उपेक्षा के कारण कारखाने के विभिन्न उपस्करों तथा उपकरणों की स्थिति अच्छी नहीं है । कारखाने की तकनीकी स्थिति में सुधार लाने के लिए एक संयंत्र प्रतिस्थापन योजना कार्यान्वित की जा रही है । जिससे उसके उत्पादन को लगभग 3 वर्ष में निर्धारित क्षमता पर लाया जा सके ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के श्रमिकों की हड़ताल

6531. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के श्रमिकों ने हाल में एक दिन की हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या एच० एम० टी० क्राफ्टमैन वैल्फेयर एसोसियेशनने प्रबन्धकों को यह जानकारी दी थी कि वे कार्य करने के इच्छुक हैं तथा प्रबन्धक उन्हें काम करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा देनें में असफल रहे ; और

(ग) क्या जिन श्रमिकों ने काम करने का प्रस्ताव किया था प्रबन्धकों द्वारा उनका भी हड़ताल वाले दिन का वेतन काट लिया गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कलमस्सेरी एकक के अधिकांश श्रमिक दिनांक 30 जनवरी, 1974 को अपने काम पर नहीं आए थे ।

(ख) प्रबन्धकों ने उन इच्छुक श्रमिकों की सुरक्षा की पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की थी जो हड़ताल में भाग नहीं लेना चाहते थे ।

(ग) उस दिन जो श्रमिक काम पर थे, उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की गई थी ।

मेडिकल रिप्रेजन्टेटिव्स की नौकरी सुरक्षा तथा अन्य लाभ

6532. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**
श्री क० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेडिकल रिप्रजन्टटिव्स से कोई अभ्यावदन मिला है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह उन्हें नौकरी सुरक्षा तथा अन्य लाभ देने संबंधी कार्यवाही करे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय म उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) चिकित्सा संबंधी प्रतिनिधियों की संस्थाओं ने समय-समय पर सरकार से यह मांगते हुए अभिवेदन किया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को उन पर लागू किया जाना चाहिये । व्यापक औद्योगिक संबंध कानून हेतु प्रस्तावों को अन्तिम रुप देते समय इसे ध्यान में रखा जायगा ।

कोयला उपभोक्ताओं के संगठन को कोयल की न्यायोचित दरों तथा सरलता से उपलब्धता का आश्वासन

6533. **श्री डी० पी० जेडजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उपभोक्ता संगटन को यह आश्वासन दिया गया था कि गैर-कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उपभोक्ताओं को कोयला शीघ्र तथा न्यायोचित दरों पर, उपलब्ध होगा ; और

(ख) यदि हां, तो उन आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार को ऐसे किसी आश्वासन का पता नहीं है । परन्तु, सरकार की यह नीति है कि उपभोक्ता को बिना किसी कठिनाई के उचित दरों पर कोयला मिलता रहे ।

(ख) सभी वास्तविक उपभोक्ता सीधे ही कोयला खान प्राधिकरण, भारत कोकिंग कोल और सिगरैनी कोलियरीज कम्पनी के पास अपनी कोयले की जरुरतों के लिए सीधे पहुंच कर सकते हैं और उन्हें कम्पनियों द्वारा निर्धारित दामों पर कोयला दिया जाता है । परन्तु, रेल द्वारा वास्तविक सप्लाई रेल वैगनों की उपलब्धि पर निर्भर करती है, जिनका आबंटन प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा रेलवे को की गई अनुशंसा के आधार पर किया जाता है ।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा पूंजी-ढांचे का पुनर्गठन

6534. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के पूंजी-ढांचे का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) इस निगम को इसके आरंभ होने के समय से लेकर तथा वर्ष 1973-74 के दौरान पृथक-पृथक कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ग) क्या लिग्नाईट के वर्तमान उत्पादन को देखते हुए इस परियोजना को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं समझा गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) 1972-73 तक निगम को कुल 55.80 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और 1973-74 में लगभग 12.70 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है ।

(ग) नेवेली लिग्नाइट खान की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 36 लाख टन प्रति वर्ष है और इस उत्पादन स्तर पर परियोजना की आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है । 1976-77 तक लिग्नाइट के उत्पादन को प्रति वर्ष 45 लाख टन तक बढ़ाने के लिए सरकार ने 11. 62 करोड़ रुपये लागत की एक योजना मंजूर की थी । 36 करोड़ रुपये लागत की एक दूसरी योजना भी मंजूर की गई है जिससे छठी योजना के आरम्भ तक लिग्नाइट का उत्पादन बढकर 65 लाख टन प्रति वर्ष हो जाएगा और उस उत्पादन स्तर पर परियोजना के आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होने की आशा है ।

छम्ब के शरणार्थियों को बसाने के लिये चुनी गई भूमि को अस्वीकार किया जाना

6535. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छम्ब शरणार्थी 'एक्शन कमेटी' ने उनको स्थाई रुप से बसाने के लिये चुनी गई बंजर भूमि को अस्वीकार कर दिया है तथा विस्थापित व्यक्तियों ने यह धमकी दी है कि यदि उन्हें बसाने के लिये कोई तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो वे जम्मू चले जायेंगे ; और

(ख) विस्थापित व्यक्तियों की अन्य मांगे क्या हैं तथा सरकार की इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) छम्ब विस्थापित व्यक्तियों के एक समुदाय ने उनके पुनर्वास के लिए अब तक खोजी गई भूमि के बारे में असन्तोष व्यक्त किया है । इन विस्थापित व्यक्तियों में से लगभग 250 ने 29-3-1974 से 31 मार्च, 1974 तक राज्य विधान सभा भवन के सामने धरना दिया था । उनका प्रतिनिधिमण्डल जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री से मिला था जिसने उन्हें आश्वासन दिया कि विस्थापित व्यक्तियों को केवल वही भूमि एलाट की जाएगी जो खेती के योग्य होगी और फिर धरना समाप्त कर दिया गया था ।

(ख) इन व्यक्तियों की अन्य मांगे मुख्यतया 1971-72 की फसल के मुआवजे की अदायगी, चारा अनुदान की अदायगी, विभिन्न पुनर्वास अनुदानों की पद्धति तथा दर को अधिसूचित करना, राशन कार्डों को नकद अनुदान के स्थान पर मानक में परिवर्तित करना और सेवारत सैनिकों को विशेष रियायतें, उन व्यक्तियों को नकद अदायगी जो भूमि नहीं चाहते है तथा व्यवसाय या औद्योगिक यूनिटे आदि शुरु करना चाहते हैं । इन मांगों पर छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्थापित छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

Air Survey of Bundelkhand Division of Madhya Pradesh

6536. **Shri Nathuram Ahirwar:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether an air-survey of Bundelkhand Division had been conducted five years back;

(b) whether the said survey revealed the possibilities of availability of copper and uranium in Tikamgarh District and Manganese and copper in Chhattarpur District; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Yes Sir. It was conducted in first quarter of 1968.

(b) So far possibilities of availability of copper and uranium in Tikangarh district and manganese and copper in Chhatarpur district have not been noted. However, ground follow up in respect of anomaly block indicated by air survey is underway.

(c) Does not arise.

Lead Deposits in Madhya Pradesh

6537. **Shri Nathuram Ahirwar:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether lead deposits had been found in 1968-69 near Bahadurgram of Tikamgarh District in Madhya Pradesh; and

(b) whether the mining work thereof had been suspended soon after it was taken in hand and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में कोयले का वितरण

6538. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल कारपोरेशन ने दिल्ली में कोयले का वितरण लघु उद्योग निगम को सौंपने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अन्य राज्यों, विशेष रूप से गुजरात में भी ऐसी कार्यवाही की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : उपभोक्ताओं को कोयले के वितरण के लिए राज्य में विभिन्न केन्द्रों पर कोयले के अस्थायी गोदाम खोलने के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार दिल्ली प्रशासन ने कोयला प्राप्त करने तथा उसे विभिन्न उपभोक्ताओं

में बांटने के लिए दिल्ली लघु उद्योग निगम को अपने अभिकरण के रुप में नामित किया है। संशोधित प्रणाली 1 अप्रैल, 1974 से लागू की गई है।

(ग) धीरे-धीरे इस योजना को अन्य राज्यों पर भी लागू किया जायेगा। 13 राज्यों ने अपनी लघु उद्योग निगमों अथवा अन्य सरकारी अभिकरणों को पहले ही हार्ड कोक की हैंडलिंग एजेंसियों के रुप में नामित कर दिया है। गुजरात राज्य में लघु उद्योग निगम आंशिक रुप से हार्ड कोक की सप्लाई हैंडल कर रही है। राज्य सरकार को समस्त सप्लाई निगम के नाम से स्वीकार करने का सुझाव दिया गया है।

दुर्गापुर मिश्र (एलाय) इस्पात संयंत्र का विस्तार

6539. **श्री समर गुह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मन्त्री के रुप में स्वर्गीय श्री कुमारमंगलम ने सभा को आश्वासन दिया था कि सरकार दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र के विस्तार का कार्य आरम्भ करेगी ; और

(ख) दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और उसके लिये निर्धारित समय क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोधहंसदा) : (क) सदन को यह सूचना दे दी गई थी कि मिश्रित इस्पात कारखाने की 1 लाख टन पिण्ड की वर्तमान वार्षिक क्षमता को बढाकर 3 लाख टन पिण्ड करने का फैसला किया गया है।

(ख) अगस्त, 1972 में मिश्र इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के लिए प्राडक्ट मिक्स के बारे में निर्णय लिया गया था और यह फैसला किया गया था कि इस आधार पर एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करवाया जाए। फिर भी बाद में प्रोडक्ट मिक्स के फैसले के बारे में इस आलोचना को देखते हुए कि इससे कारखाना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा, नवम्बर, 1972 में यह फैसला किया गया कि विभाग के विशेषज्ञों के एक दल द्वारा इस प्राडक्ट मिक्स के बारे में पुनः विचार किया जाए। यह काम पूरा हो गया है। इस समय इस पर विचार किया जा रहा है। अब इस विस्तार योजना पर पांचवीं योजना के लिए समस्त उपलब्ध साधनों तथा इस्पात उद्योग के बारे में विभिन्न योजनाओं के पारस्परिक महत्व को देखते हुए पांचवीं योजना की एक परियोजना के रुप में ही विचार किया जाएगा।

देश में डाक्टरों की समस्याओं पर विचार करने के लिये राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का प्रस्ताव

6540. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में डाक्टरों के आन्दोलन को देखते हुए, सरकार डाक्टरों द्वारा मांगे गये अधिकारों, विशेषाधिकारों और लाभों के सम्बन्ध में समान नीतियां तैयार करने के लिये विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलायेगी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश के विभिन्न भागों के डाक्टरों की मांगों की समान बातों के बारे में तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) डाक्टरों द्वारा मांगे गये विशेषाधिकारों और लाभों के सम्बन्ध में समान नीतियां तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) स्वास्थ्य प्रशासन और चिकित्सा शिक्षा अनिवार्य रुप से राज्य के विषय हैं और स्वास्थ्य कार्मिकों को, जिन में डाक्टर भी सम्मिलित हैं, दी जाने वाली परिलब्धियों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है ।

(ग) डाक्टरों ने परिलब्धियों को और अधिक बढ़ाने और अन्य विशेषाधिकारों की जो मांग की है वे एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हैं ।

मोजाम्बिक में अमेरीकी अड्डे के लिये पुर्तगाल का प्रस्ताव

6543. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मोजाम्बिक में अमरीकी अड्डे बनाने के बारे में पुर्तगाली प्रस्ताव सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) मोज़ाम्बिक में लौरे-को माक्स और नकाला में अमरीकी नौसैनिक अड्डों की स्थापना के लिए पुर्तगाल द्वारा समझौता किये जाने से सम्बद्ध समाचार सरकार ने अखबारों में देखे हैं ।

(ख) हिंद महासागर में इस प्रकार के विदेश नौसैनिक अड्डों की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के 16 दिसंबर 1971 के उस प्रस्ताव के मत्र और भाषा के स्पष्टतः प्रतिकूल है जिसमें हिंद महासागर को हमेशा-हमेशा के लिए शांत क्षेत्र घोषित किया गया है । सरकार का यह मत सर्वविदित है कि हिंद महासागर को बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता, तनाव और सैन्य-विस्तार से मुक्त, एक शांत-क्षेत्र बनाए रखना चाहिए ।

छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए केन्द्रीय प्राधिकारण

6544. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री छम्ब के विस्थापितों का पुनर्वास करने के लिये पेनल के गठन के बारे में 14 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3082 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्राधिकरण के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना खर्च वहन किया जाएगा ; और

(ग) कार्य पूरा करने के लिये प्राधिकरण कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण का गठन इस प्रकार है :—

1. मुख्य सचिव, जम्मू और काश्मीर सरकार . .	अध्यक्ष
2. सचिव, राजस्व और पुनर्वास जम्मू और कश्मीर सरकार .	सदस्य
3. मण्डल आयुक्त, जम्मू . . .	सदस्य
4. प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक . . .	सदस्य सचिव
5. संयुक्त सचिव, पुनर्वास विभाग, भारत सरकार . .	सदस्य
6. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार .	सदस्य
7. उप-सचिव, पुनर्वास विभाग, भारत सरकार . .	सदस्य

(ख) छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों के राहत तथा पुनर्वास पर होने वाला कुल व्यय भारत सरकार वहन करेगी।

(ग) प्राधिकरण को इन व्यक्तियों को जितनी जल्दी हो सके बसाने के निदेश दिए गए हैं। प्राधिकरण की प्रथम बैठक 10-4-74 को जम्मू में निश्चित की गई है।

हल्दिया गोदी परियोजना के चालु करने में विलम्ब

6546. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पर (एक) त्रिवेनी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड द्वारा रीडायल बल्बों तथा पन स्टाकों तथा (दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कोयले को चढ़ाने-उतारने वाले संयंत्र की सप्लाई और स्थापना सम्बन्धी कार्य निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कार्यों में विलम्ब के कारण हल्दिया गोदी परियोजना का चालू होना अनिश्चितकाल के लिये स्थगित रहेगा ;

(ग) दो ठेकेदार फर्मों के कार्य में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उनके वचनों को शीघ्रता से पूरा कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन , त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटड और परियोजना प्राधिकारियों के नियंत्रण के बाहर कारणों के होने से निर्धारित समय पर उपकरणों की सप्लाई नहीं की जा सकी। वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन तथा त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड दोनों संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप उनसे मांगे गये उपकरणों की सप्लाई करेगा तथा उनकी स्थापना करेगा।

(ग) (1) सिविल निर्माण कार्य के पूरा होने में लगा समय;

(2) श्रमिक अशांति ;

(3) इस्पात की अनुपलब्धता ;

(4) बिजली की अनियमित सप्लाई तथा औद्योगिक गैसों, इलेक्ट्राड्स तथा अन्य आवश्यक मदों आदि की कमी में ऐसे कारण हैं, जिनसे विलम्ब हुआ।

(घ) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन तथा त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड द्वारा कार्य पूरा किये जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) स्थल पर श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है ;

(2) श्रमिक कठिनाइयो को दूर किया जा रहा है ;

(3) उपकरणों में सुधार करने के लिए माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा स्थापित की गई कार्यशाला को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ;

(4) वरिष्ठ स्तर पर परियोजना की प्रगति की जांच की जा रही है तथा विभिन्न समस्याओं के हल के लिए स्थल पर ही सांवधिक बैठके आयोजित की जा रही है ।

पटसन उद्योग में बदली श्रमिकों की मजूरी का मानकीकरण

6547. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम** मंत्री पटसन उद्योग में मंजूरी के मानकीकरण के बारे में 28 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5029 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय मजूरी मानकीकरण सम्मेलन के क्या परिणाम निकले और बदली श्रमिकों को क्या राहत दी गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : श्रम मंत्री ने पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग में बदली श्रमिकों को अनुतोष स्वीकृत करने के बाद विषय पर अपना निर्णय दे दिया है । यह, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सूचित कर दिया गया है । मानकीकरण के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है ।

Setting up of Transformer Factory near Jhansi

6548. **Dr. Govind Das Richhariya:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) the salient features of the Transformer Factory proposed to be set up near Jhansi; and

(b) the time by which the work thereon is expected to commence?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) The salient features of the Transformer factory proposed to be set up at Jhansi are as under :—

1. Product mix proposed for manufacture :	1,250 nos. MVA Power Transformers upto 50 MVA, 132 KV Class. 20 Nos. Special Transformers 100 Nos. Traction Transformers 80 Nos. Reactors and 1960 Nos. Instrument Transformers upto 400 KV Class.
2. Sale Value of output :	Rs. 1,495 lakhs per annum.
3. Estimated Project cost :	Factory — Rs. 1,452.13 lakhs Tounship Rs. 265 lakhs.

(b) The first phase of construction is expected to be completed in about 3 years when production would commence and some output is expected to be realised at the end of four years. Full production is likely to be achieved in the Sixth Year.

खनिज संबंधी खोज के लिये पर्वि भारत का सर्वेक्षण

6549. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा खनिजों संबंधी खोज के लिये वर्ष 1972-74 के दौरान पूर्वी भारत (पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा) तथा पूर्वोत्तर भारत (त्रिपुरा, मनीपुर, मेघालय) का कितनी बार सर्वेक्षण किया गया ;

(ख) उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या उन क्षेत्रों में कोयले पर आधारित पेट्रोलियम की संभाव्यता का पता लगाने के लिये भी कोई सर्वेक्षण किया गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) जी, हां । 1948 में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा पश्चिमी बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र के पूर्वी भागों तथा बिहार के बोकारों, रामगढ़ और करनपुरा कोयला क्षेत्रो में भू-वैज्ञानिक अन्वेषण किए गए थे ।

विवरण

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किए गए अन्वेषणों निम्नलिखित भण्डारों का पता लगा है :--

स्थान	खनिज	अनुमानित भण्डार (लाख टनों में)
रानीगंज कोयला क्षेत्र . .	कोयला	224.20
बर्दवान जिला . . .	मिट्टी .	90.20
दार्जिलिंग जिला (पश्चिमी बंगाल)	सीसा-जस्ता आयस्क	(संभावना पूर्ण निक्षेप)
झरिया, पूर्वी व पश्चिमी बोकारो, उत्तरी करनपुरा तथा राजमहल कोयला क्षेत्र	कोयला	17863.00
रांची जिला (बिहार) .	बाक्साइट	65.50 (48%से अधिक एलूमिना)
तलचर कोयला क्षेत्र . .	कोयला	632.80
मयूरभंज जिला . . .	तांबा अयस्क	8.00 (1%तांबा)
कटक तथा मयूरभंज जिला .	निकिल अयस्क	153.20 (0.97% से 1.12%तक निकिल)
मयूरभंज जिला (उड़ीसा) .	वेनेडिफेरस	5.00 (1%वैनेडियम आक्साइड)
मेघालय की खासी पहाड़ियां	चूना पत्थर (सीमेंटग्रेड)	64.00
	तांबा सीसा जस्ता अयस्क	25.00 (4.58%तांबा सीसा जस्ता)

सोवियत संघ से खनन उपकरण

6550. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1956 के एक समझौते के अन्तर्गत देश को सोवियत संघ ने खनन उपकरण प्राप्त हुए थे ;

(ख) करार की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) सोवियत संघ द्वारा सप्लाई किये गये उपकरणों का ब्यौरा क्या है और किन किन कोयला कम्पनियों ने उसका उपयोग किया तथा क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में किये गये सर्वेक्षण

6551. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिजों संबंधी खोज के लिये भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के वर्ष 1972-73 1973-74 तथा 1974-75 के लिये वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) इस अवधि के दौरान भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा क्षेत्र-वार तथा वर्ग-वार कितने सर्वेक्षण किये गये ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के कार्य परस्पर सम्बद्ध हैं और उनमें से अधिकांश खनिज समन्वेषण से सम्बन्धित हैं, जो एक मुख्य कार्य है । अतः भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था को स्वीकृत राशि में से खनिज समन्वेषण के लिए विशेष रूप से अलग राशि की व्यवस्था करना संभव नहीं है । फिर भी, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के लिए वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के बजट में की गई धन व्यवस्था और 1974-75 के बजट अनुमान के आंकड़े नीचे दिखाए गए हैं :–

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1972-73	संशोधित अनुमान 1972-73	बजट अनुमान 1973-74	संशोधित अनुमान 1973-74	बजट अनुमान 1974-75
योजनागत	590.00	395.20	390.96	318.96	400.00
गैर योजना गत .	946.00	899.89	795.06	777.61	881.00
जोड़ .	1536.00	1295.09	1186.02	1096.57	1281.00

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे के लिये प्रस्तावित कोयला आधारित शक्ति

6552. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय को कोयले पर आधारित्त शक्ति का उपयोग करने तथा डीजल से इंजन न चलाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव कब दिया गया था और इसकी मुख्य बाते क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) खान विभाग द्वारा रेल मंत्रालय को डीजल के स्थान पर कोयले पर आधारित विद्युत शक्ति के उपयोग का कोई विशेष सुझाव नहीं दिया गया था। ईंधन नीति समिति, जिसने इस प्रश्न की जांच की थीं, ने मई, 1972 में प्रस्कुत अपनी रिपोर्ट के भाग-1 में सिफारिश की थी कि उन मुख्य मार्गों का अधिक से अधिक विद्युतीकरण किया जाए जिनपर यातायात बढ़ने की संभावना हैं। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

सेना में भर्ती के लिए राज्यवार-कोटे का निर्धारण

6553. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में सभी वर्गों के रेजीमेंटों में वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर भर्ती कोटे की नई प्रतिशतता जिस के फलस्वरूप पंजाब, जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, तथा मनीपुर आदि सीमावर्ती राज्यों की भर्तीप्रतिशता कम हो जाती है, से इन राज्यों के मनोबल तथा सेना में उनके योगदान पर वितरित प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के सामान्य लोगों तथा विशेषकर सक्रिय एवम् भूतपूर्व सैनिकों के दिल में अपने बच्चों के भविष्य के विचार से व्याप्त असन्तोष को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) सेना में राज्यवार कोटे के आरक्षण का क्या औचित्य हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जबकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मामले में, 1971 की जनगणना के भर्ती कोटे के आधार पर सेना की सभी वर्गों वाली रेजिमेन्टों के लिए भर्ती प्रतिशतता में मामूली कमी देखी गई हैं, तो बताए गए अन्य सीमावर्ती राज्यों में उनके अनुरूप सभी वर्गों वाली रेजिमेंटों के लिये हर मामले में 1961 की जनगणना के आधार पर पहले कोटे की तुलना में भर्ती कोटे में वृद्धि हुई हैं।

उपर्युक्त स्थिति के अतिरिक्त सारी सेना अर्थात् सभी वर्गों वाली रेजिमेंटों में और सेना की अन्य रेजिमेन्टों जो पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से कतिपय वर्गों अथवा समुदायों के लिए आरक्षित है, को इकट्ठा मिलाकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बारे में 17-25 वर्ष के आयु ग्रुप में भर्ती किए जाने वाली पुरुष जनसंख्या के आधार पर उनके हिस्से से भर्ती के कोटे की प्रतिशतता अभी भी अधिक होगी। ऐसा होते हुए भी इस परिवर्तन के कारण सेना में इन राज्यों की जनता के मनोबल तथा योगदान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार की नीति के अनुसार हैं जो समय-समय पर संसद में बताई गई हैं अर्थात् कतिपय वर्गों अथवा समुदायों के लिए आरक्षित भर्ती वाली रेजिमेन्टों को छोड़कर शेष सेना में भर्ती विभिन्न राज्यों में 17 से 25 वर्ष के आयु ग्रुप वाली भर्ती के लिए उपयुक्त पुरूष जनता के अनुपात के आधार पर की जाती है ।

राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों में भर्ती संबंधी कोटे की प्रतिशतता

6554. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री 14 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3100 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी वर्गों की रेजीमेंटों में 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित सेना में भर्ती सम्बन्धी कोटे की प्रतिशतता को किस तिथि से लागू किया गया है ; और क्या इस मामले में राज्य सरकारों से भी सलाह की गई हैं ;

(ख) हरियाणा के तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं तथा इसको विवरण में सम्मिलित किये जाने के क्या कारण है ;

(ग) सभी वर्ग की रेजीमेंटों के नाम तथा उनकी संख्या कितनी हैं ; और

(घ) आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, इंजीनियर्स और इंफेंट्री के उन रेजीमेंटों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिसमें विशिष्ट रुप से वर्गगत गठन है और किन राज्य/राज्यों में यह निर्धारित वर्ग के लोग उपलब्ध हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पहली अप्रैल, 1973 से । जी नहीं श्रीमन्। राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया था क्योंकि यह कार्रवाई स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार की समय-समय पर बताई गई नीति के अनुरूप हैं ।

(ख) हरियाणा के भर्ती सम्बन्धी आंकड़े निम्नांकित हैं :—

सभी वर्गों की रेजिमेंटों के बारे में 1971 के जनगणना के आधार पर भर्ती कोटे की प्रतिशतता	1-4-1968 से 31-3-1971 की अवधि के लिए आंकड़ों के आधार पर सारी सेना में वास्तविक औसत भर्ती
1.8	7.00

14 मार्च, 1974 को हरियाणा के लिए अलग से आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है ;

(ग) और (घ) इन ब्यौरों को प्रकट करना लोक हित में नहीं है ।

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवा लेडी डाक्टरों की बदली

6555. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री 14 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की ऐसी कितनी विधवाओं की बदली के आदेश 1973-74 में जारी किये गये है जो सैनिक अस्पतालों में लेडी डाक्टर के पदों पर कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या उनमें से कुछ लेडी डाक्टरों ने यह अनुरोध किया है कि उनसे सहानुभूति रखते हुये उन्हीं स्थानों पर रहने दिया जाय जहां उनकी नियुक्ति की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(घ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (घ) केवल एक ही ऐसा मामला था जिसमें एक लेडी डाक्टर ने, जो एक सैनिक शहीद की विधवा थीं, अनुग्रह के आधार पर, एक वर्ष के लिए अपने पुराने नियुक्ति स्थान पर ही रहने दिये जाने का अनुरोध किया था । उनके इस अनुरोध को मान लिया गया था तत्पश्चात् लगातार एक ही स्टेशन पर 5 वर्ष और 10 महीने तथा एक ही राज्य में 8 वर्ष और 8 महीने रहे लेने के बाद सेवा आवश्यकताओं के कारण, 1973-74 के दौरान उनका स्थानान्तरण कर दिया गया ।

विदेशों में भारतीय मिशनों में टेलीप्रिंटर सेवा

6556. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन किन दुतावासों/हाई कमीशनों में टेलिप्रिन्टर सेवा उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या कुछ और दुतावासों/हाई कमीशनों में टेलिप्रिन्टर सेवा उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो किन दुतावासों/हाई कमीशनों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 31-3-74 तक का एक विवरण संलग्न है जिसमें विदेश मंत्रालय नई दिल्ली की दूर संचार संपर्क व्यवस्था का ब्यौरा दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6689/74]**

(ख) जी हां ।

(ग) बगदाद जेद्दा, मेड्रिड, मेक्सिको और सिओल स्थित अपने राजदूतावासों के साथ टेलेक्स सम्पर्क स्थापित करने के प्रस्ताओं पर विचार किया जा रहा है ।

इंडियन स्कूल आफ फारेन लेंग्वेजेज में एशियाई भाषाओं के अध्ययन पाठ्यक्रम

6557. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे "इण्डियन स्कूल आफ फारेन लेंगवेजस" में किन-किन एशियाई भाषाओं का अध्यायन कराया जाता है ;

(ख) इस स्कूल में इन भाषाओं में प्रत्येक भाषा के लिए उपलब्ध किन पाठ्यक्रमों का अध्ययन कराया जाता है ;

(ग) इन भाषाओं में प्रत्येक भाषा के लिए इन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितने-कितने छात्र हैं ।

(घ) क्या इस समय इस स्कूल में अध्ययन न करायी जा रही अन्य एशियाई भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए सरकार के विचाराधीन कार्यवाही कौन सी है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) स्कूल आफ फारेन लेंगवेजेज में अरबी, बर्मी, चीनी, जापानी, फ़ार्सी, तिब्बतन और मले/वाहृषा इन्डोनेशियिा पढाने की व्यवस्था है ।

(ख) इस स्कूल में इन भाषाओं के उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम (दो भाग) और दुभाषिया पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन कराने की व्यवस्था है ।

(ग) पहली अप्रैल, 1974 को इन पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या निम्नांकित है :—

भाषाएं	उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम	दुभाषिया पाठ्यक्रम	
अरबी	6	5*	*31-1-74 को पाठ्यक्रम पूरा हो गया
बर्मी	3	7	
चीनी	20	10	
जापानी	14	6	
तिब्बतन	1	9	
मले/वाहृषा इन्डानेशिया	9	4	
फार्सी	..	..	

(घ) जी हां, श्रीमन, यदि भारत सरकार और विशेष रूप से रक्षा सेवाओं के लिए इसकी आवश्यकता हो ।

(ङ) पशतो और सिंहल पढ़ाने के लिए कारवाई की जा रही है ।

कलकत्ता की फर्मों द्वारा इस्पात के कोटे का दुरुपयोग

6558. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री आबंटित इस्पात के लिए दुरुपयोग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्युरो द्वारा जांच करने के बारे में 23 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3972 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के कोटे का दुरुपयोग करने के आरोप में कलकत्ता की फर्मों के प्रत्येक मामले में कितनी नराशि अन्तर्गस्त है ; और

(ख) इन फर्मों में से प्रत्येक फर्म के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कलकत्ते की फर्मो में से प्रत्येक के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6690/74**]

वर्ष 1971-73 क दौरान निरोध तथा अन्य गर्भ निरोधकों का उत्पादन

6559. **श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1971-72 और 1973 के दौरान निरोध तथा अन्य गर्भ निरोधकों के कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि में उनका किस प्रकार से प्रचार किया गया और उनके विक्रय के क्या प्रबन्ध थे ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में वितरकों को इसकी बिक्री से कितना लाभ हुआ ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) देश में निरोध तथा अन्य प्रचलित गर्भनिरोधकों के उत्पादन की स्थिति निम्नलिखित प्रकार थी :—

प्रचलित गर्भनिरोधक	उत्पादन की संख्या		
	1971	1972	1973
निरोध (कण्डोम) . .	1348.4 लाख नग	1685.5 लाख नग	1552.5 लाख नग
झागदार टिकियां .	33.80 लाख टिकिया	9.02 लाख टिकियां	16.77 लाख टिकियां
गर्भनिरोधक जैल/जैली/क्रीम	7,58,888 ट्यूबें	2,84,411 ट्यूबें	75,248 ट्यूबें

निरोध का प्रचार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा सिनेमा, रेडियो, प्रस, बस-पैनलों, होर्डिन्ग, दूकानों के बाहर निशानों, जन प्रचार के अन्य साधनों और खुदरा दुकानों पर सामग्री खरीदने के स्थान के माध्यम से किया जाता है। निरोध व्यावसायिक योजना की वितरण पद्धति के अन्तर्गत देश में उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने वाले सबसे बड़ी तथा अत्यधिक अनुभवी छः कम्पनीयां और एक सरकारी उपक्रम निरोध के वितरण और विक्री के कार्य में लगे हुए हैं। ये कम्पनियां हैं ब्रुक बाण्ड इण्डिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड, इण्डिया टोबेको कम्पनी लिमिटेड, लिप्टन (इण्डिया) लिमिटेड, टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, युनियन कार्बाईड इण्डिया लिमिटेड, जोकि निजी क्षेत्र में है और इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड जो कि सरकारी क्षेत्र में है। इण्डियन आयल कारपोरेशन में प्रयोगात्मक आधार पर अभी नवम्बर, 1973 के मध्य से ही निरोध वितरण आरम्भ किया है।

ये सात वितरण कम्पनियों निरोध सरकार से 8 पैसे पर तीन की दर से प्राप्त करती है और 12 पैसे पर तीन की दर से परचुन व्यापारियों को सप्लाई करती है जो कि बाद में इसे उपभोक्ता को 15 पैसे तीन की दर से बेचते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय ये कम्पनियां 2.20 लाख से अधिक खुदरा दुकानों के माध्यम से निरोध वितरण करती हैं।

इन कम्पनियों ने निरोध की बिक्री पर निम्नलिखित ग्रास कमीशन कमाई जिसमें से उन्हें निरोध पर अपने वितरण खर्च, पूरे करने होते हैं :--

वर्ष	ग्रास कमीशन
1970-71 .	3.30 लाख रुपये
1971-72 . .	4.27 लाख रुपये
1972-73 .	5.30 लाख रुपये

कुल कमीशन का हिसाब कम्पनियों द्वारा अपना खर्च पूरा करने के लिए अपने पास रखी गई मार्जिन की वास्तविक राशि जोकि (अर्थात मार्जिन) हर कम्पनी के लिए अलग अलग है के आधार पर लगाया गया है ।

स्पंज आयरन प्लांटस

6560. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार व कौन-कौन से स्पंज आयरन प्लान्टस हैं जिन्हें आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं और इनमें कितना पुंजी निवश किया गया है तथा उनकी वार्षिक क्षमता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : स्पंज लोहे के कारखानों की स्थापना के लिए 8 आशय पत्र दिए गए हैं। उनकी वार्षिक क्षमता तथा अनुमानित पुंजी निवेश इनके नामों के सामने दिया गया है :---

क्रम सं०	यूनिट	वार्षिक क्षमता (टन)	राज्य	अनुमानित पूंजी निवेश (लाख रुपये)
1	दि तमिलनाडु इण्डस्ट्रीयल डिवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि०, मद्रास . . .	1,00,000	तमिलनाडु	400
2	राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, जयपुर .	3,00,000	राजस्थान	915
3	स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लि०, बम्बई . .	1,00,000	महाराष्ट्र	590
4	हरियाणा स्टेट इण्डस्ट्रियल डिवेलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, चन्डीगढ़ . .	1,00,000	हरियाणा	350
5	इण्डस्ट्रियल डिवेलपमेन्ट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० भुबनेश्वर . .	3,00,000	उड़ीसा	*1800
6	आन्ध्र प्रदेश इण्डस्ट्रियल डिवेलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, हैदराबाद . .	30,000	आन्ध्र प्रदेश	300
7	गुजरात इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लि०, अहमदाबाद . . .	1,80,000	गुजरात	450
8	आसाम इण्डस्ट्रियल डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, गौहाटी . . .	30,000	आसाम	310

*बिलेट परियोजना शामिल है ।

बड़े नगरों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पंजीकृत बेरोजगार

6561. श्री आर० एन० बर्मन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, बंगलौर और मद्रास में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने स्नातक एवं गैर-स्नातक बेरोजगारों ने इस समय रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कर रखे हैं ; और

(ख) राज्य सरकारें एवं केन्द्र सरकार इन बेरोजगारों के मामले में किन योजनाओं पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरणों (विवरण एक और विवरण दो) में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6691/74]**

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड को घाटा

6562. श्री आर० एन० बर्मन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड घाटे पर चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मंत्रालय इसका विस्तार नहीं पसन्द करता और इसे दी जा रही वित्तीय सहायता को घटाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ। मैंगनीज ओर इण्डिया लि० को वर्ष 1972-73 में पहली बार हानि हुई है।

(ख) हानि होने के कुछ मुख्य कारण मैंगनीज अयस्क के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार अनुकूल न होने के कारण स्टाक जमा हो जाना, आरम्भिक लक्ष्यों के अनुसार इस्पात का उत्पादन न होने के कारण देश में मैंगनीज अयस्क की खपत कम होना, मैंगनीज अयस्क की ढुलाई के लिए रेल के डिब्बे उपलब्ध न होना, फालतू पुर्जों और कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि, मजदूरों को सस्ते भाव पर अनाज देने के खर्च में वृद्धि होना है।

(ग) मैंगनीज ओर इडिया लि० द्वारा उत्पादित मैंगनीज अयस्क की मांग पहले ही इसके उत्पादन से कम है। इसकी मांग बढ जाने पर ही इसके विस्तार का प्रश्न उठेगा। सरकार मैंगनीज ओर इण्डिया लि० को सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० ने मैंगनीज ओर इण्डिया लि० द्वारा बैंक से लिए ऋण के लिए गारंटी दी है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मुकदमों पर व्यय

6563. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने अपने मुकदमों पर वकीलों की फीस भत्ते पर बहुत अधिक धनराशि का व्यय किया है ;

(ख) यदि हां, तो 1972-73 और 1973-74 में इस मद पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या उपरोक्त राशि में कुछ ऐसे मामले भी हैं जबकि कुछ वकील उन्हें निर्दिष्ट मुकदमों में न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की जाएगी कि प्रत्येक वकील कितने मामलों में पेश हुआ और उन्हें दी गई अदायगियों आदि के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बैलाडिला में लौह अयस्क के उत्पादन की लागत

6564. श्री आर० एन० बर्मन: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिला में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा उत्पादित लौह अयस्क की उत्पादन लागत गैर सरकारी ठेकेदारों द्वारा उत्पादित अयस्क की लागत से बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितना अन्तर है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की अत्याधिक हानि का यह भी एक प्रमुख कारण है ; और

(घ) यदि हां, तो हानि को कम करने के लिए उत्पादन लागत में इस अन्तर को घटाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) राष्ट्रीय विकास निगम की यंत्रीकृत खानों की उत्पादन लागत बैलाडिला की "फ्लोट ओर" की खानों, जिनमें मजदूर काम करते हैं, की उत्पादन लागत से अधिक है ।

(ख) वर्ष 1972-73 में प्लान्ट और "फ्लोट ओर" की उत्पादन लागत में 12.86 रुपये प्रति टन का अन्तर था (इसमें यंत्रीकृत खानों में मूल्यह्रास के लिए 8.86 रुपये तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा सरकार से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 2.39 रुपये शामिल हैं) ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) राष्ट्रीय खनिज निगम विकास संयंत्र उत्पादन को अधिकाधिक करने के लिए सभी प्रयत्न कर रही है । कम क्षमता के डम्परों के बदले उत्तरोत्तर अधिक क्षमता के डम्पर काम में लाए जा रहे हैं । उपस्करों के इस्तेमाल में भी उत्तरोत्तर सुधार किया जा रहा है । खनिज के चूरे के निपटान की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और स्क्रीनिंग प्लान्ट में भी कुछ फेर बदल किए जा रहे हैं । फालतू पुर्जों की क्रान्तिक मदों तथा उपस्करों की प्राप्ति का काम शीघ्रता से किया जा रहा है । परिचालन लागतों की लगातार समीक्षा की जा रही है और कीमतों पर नियंत्रण रखा जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल श्रम सलाहकार बोर्ड द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के कर्मचारियों एवं पत्रकारों को भुखमरी से बचाने का अनुरोध

6565. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल श्रम सलाहकार बोर्ड ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल के स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के कर्मचारियों एवं पत्रकारों को भुखमरी से बचाने के लिए तत्काल तथा निश्चित उपाय किए जाएं ।

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है ; और

(ग) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Review of Agreement between U.S.A. and Britain on Diego Garcia Island

6566. Shri Shrikrishna Agrawal: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Indian Government have requested the new Labour Government of Britain after its formation for reviewing the agreement concluded between the U.S.A. and Britain in regard to Diego Garcia Island in Indian Ocean; and

(b) if so, the reaction of the new Labour Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) & (b) Government have been in touch through our High Commissioner in London with the new Government in the United Kingdom on the agreement between USA and Britain in regard to the naval base in Diego Garcia Island. The U.K. Government have informed us that the matter is still under review.

पुरुष की नसबंदी पर व्यय

6567. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम के वर्तमान रूप पर, जिसमें पुरुष की नसबन्दी पर अधिक बल दिया जाता है, बहुत अधिक व्यय होता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) प्रत्येक आपरेशन में दवाईयों, डाक्टरों की फीस, क्षतिपूर्ति, जनवैसर्ज फीस, खाने और आवासन पर होने वाले व्यय का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी के प्रत्येक मामले के लिए 35/– रुपये की दर से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें दवाइयों, डाक्टर की फीस का खर्च, जब खर्च और मजदूरी की हानि को पूरा करने के लिए नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति और प्रेरक का भुगतान शामिल है । इन मदों पर केन्द्रीय सहायता के वितरण का हिसाब राज्यों पर छोड़ दिया गया है । केन्द्रिय सरकार भोजन और आवास के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करती है क्योंकि सामान्यत: नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति आपरेशन के बाद घर वापस चले जाते है ।

हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डे के बारे में पाकिस्तानी समर्थन का अमरीकी दावा

6568. **श्री नरेन्द्र सिंह** :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्द महासागर में डिएगो गार्शिया के नौसैनिक अड्डे के लिए पाकिस्तानी समर्थन के बारे में अमरीकी दावों के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने वाशिंगटन की एक प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने दिएगो गार्सिया में अमरीकी सैनिक सुविधाओं के विस्तार पर अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई है। सरकार ने पाकिस्तान की 2 अप्रैल, 1974 की भी एक प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें पाकिस्तान के रक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री के इस कथन का हवाला दिया है कि "अगर ब्रिटिश सरकार अमरीका की सरकार को कोई खास सुविधाएं प्रदान करती है तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते"। सरकार का यह विचार हमेशा रहा है कि दिएगो गार्सिया में अड्डे की ऐसी सुविधाएं उत्पन्न तथा प्रदान करना संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लंघन है जिसमें हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित किया गया है और जिसका समर्थन पाकिस्तान ने भी किया है।

ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि की मांग

6569. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन लागत में वृद्धि को देखते हुए ट्रैक्टर उद्योग ने ट्रैक्टर के मूल्य में 15-- वृद्धि की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। कुछ मामलों में और भी अधिक वृद्धि की मांग की गई थी।

(ख) विभिन्न अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों के प्रतिनिधि माडलों की लागत की जांच होने तक, जिससे सरकार उचित बिक्री मूल्य निर्धारित कर सकती है, सरकार ने 1-12-1973 से सभी ट्रैक्टरों के बिक्री मूल्यों में 10 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि करने की अनुमति दे दी है।

विभिन्न देशों द्वारा गुट-निरपेक्षता के सिद्धांत स्वीकार करना

6570. श्री शंकर राव सावंत : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के किन-किन देशों ने गुट-निरपेक्षता को अपनी विदेश नीति का मूल सिद्धान्त स्वीकार किया है; और

(ख) कौन-कौन से देश गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्त के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हैं; कौन-कौन से विक्षेप प्रकट कर रहे हैं और कौन-कौन से केवल इसके विकास को देख रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सितम्बर 1973 में अल्जियर्स में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखिर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिन देशों को बुलाया गया था उनके नाम अनुबन्ध 'क' में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6692/74]**

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में गुटनिरपेक्षता की नीति की वैधता को पूर्ण रूप से समर्थन मिला है। इसे अनेक ऐसे देशों ने भी स्वीकार किया है जो स्वयं गुट-निरपेक्ष नहीं है। फिर भी, समय-समय पर कतिपय क्षेत्रों में गुट-निरपेक्षता की नीति पर शंका और असहमति व्यक्त की गई है।

हिन्द महासागर में अमरीका चीन और रुस के नौसैनिक अड्डे

6571. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, चीन, और रुस नामक बड़ी शक्तियों ने हिन्द महासागर में नौसनिक अड्डे स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां कहां तथा भारतीय तट से कितनी दूरी पर ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक अड्डे पर रखी जाने वाली नौसनिक यूनिटों की सम्भावित शक्ति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जहां तक भारत सरकार को मालूम है हिन्द महासागर में न तो चीन का कोई नौसैनिक अड्डा है और न सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ का। लेकिन इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ नौसैनिक अड्डे अवश्य है।

(ख) विभिन्न स्थानों पर सुलभ बहुत सी सुविधाओं आदि के अतिरिक्त, हिन्द म सागर में निम्न लिखित स्थानों पर संयुक्त राज्य अमरीका के नौसैनिक अड्डे होने के बारे में ज्ञात है :—

(i) बहरीन . . .	ओखा से 705 समुद्री मील
(ii) दियागो गार्सिया . . .	केप कोमोरिन से 900 समुद्री मील
(iii) उत्तर-पश्चिमी केप (आस्ट्रेलिया) .	निकोबार द्विप से 2050 समुद्री मील
(iv) काकबर्न साउण्ड (आस्ट्रेलिया) .	निकोबार द्विप से 2570 समुद्री मील

(ग) यह ठीक-ठीक बता पाना मुमकीन नहीं है कि इनमें से प्रत्येक अड्डे में कितने-कितने नौ सैनिक यूनिट रखे जा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बंगलादेश को सदस्य बनाना

6572. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे वे कौन-कौन से अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिन्होंने बंगलादेश को अपना सदस्य स्वीकार कर लिया है और जिन्होंने इसे अपना सदस्य बनाने से इन्कार कर लिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मालूम हुआ है कि निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने बंगला देश को सदस्य बनाया है :—

1. विश्व स्वास्थ्य संघठन
2. संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन
3. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि
4. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक
5. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था
6. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
7. अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेन्सी
8. संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन
9. खाद्य एवं कृषि संगठन
10. विश्व डाक संघ

11. अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन
12. एशिया विकास बैंक
13. एशिया तथा प्रशान्त आर्थिक एवं समाज आयोग
14. विश्व मौसम विज्ञान संगठन
15. संयुक्त राष्ट्र उद्योग विकास संगठन
16. अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ
17. राष्ट्रमण्डल
18. सामान्य तटकर एवं व्यापार करार
19. कोलम्बो योजना
20. निर्गुट राष्ट्र दल
21. दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में तकनीकी सहयोगार्थ कोलम्बो योजना परिषद
22. राष्ट्रमण्डल जहाजरानी संगठन
23. अन्तर संसदीय संघ
24. राष्ट्रमण्डल वायु परिवहन परिषद
25. विश्व ऊर्जा सम्मेलन लन्दन
26. अन्तरराष्ट्रीय सिंचाई और निर्गम आयोग
27. अफ्रो एशियाई लोक एकता संगठन
28. संयुक्तराष्ट्र संस्था का विश्व महासंघ
29. प्रशान्त महासागर क्षेत्र पर्यटन संस्था
30. अन्तर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन परिरक्षण संघ
31. रेड क्रास सोसायटी लीग
32. अन्तर्राष्ट्रीय बृहद बान्ध आयोग
33. अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा संगठन संघ

26 अगस्त, 1972 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के नकारात्मक मत के कारण संयुक्त राष्ट्र में बंगला देशके प्रवेश का आवेदन गिर गया था ।

खान श्रमिकों के लिए उच्च अध्ययन के प्रबन्ध

6573. श्री गजाधर माझी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान खान श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए उच्च अध्ययन के लिए कोई प्रबन्ध किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

भारत कोकींग कोल लिमिटेड को हानि

6574. श्री गजाधर माझी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 7 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मई से दिसम्बर, 1972 की अवधि के दौरान भारत कोकिंग कौल लिमिटड को 2.58 करोड़ रुपये की हानि के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय म उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : 2.58 करोड़ रुपये की हानि कामगारों की मजदूरी पर अधिक खर्च, भविष्य निधि में मालिकों के अंशदान, कामगारों के कल्याण के लिए अन्य सुविधाओं, आनुतोषिक भुगतान तथा पूरे वर्ष के लिए मूल्य ह्रास की व्यवस्था करने के कारण हुई हैं ।

राज्यों में चुनाव के दौरानप्रधान मंत्री द्वारा वायु सेना के वायुयानों में की गई उड़ानें

6575. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ने एक जनवरी से 22 फरवरी, 1974 के बीच पांच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाओं के सम्बन्ध में भारतीय वायुसेना के वायुयानों और हैलिकेप्टरों में कितनी बार उड़ाने की;

(ख) उपरोक्त अवधि में सरकारी प्रयोजनों और पार्टी प्रयोजनों पर किए गए दौरों के लिए वायुयानों और हैलिकैप्टरों का कुल कितना बिल बैठा ;

(ग) भारतीय वायुसेना के वायुयानों और हैलिकेप्टरों को किराये पर लेने के लिए कांग्रेसदल द्वारा कितनी राशि देय है ; और

(घ) कांग्रेस दल ने अब तक कुल कितनी राशि अदा कर दी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पहली जनवरी से 22 फरवरी की अवधि के दौरान प्रधान मंत्री ने भारतीय वायु सेना के विमान/हैलिकाप्टर द्वारा राज्यों और संघ शासित क्षत्रों का गैर सरकारी प्रयोजनके लिए सात अवसरों परदौरा किया। उन यात्राओं के दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का निम्नलिखित दौरा किया :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दौरों की संख्या
उत्तर प्रदेश	6
उड़ीसा	2
मणिपुर	1
पाण्डेचरी	1
असम	1
तमिलनाडु	1
पश्चिम बंगाल	1

(ख) से (घ) प्रधान मंत्री के सरकारी दौरों का खर्च वसूल नहीं किया जाता। गैर सरकारी उड़ानों के बारे में वसूल किए जाने वाले खर्च का उड़ान सम्बन्धी ब्यौरा प्राप्त हो जाने के पश्चात परिकलन किया जा रहा है और प्रधान मंत्री सचिवालय के माध्यम से वसूली की जाएगी। उसके पश्चात प्रधान मंत्री सचिवालय अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी सहित अन्य सम्बन्धित पार्टियों को अलग से बिल भेजेगा ।

जाली कार परमिट काण्ड

6576. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वनमाली पटनायक :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री जाली कार परमीट कांड के बारे में 28 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1242 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त मामले में किन-किन अधिकारियों का हाथ था और वे किन-किन पदों पर आसीन थे तथा इस मामले में मंत्रालय स्तर के जिन कर्मचारियों का हाथ था उनके नाम एवं पदनाम क्या हैं ;

(ख) इस घोटाले में जिन अन्य व्यक्तियों का हाथ था उनके नाम तथा पते क्या हैं और समूचे मामले की पृष्ठभूमि क्या है ; और

(ग) प्रत्येक दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं और उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) से (ग) इस मामले की पुलिस द्वारा अभी भी जांच की जा रही है, कोई भी अधिकारी इस मामले में अन्तंग्रस्त नहीं पाया गया है। किन्तु अनु-सचिवीय स्तर के दो कर्मचारी जिनके सम्बन्ध में सहापराधिता का आरोप लगाया गया है, निलम्बित कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ डीलरों के पांच बिक्री प्रतिनिधियों और कारों के आठ दलालों और मोटरगाड़ी परामर्शदाताओं पर भी मामले में अन्तर्गस्त होने का आरोप लगाया गया है। चूँकि पुलिस द्वारा मामले की अभी भी जांच की जा रही है इसलिए सरकारी कर्मचारियों के नाम और इस मामले में अन्तर्गस्त अन्य सन्दिग्ध व्यक्तियों के नाम बताना इस अवस्था में वांछनीय नहीं है।

विशाखापत्नम नौसैनिक प्रतिष्ठान के आकस्मिक सिविलियन कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करना

6579. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम नौसैनिक प्रतिष्ठान में ऐसे कितने आकस्मिक सिविलियन कर्मचारी काम करते हैं जिन्होंने सेवा में तीन मास के सामान्य अवरोध के साथ एक वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली है ;

(ख) उन्हें अभी तक विनियमित न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) विशाखापत्तनम के विभिन्न नौसैनिक प्रतिष्ठानों में अकुशल श्रमिकों के कितने नियमित पद है ; और

(घ) एक वर्ष की सेवा वाले वर्तमान आकस्मिक श्रमिकों को उन पदों पर नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) 982।

(ग) 165।

(ख) और (घ) आकस्मिक असैनिक कर्मचारियों की सेवाएं नियमित रिक्त स्थान न मिलने के कारण पहले नियमित नहीं की जा सकी थी। तथापि, उपर्युक्त (ग) में दिए गए रिक्त स्थानों में अव समाहृत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जो हाल ही में स्वीकृत किए गए हैं।

हिन्दूस्तान स्टील एम्पलाइज युनियन, दुर्गापूर द्वारा ज्ञापन

6578. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 फरवरी, 1974 को हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाईज यूनियन, दुर्गापुर के संयुक्त सचिव ने अलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर के जनरल सुपरिन्टेंडेट को एक ज्ञापन दिया था जिसमें इस बात की सूचना दी थी कि 21 फरवरी, 1974 को रात्रि 8.30 बजे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने केवल सैनिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक हाथगोला हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाइज युनियन, दुर्गापुर के संयुक्त सचिव, श्री डाशी के निवास स्थान के बाहर वाले कमरे के अन्दर फैंका था ;

(ख) क्या ज्ञापन में इस बात का भी संकेत दिया गया था कि हथगोले पर पाकिस्तान आयुध कारखानों में 1969 में निर्मित होने के चिन्ह थे ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) कारखाने के प्रबन्धकों ने इस मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार के कानून तथा व्यवस्था प्राधिकारियों के पास की थी और उनसे सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने को कहा था । पुलिस प्राधिकारी द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र के निवृत्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा लगाये गये आरोप

6579. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री आर० वी स्वामीनाथन् :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध निदेशक ने यह गम्भीर आरोप लगाए हैं कि उनकी इमानदारी और दक्षता के कारण उन्हें पदच्युत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के अधिकारियों ने उनके द्वारा अनुसरण की जा रही नीतियों को पसन्द नहीं किया है ; ओर

(ग) क्या उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सम्भवत: अभिप्राय पिछले प्रबन्ध निदेशक से है, जिन्होंने 11 मार्च, 1974 को अपने पद का कार्यभार छोड़ा था । सरकार को उनके द्वारा लगाए गए तथाकथित आरोपों की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

औद्योगिक संबंधों में सुधार लाने के लिए 'इंटक' के सचिव द्वारा तैयार किया गया सूत्र

6580. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्टक" के सचिव ने औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए 3-सूत्री फार्मूले की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो फार्मुले की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :(क) से (ग) यह पता चला है कि इन्टक के महा सचिव ने हाल ही में एक गोष्ठी में देश में औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए तीन पूर्वापेक्षाओं का उल्लेख किया । वे हैं : —

(1) एक मजबूत और जिम्मेदार ट्रेड यूनियन ;

(2) प्रबुद्ध नियोजक ; और

(3) राज्य द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप ।

इन सब सुझाओं को व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा ।

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन यनिटों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मंत्री की बैठक

6581. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री तरुण गोगोई :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न यूनिटों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा चीफ कार्यकारी अधिकारियों की नई दिल्ली में 20 मार्च, 1974 को उन्हों ने बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था ; और

(ग) क्या निर्णय किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सु ोध हंसदा):(क) जी, हां ।

(ख) और (ब) बैठक का आयोजन प्राथमिक रुप से विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण, उनकी समस्याओं और विभिन्न क्षेत्रो में आई अड़चनों तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन उपक्रमों को सौंप गए कार्यो के सन्दर्भ में उनके कार्यकरण में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए, उन अड़चनों को दूर करने के लिए किए जाने वाले अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपायों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। बैठक में हुए विचार विनियम से समस्या सम्बन्धी क्षेत्रों का पता लगाने, अन्य अभिकरणों से किस प्रकार की तथा कितनी सहायता की आवश्यकता होंगीं इस बात का पता लाने तथा इस्पात, कोयला, एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा आदि के 1974—75 के लिए उत्पादन लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने में मदद मिली है ।

अमरीकी सहयोग से वाणिज्यिक मोटर वाहनों का निर्माण

6582. श्री तरुण गोगोई :
श्री निहार लास्कर :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अमरीका की जनरल मोटर्स कम्पनी के सहयोग से वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक होगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । अन्तिम निर्णय शीद ही लिए जाने की आशा है ।

गियाना में भारतीय सहायता से इस्पात संयंत्र स्थापित करना

6583. **श्री तरुण गोगोई :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गियाना में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हो गया है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वहां इस्पात संयंत्र कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) गुआना सरकार द्वारा पूछे जाने पर उन्हें यह बताया गया है कि उस देश में एक लघु इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए भारत उन्हें परामर्शदातृ और इंजीनियरी सेवाएं उपलब्ध करा सकता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस बात का फैसला उस देश को करना है ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE-QUESTION OF PRIVILEGE

न्यू फ्रेंडस को आपरेटिव हाऊस बिल्डींग सोसाइटी के बारे में वक्तव्य

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I have given notice of a Privilege Motion. Shri R. N. Mirdha's Statement is misleading and it has twisted facts. My name has been referred to several times but I was not informed as to when this Statement was to be made. Neither the House was informed. So this is a matter involving breach of privilege of the House. Besides, the statement is full of half truths. In the Statement, at one point it has been stated. As far as it has been possible for us to ascertain, out of 50 new members eventually enrolled as many as 34 are neither Government servants nor are they closely related to Government servants.

Shri Madhu Limaye : Let him give the list of 26 members.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The whole matter should be investigated.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I had mentioned certain names. Let Shri Mirdha state whether they got the land or not. They are high Government officials. You please also let me know what happened to my privilege motion ? Also the Government should lay on the table a copy of the affidavit submitted by the Lt. Governor in the Supreme Court.

Mr. Speaker : There is no privilege motion. However, I will convey your views to the hon. Minister.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : वक्तव्य यहां पर कल शाम छः बजे के बाद दिया गया था। मैंने कल यह बात भी उठाई थी और कुछ विशिष्ट आरोप भी लगाये थे परन्तु वक्तव्य में किसी भी आरोप का उत्तर नहीं दिया गया। अतः आप मंत्री महोदय को एक दूसरा वक्तव्य देने को कहें जिसमें उक्त आरोपों का उत्तर भी हो । दूसरे कोई वक्तव्य शाम छः बजे न देकर प्रातः के समय दिया जाये और उसकी पूर्व सूचना सभा को दी जाये। इतने लम्बे वक्तव्य में भी मेरे आरोपों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में हमें वक्तव्य देने संबंधी कोई प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिये।

श्री मधु लिमये : वह तो पहले से ही है परन्तु उसका अनुसरण नहीं दिया जा रहा है। सभा तथा सदस्यों को उसकी सूचना मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री बाजपेयी ने यह प्रश्न उठाया था और उन्हें इसकी सूचना मिलनी ही चाहिये थी, शायद कोई गलती हो गई है। भविष्य में हम ख्याल रखेंगे। प्रश्न उठाने वाले सदस्य को तत्संबंधी वक्तव्य की सूचना मिलनी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee: A copy of the Affidavit submitted to Supreme Court by the Lt. Governor should be laid on the table of the House and admission thereon be allowed

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर–पूर्व) : विशेषाधिकार का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ आरोप लगाये गये हैं इसलिये आप इस मामले को निर्णयाधिन रखकर श्री बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं जांच कर चुका हूं। यदि कतिपय तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाना है तो मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह अपने वक्तव्य में तदनुसार उसे जोड़ दें। इसमें किसी विशेषाधिकार के उल्लंघन की बात नहीं हुई है। यदि वक्तव्य में कोई कमी रह गई है तो उसे पूरा कर दिया जायेगा।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यह वक्तव्य तो झूठ से भरा पड़ा है।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय): मैंने हमेशा यह कहा है कि यदि किसी सदस्य को किसी विशेषाधिकार के उल्लंघन का अनुभव हुआ है तो उसे उसकी शिकायत करने दी जाये और सभा यह देखे कि उक्त उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। इस समय श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने विशषाधिकार के उल्लंघन की शिकायत की है। हमने इस पर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास नहीं किया है कि उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। अतः सभा को इस पर विचार करना चाहिए तथा कोई निष्कर्ष निकालना चाहिये।

Shri Madhu Limaye: Let the hon. Minister give his statement and thereafter Shri Vajpayee may speak. And only then we should give our decision thereon.

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रस्ताव देखकर, नियमानुसार कार्य करना है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरे विचार से किसी मंत्री को झूठा वक्तव्य देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस संदर्भ में मैं अपना ध्यान अपने एक मामले की ओर दिलाता हूं जिसमें मैंने एक केन्द्रीय मंत्री तथा एक राज्य मंत्री पर आरोप लगाये थे और मंत्री महोदय ने उनका खण्डन किया था। फिर एक बार श्री बाजपेयी ने सभा को गुमराह करने के लिए मेरे विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया था जिस पर यहां चर्चा हुई थी। अतः मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रस्ताव पर चर्चा को विचाराधीन रखिए। श्री मिर्धा ने सभा को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : वे मामले कुछ भिन्न थे और इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If the hon. Minister deleberately conceals the facts, does not elucidate the points raised and does not enlighten the House about the facts, even then is it not a matter of violation of privileges? You yourself please look into

my motion and compare it with the reaction of the hon. Minister. Then you see whether it is a matter of privilege or not?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या आपको मंत्री महोदय का वक्तव्य पहले ही दे दिया गया था और आपने उसे पढ़कर ही उसे पेश करने की अनुमति दी थी ?

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही। मंत्रीगण अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही वक्तव्य दे सकते हैं ऐसे ही जब चाहे नहीं। अब यदि मंत्रीगण के हर उत्तर पर उसके अपूर्ण, अपर्याप्त आदि होने की बात लेकर विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये जातें रहें तो उसका अन्त कहां जाकर होगा ? निदेश 115 के अधीन यदि कोई सदस्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट न हो तो हम मंत्री महोदय से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये माननीय सदस्य का विचार उन्हें भेज सकते हैं परन्तु यदि हर बार विशषाधिकार के उल्लंघन का मामला बनाया जाये तब तो वड़ा मुश्किल हो जायेगा। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

Shri Madhu Limaye: I want your ruling on the matter relating to Bihar. The House has got the right to discuss the act of the Governor. You should allow us to make our submissions.

Shri Shyam Nandan Mishra: Let the Business Advisory Committee find out some time for discussion on it.

Shri Atal Bihari Vajpayee: You had said that you would permit in case a proper motion is received. We have submitted that.

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि प्रस्ताव आ गया है, मैं उसे देखूंगा ।

सभा पटल पर रखे गयें पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बोकारो स्टील लिमिटेड और हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदनों की समीक्षा

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं : (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(क) (एक) बोकारो स्टील लिमिटेड के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वार समीक्षा ।

(दो) बोकारो स्टील लिमिटेड का वर्षा 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6676/74]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्कस् कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्कस् कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6677/74]

सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड कोटागुडम के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति:—

(एक) सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड, कोटागुडम कोलरीज (आन्ध्र प्रदेश) के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलरिज कम्पनी लिमिटेड, कोटागुडम कोलरिज (आन्ध्र प्रदेश) का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6678/74]

माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड दुर्गापुर के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1972–73 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणीयां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6679/74]

कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियम 1974 और कोयलाखान श्रम कल्याण संगठन की वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 306 में प्रकाशित हुए थे।

कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के वर्ष 1972–73 के कार्यकलापों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण/अंग्रेजी संस्करण के साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6680/74]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

51 वां प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं संचार मंत्रालय (भारतीय डाक और तार विभाग)–टेलीफोन के संबंध में प्राक्कलन समिति के 41 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 51 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

109 वां तथा 110 वां प्रतिवेदन

श्री एच० ए० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तरपूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) रेल मंत्रालय के संबंध में समिति के 77 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 109 वां प्रतिवेदन।

(2) गृह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों तथा कृषि विभाग के संबंध में समिति के 76 वे प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 110 वाँ प्रतिवेदन।

पाण्डिचेरी की संचित निधि से व्यय के प्राधिकरण के बारे में राष्ट्रपति का आदेश—सभापटल पर रखा गया

PRESIDENT'S ORDER IN REGARD TO AUTHORISATION OF EXPENDITURE OUT OF CONSOLIDATED FUND OF PANDICHERRY LAID ON THE TABLE

अध्यक्ष महोदय : श्री के० आर० गणेश।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

Shri Madhu Limaye: I have got a point of order I have given a regular notice against it.

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं उसे कुछ समय तक सभा पटल पर रखे जाने से रोक दिया था। फिर समिति में उस पर विचार किया गया और मैंने कहा था कि उन्हें समुचित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा तथा उन्हें एक विनियोजन विधेयक देय करना चाहिये। आप लोगों की आपत्ति इस आदेश पर की और जब इस आदेश को ठीक किया जा रहा है, तो आप फिर क्या करना चाहते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Assuming that you have not yet allowed Shri K. R. Ganesh to lay that paper, I would request you to first listen to us and then decide. After the dissolution of the State Assembly the Central Government should have asked for the permission of Parliament to draw money from the Consolidated Fund of India. Parliament is supreme in so far as financial matters are concerned. Government had enough time as well as opportunities to present a Bill and get it passed. But they are determined to play with the constitution and so there is a Presidential Order. Would you therefore allow a paper which is against the Constitutional provisions to be laid on the Table? Also no meeting or committee can make it constitutional.

I had given due notice in this behalf and suggested for an advice from the Attorney General of India. So you should not allow it until that advice is available and a discussion has taken place.

Shri Sezhian had written a letter to you and this matter is now in a court of law. We should avoid a confrontation between the court and Parliament. Therefore you please put it off and do not decide the legality or constitutionality on the basis of party majority. You please protect our rights and do not allow any thing to go which is against our Constitution.

Shri Madhu Limaye : There is a lot of differance between an Ordinary Bill and an Order of Appropriation issued by the President. On this Order you are the sole authority to decide. I, therefore, specifically submit that this Order is definitely against the Constitutional Provisions, it is illegal and therefore it should not be allowed. In case you find yourself unable to decide. There for that you can ask the House to decide. For that I have got a motion which says :—

"That it is the sense of the House that the Presidential Order sanctioning the appropriation of Rs. 50 crores from the Consolidated Fund of India is without the authority of law and that it encroaches upon the powers of the Pondicherry Assembly and Lok Sabha is financial matters."

Then efforts were being made to cover the illegality which had already occurred. It was said that the Law Minister is examining the matter and that he would say something. But now Shri K. R. Ganesh is laying that order and the Law Minister has not said anything. Therefore until some way is found or until you give some ruling, this matter and even the Budget itself cannot be discussed here. So let Shri Gokhale come out with a statement suggesting some are for the illegality.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरे विचार से यह एक सर्वथा अभूतपूर्व संवैधानिक संकट है। इस का महत्व कानून और व्यवस्था के भंग हो जाने की स्थिति से किसी प्रकार भी कम नहीं है। यदि हम इसको अनुमति देंगे तो इस का साफ अर्थ विधान सभा के अधिकारों का उल्लंघन होगा। आज तो पांडिचेरी जैसे छोटे राज्य का बजट एक आदेश द्वारा पास कर दिया गया है: कल को इस प्रकार केन्द्रीय बजट भी पास किया जा सकता है। आपने स्वयं भी इस आदेश की संवैधानिकता पर सन्देह प्रकट किया है जो कि अभी दूर नहीं किया जा सका है। आपने विपक्ष के साथ बैठक की थी क्या उसमें इसका कोई हल निकल सका? स्थिति तो अब भी वैसी ही है। अतः स को सभा पटल पर रखने की अनुमति देने का अर्थ यह होगा कि हम भी भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि के अवैध विनियोजन करने के कार्य में भागीदार हैं। इसलिये पहले तो यह निर्णय किया जाये कि यह आदेश कानुनी है अथवा नहीं। इसका निर्णय किस प्रकार करेंगे? आप स्वयं कोई वि निर्णय देंगे या सभा में चर्चा होगी।

अतः मेरा निवेदन है कि इसे सभापटल पर रखने की अनुमति देने से पूर्व उसका फैसला कर निर्णय कर लीजिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि इस अधिसूचना का इस सभा के पटल पर रखे जाने का अर्थ क्या पांडिचेरी विधान सभा के अधिकारों का उल्लंघन करना तो नहीं है? दूसरे क्या कोई पत्र जोकि संसद के अधिकारों का हनन करता हो उसे संसद के पटल पर रखा जा सकता है? तीसरे, मेरा प्रश्न है कि किस नियम के अधीन यह पत्र सभा पटल पर रखा जा रहा है? मेरे विचार से यह पत्र किसी विधान, प्रक्रिया या अध्यक्ष के निदेश के अन्तर्गत तो आता नहीं है। फिर उन आदेशों में से एक भी यह नहीं है जिनका उल्लेख प्रक्रिया नियमों में है।

चौथे यह मामला अदालत के निर्णयाधीन है और इसको अनुमति देकर यह सभा एक अस्वस्थ प्रक्रिया अपनायेगी। आपने पहले भी ऐसे निर्णयाधीन मामलों को अनुमति नहीं दी है। मेस पार्लियमेंटरी प्रेक्टिसिज नामक पुस्तक में भी निर्णयाधीन मामलों को अनुमति न देने की बात कही गई है।

इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह मामला निर्णयाधीन है, इसलिये इसे सभापटल पर रखे जाने से हम सहमत नहीं हैं। नियमानुसार भी यह अवैध होगा। अत: इसे सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिये।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : पांडिचेरी के बारे में राष्ट्रपति का आदेश इस सभा के वित्तीय अधिकारों का सर्वथा उल्लंघन है तथा यह सर्वथा अवैध तथा संवैधान विरोधी हैं। राष्ट्रपति ने धारा 51 को निलंबित नहीं किया है अत: वह इस सभा के वित्तीय अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, फिर इस मामले कि वैधता के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका स्वीकार हो चुकी है और इस प्रकार यह मामला अदालत के निर्णयाधीन हैं इसलिये यही उचित होगा कि इस मामले पर विचार स्थगित रखा जाये और उक्त आदेश को सभापटल पर रखने की अनुमति न दी जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस मामले के निर्णयाधीन होने के अतिरिक्त आय द्वारा इस मास की 5 तारीख को आयोजित बैठक से भी यह सिद्ध हो गया था कि यह मामला सामान्य मामला नहीं है इस में संवैधानिक पेचीदगी है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया था कि विधान सभा के वित्तीय अधिकारों का अतिक्रमण कार्यपालिका नहीं कर सकती। फिर आपने 19 मार्च, 1974 के राष्ट्रपति के आदेश को अस्वीकार्य समझकर ही तो सभा पटल पर उसे रखने नहीं दिया था और उस बैठक में कोई हल निकलने तक प्रतीक्षा करने को कहा था। परन्तु उस बैठक में कोई हल नहीं निकल सका था। अब जबकि आप उस आदेश को सभापटल पर रखने की अनुमति दे रहे हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बीच ऐसी कौन सी बात हुई है कि आप इसे सभापटल पर रखना उचित मान रहे हैं? शायद इसलिये तो नहीं कि सरकार अपने बहुमत के जोर पर राष्ट्रपति के आदेश को वैध बनाने पर तुली हुई है। इसके अतिरिक्त तो कोई नई बात नहीं है। सरकार के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था तो इससे भी यह स्पष्ट है कि स्वयं सरकार को भी इसमें कुछ कठिनाई होने की बात समझ आई है श्री सेझीयान ने इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया है। अत: मेरी समझ में तो नहीं आता कि आप कैसे इसे सभापटल पर रखने की अनुमति दे रहें हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बजट तो पास किया ही जाना है प्राक्कलन भी पेश किये जाने हैं। विनियोजन विधेयक तो पेश होना ही था। राज्यसभा का सत्र जल्दी बुलाकर जान चाहिए था। किसी कारण इस में विलंब हो गया है। परन्तु यह निश्चित है कि इस आदेश की वैधता या अवैधानिक औचित्य तो बहुमत के जोर पर निश्चित नहीं किया जा सकता?

[श्री इन्द्रजित गुप्त]

अत: इस मामले पर शांति से विचार करे तथा इस पर कोई अधिकृत मत या निर्णय प्राप्त होने तक इस स्थगित रखें। महाधी वक्ता की सलाह भी नहीं मिली है कुछ भी नहीं किया गया है। अत: इस मामले में संवधानिक संकर उभारने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिये।

श्री एच० एन० मखर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं पिछली बैठकमें मौजूद था और सरकारी प्रवक्ता को छोड़कर सभी का यह मत था कि इस प्रक्रिया में जाने अनजाने कोई न कोई भूल अवश्य हो गई है और हमें इसे सुधारना है। परन्तु ऐसा कोई हल इसलिये नहीं मिल सका क्योंकि सरकार ने बड़ा ही कड़ा तथा जिद् का रवैया अपनाया था। अब यदि सरकार हर बात में अपनी शक्ति और बहुमत से प्रभुत्व जमाना चाहती है तब दूसरी बात है। यदि सरकार अपनी कठिनाईयां पेश करते हुए आपसे प्रार्थना करती तब तो कुछ समझ में आता था परन्तु यहां आप की इस गंभीर समस्या को उस पत्र को सभा पटल पर रखने की अनुमति देकर हल करना चाहते हैं तो एसा ही सही। परन्तु जब तक सरकार सारी स्थिति स्पष्ट न करे ऐसा कैसे होगा? इसलिए सरकार को चाहिये कि वह विनम्रता के साथ संसद के सामने अपनी कठिनाइयां रखे और अनुमति मांग।

सरकार किसी सुझाव पर ध्यान न देकर अपने ही कार्यक्रमानुसार चल रही है; यह तो सहन करना कठिन है। वह चाहती है कि संसद् उसके बहुमत के आगे वैध-अवैध सभी मामलों में झुकती चली जाय उसके दर निर्णय के आगे सर झुका दे। वह अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में कई कार्यवाही की भी परवाह नहीं करती और हर काम अपने अधिकारक तरीके से करती है।

मेरे विचार से यह मामला न्याय-निर्णयाधीन होने पर भी वह पत्र सभापटल पर रखा जा सकता है और बाद में यदि विपरित निर्णय हो तो उसे रद्द भी किया जा सकता है हम हमेशा के लिये इस कार्य को रोक भी नहीं सकत। बड़ी बात तो यह है कि सरकार हर प्रकार अपनी मनमानी करना चाहती है।

सरकार ने यहां व्यक्त की गई गंभीर आपत्तियों पर ध्यान ही नहीं दिया। यह कहना ईमानकारी नहीं है कि यदि सरकार ने कोई गलती की होती तो वह विनम्रता का रुख अपनाती मगर हमने कोई गलती की ही नहीं है। अब यदि आप इस पत्र को सभापटल पर रखने की अनुमति देते ह तो इसमें आप के लिये भी यह खद की बात होगी विशेष कर जब कि सरकार ने कोई स्पष्टीकरण वक्तव्य भी नहीं दिया है जिसपर यहां सभा में चर्चा हो सके।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : संसद का जन्म सरकार के खर्च पर अंकुश रखने के लिये हुआ था और इसी लिये निधी के लिये संसद में मतदान होता है। सरकार अपने बहुमत के आधार पर कार्य करती है और इसीलिये संसदीय कार्यों में वह अपने इस बहुमत का उपयोग करती है। परन्तु सरकार किसी भी प्रकार संसदीय प्रक्रियाओं की अवहेलना नहीं कर सकती और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किये बिना देश की निधि का उपयोग नहीं कर सकती।

मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति के नाते सरकार की कठिनाइयों को समझता हूं और महसूस करता हूं कि सरकार अपनी ही कुछ गलतियों के कारण आज इस गंभीर कठिनाई में फंसी है। इसलिये इसका कोई हल निकालना चाहिये। परन्तु यह हल बहुमत की धौंस से नहीं निकल सकता इसलिए मैं श्री मुखर्जी के इस हल से सहमत हूं कि सरकार जब स्पष्टीकरण युक्त वक्तव्य दे, सारी स्थिति स्पष्ट करे। समय बहुत कम है 31 मार्च तक सब कुछ करना है। संभव है हम सरकार की

क्षमा याचना को मानकर तथा इसकी कठिनाई को अनुभव करके उसकी बात मान लेते। परन्तु सरकार ने तो अपनी जिद्द में यह एक तरफा निर्णय किया है। मैं और मेरा दल संविधान के उल्लंघन का समर्थन तो नहीं कर सकते।

अन्त में मैं श्री एच० एन० मुखर्जी के सुझाव से सहमत हूं कि ये लोग गांधी जी वाला रास्ता अपनायें।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : अभी तक तो आपने विभिन्न दलों के प्रवक्ताओं को सुना। अब आप एक निर्दलीय सदस्य की बात भी सुनिये।

मुझे सरकार से कुछ नहीं पूछना है क्योंकि स्वयं सरकारने स्वीकार किया है कि उनका पक्ष कमजोर है। मैं तो केवल आपका विनिर्णय जानना चाहता हूं।

आपको याद होगा कि आपके यात्रा से लौटने पर मैं और कुछ विपक्षी नेताओं ने आपसे भेंट की थी और आप हमारी बात से प्रभावित हुए थे और मान गए थे कि राष्ट्रपति का वह आदेश अनुचित है और विधिमंत्री की बात सुनने के बाद भी आपको उनके पक्ष में कोई दम दिखाई नहीं दिया था। इसके पश्चात् आपने विपक्षी दलों और सरकार की बैठक बुलाई जिसके बारे में विपक्ष और आपका मत भिन्न-भिन्न था। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि वहां वास्तव में क्या हुआ था। आपके मौन को सरकार स्वीकृति के रूप में लेकर उसे वैधानिक मानती है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसपर स्पष्ट निर्णय दें ताकि भविष्य में यह परम्परा के रूप में प्रयुक्त किया जा सके।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप ने जब उस दिन अनुमति नहीं दी थी तो इस बीच क्या हुआ जो सरकार इसे सभापटल पर रखने जा रही है? इससे पूर्व हम इस पर आपका स्पष्ट निर्णय चाहते हैं।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : आज के सभी भाषण सुनने के बाद मुझे कोई नया तर्क उनमें नहीं मिला है।

सभा को याद होगा कि मैंने उक्त आदेश को संघराज्यक्षेत्र अधिनियम के अधीन पूर्णतः विधिवत बताया था, जो अनुच्छेद 239क के अनुसार उनके लिए संविधान–स्वरुप है। फिर भी उस दिन के अपने भाषण में मैंने कहा था कि किसी भी प्रकार का संदेह दूर करने के लिए, हम सभा की इच्छानुसार कोई भी अतिरिक्त कार्यवाही करने को तैयार हैं। जहां तक मामले के न्यायालय मे होने की बात है, सरकार इसे कानूनी मानती है और यही वह न्यायालय में भी सिद्ध कर देगी, जहां तक इसे सभापटल पर रखने की बात है, एक तो इसके महत्व और इसके स्वयं आदेश में इस उल्लेख के कारण ऐसा करना आवश्यक है कि यह आदेश संसद की अनुमति प्राप्त होने तक ही प्रभावी होगा। अतः सरकार इसे सभापटल पर रखना आवश्यक समझती है। इसके बाद वित्तमंत्री सम्बद्ध संघराज्यक्षेत्र के आय–व्यय प्राक्कलन यहां रखेंगे। इस प्रकार सभा की उपेक्षा करना कभी भी सरकार का इरादा नहीं था। इन सभी बातों के बाद मेरा निवेदन है कि इस आदेश को सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों की बाते ध्यान से सुनकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस आदेश को सभापटल पर रखने दिया जाये। पहली बार ऐसा करने पर जब सदस्यों ने आपत्ति की तो मैंने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद पुनः जब मंत्री महोदय ने प्रयास किया तब भी मैंने अनुमति नहीं दी और 'नेता समिति' की बैठक बुलाई जिसमें विधि मंत्री के साथ वित्त मंत्री भी उपस्थित थे, उस बैठक में सभी पहलुओं पर विचार हुआ और बाद में आज

[अध्यक्ष महोदय]

सभापटल पर रखे जाने की बात सभी मान गए। विधेयक 15 तारीख को लाने की बात भी मान ली गई। असहमति राज्य सभा का सत्र पहले बुलाने पर हुई क्योंकि उसे 22 तारीख से बुलाने का निर्णय हो चुका था।

श्री सेझीयान द्वारा मुझे और विधि मंत्री को भेजे गए नोट में इस आदेश का विनियोग विधेयक या विवरण में उल्लेख करके गलती सुधारने की बात कही गई थी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम उसपर बाध्य नहीं है।

श्री मधु लिमये : हम भी उस पर बाध्य नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा में यही प्रक्रिया रही है कि अध्यक्ष किसी मामले की बैधानिकता या संवैधानिकता पर अपना निर्णय नहीं दता है इसके लिए न्यायालय हैं। ऐसे दस्तावेज सभा के कार्य में आते हैं और उसके पटल पर रखे जाते हैं। मेरा कार्य तो प्रक्रिया संबंधी मामलो में विनिर्णय दना है। पहले भी मने इसी कारण अनुमति नहीं दी थी। नेता समिति की बैठक में राज्य सभा के सत्र बुलाने तक पूर्ण सहमति का वातावरण था और मुझे भी उसी आधार पर अपना निर्णय करने में सहायता मिली।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उक्त बैठक में मेरे विचार भिन्न थे।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यादेश जारी किए जाने के पक्ष में थे। निर्णयाधीन मामले के बारे में मैंने अनेक संदर्भों के अध्ययन के पश्चात् यही विचार बनाया है कि वाद-विवाद में उल्लेख किए बिना विधान बनाने की प्रक्रिया चलती रह सकती है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या यह विधान है?

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक के रूप में आ रहा है।

श्री मधु लिमये : हमारी आपत्ति राष्ट्रपति के आदेश पर थी

अध्यक्ष महोदय : संदेह दूर करने के लिए ही उक्त आदेश में सुधार करना होगा। हमे इसके कानूनी या गैर-कानूनी पक्ष से कोई मतलब नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस प्रकार कैसे सुधार किया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : किसी मामले पर चर्चा तब ही हो सकती है जब उसे सभा-पटल पर रखा जाये। इसीलिए मैंने ऐसा करने की अनुमति दी है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं 29 मार्च, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस० ओ० 222(ई) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसमें पांडिचेरी संघराज्यक्षेत्र की समेकित निधि में से व्यय का प्राधिकरण करने के बारे में राष्ट्रपति के आदेश का उल्लेख है, सभापटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6681/74]**

कुछ माननीय सदस्य : नहीं! नहीं!

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय के बाद ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपका विनिर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय : हम इसे सभापटल पर रखे जाने से रोक नहीं सकते। इसके बिना हम आगे कैसे चलेंगे?

Shri Madhu Limaye: Sir, you are encouraging such illegal acts. Tomorrow, the Union Budget may also got through by a Presidential Order. Thus, way is being paved for dictatorship.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : न्यायालय के निर्णय तक आप ठहर नही सकते?

अध्यक्ष महोदय : इसे सभापटल पर रखने से वैधानिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है।

पण्डिचेरी बजट, 1974-75
PONDICHERRY BUDGET, 1974-75

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण): मैं पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 1974–75 के आय तथा व्यय के प्राक्कलनों का विवरण प्रस्तुत करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री मधु लिमये : आप ही इसके जिम्मेदार हैं।... **(व्यवधान)**

(तत्पश्चात् श्री मधु लिमये तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

(Shri Madhu Limaye and some other hon. Members then left the House).

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह संसदीय लोकतंत्र की हत्या है।...**(व्यवधान)** वह दिन दूर नहीं है जब आप भी वहां आसीन नहीं रहेंगे। अध्यक्ष संसद की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।

(तत्पश्चात् श्री श्यामनन्दन मिश्र सभा से बाहर चले गए)

(Shri Shyam Nandan Mishra then left the House)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : पांडिचेरी विनियोग विधेयक सोमवार 15 अप्रैल को लिया जायेगा। मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा उसके बाद हो सकती है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : प्रश्न यह है कि क्या कल से आप बिना देखे पत्र सभापटल पर रखने देंगे। सभा की अवज्ञा हुई है और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है जिसके लिए हमे शर्म आनी चाहिये। अतः विरोध स्वरुप में सभा का बहिष्कार करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री एस० एम० बनर्जी सभा से बाहर चले गए)

(Shri S. M. Banerji then left the House)

अध्यक्ष महोदय : अब हम आगे का कार्य आरंभ करते हैं।

अनुदानों की मांगे, 1974-75—(जारी)

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75 (*Contd.*)

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग—(जारी)

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) बिरला प्रविधि तथा विज्ञान संस्थान के बारे में श्री शिवनाथ सिंह द्वारा नियमों के संशोधन की मांग के बारे में मुझे यही बताना है कि 'डीम्ड' विश्वविद्यालयों के बारे में सरकार की पूर्व–अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता परन्तु 1968 में किसी गलती से मेरे मंत्रालय द्वारा उन्हें नियमों में संशोधन की सलाह दी गई ताकि सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता न रहे। यह गलती कसे— हुई मैं इसकी जांच कर रहा हूं।

इसी संस्थान को विभिन्न बिरला कंपनियों द्वारा दिए गये दान के बारे में यदि कोई अपवंच न हुआ हो तो उसकी जांच वित्त या कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी और इस संस्थान के तुलन पत्रों या अन्य दस्तावेजों में जो भी जानकारी हमारे पास होगी उसकी सूचना हम संबंधित मंत्रालय को दे देंगे।

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, दिल्ली के बारे में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आदि के बारे में नियुक्तियों के संदर्भ में जांच की जा रही है जिसकी सूचना समिति को भेज दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के बारे में हमने प्रो० निहार रंजन राय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो इसके कार्यकरण, भावी ढांचे और कार्य कलापों पर सिफारिशे करेगी।

श्री मधु लिमये और प्रो० गुह ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में टिप्पणियां की थीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी शिक्षकों के लिए निरंतर चलने वाले ग्रेड स्वीकार नहीं किए क्योंकि इससे अधिक योग्यताप्राप्त तथा वरिष्ठ शिक्षकों के साथ आय नहीं होता था।

गैर–शिक्षक कर्मचारियों के वेतनमान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के मामले में तीसरे वेतन–आयो की सिफारिशों के अनुसार परिशोधित किए जा रहे हैं।

राज्यों के विश्वविद्यालय आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में मैं एक बात और यहां कहना चाहता हूं। यह आय विचार रहा है कि उनके और भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के वेतनमान समान होने चाहिए। इसलिए अब जबकि तीसरे वेतन आयोग के अनुसार कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतनमान क्रमश: 700–1300 और 1100–1600 कर दिए गए हैं, व्याख्याताओं और प्राध्यापकों के वेतनमान भी इसी प्रकार बढा दिए गए हैं। अब उन्हें 700–1600 का ग्रेड मिलेगा। परन्तु और प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे . . . (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप एक तो अध्यक्ष की और पीठ किए हुए हैं और दूसरे अधिकारी दीर्घा में बैठे लोगों से बाते कर रहे हैं।

प्रो० एस० नूरुल हसन : सेन समिति की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षकों को वह सभी लाभ प्राप्त होंगे जो प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को प्राप्त है।

मैं यहां कुछ सदस्यों के इस आरोप का खण्डन करना चाहता हूं कि उन प्राध्यापकों का निरादर किया गया है। हम ने केवल प्राइवेट कालेज शिक्षकों के लिए केंद्रिय मूल्यांकन समितियों द्वारा अनुमोदन की व्यवस्था की है क्योंकि सभी जानते हैं कि वहां चयन आम तौर पर कालेज प्रबंधकों द्वारा किया जाता है जिसके अनेक तरीके होते हैं।

हम प्राध्यापकों की सेवा की सुरक्षा चाहते हैं। राज्यों में विश्वविद्यालयों के लिए राज्यों को कानून बनाना होगा और जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का संबंध है, हम शीघ्र ही विधान लाएंगे।

श्री कोया की अलीगढ विश्वविद्यालय को अल्प संख्यांक विश्वविद्यालय बनाने की मांग के उत्तर में मैं पुनः कहना चाहता हूं कि 1972 का कानून विश्वविद्यालय की महत्वाकांक्षाओं के अनुरुप है और इसका अल्पसंख्यांक विश्वविद्यालय बनना न तो स्वयं इसके लिए, नहीं मुसलमानो के लिए और न हीं देश के लिए हितकर होगा।

श्री राजू ने तकनीकी शिक्षा के बारे में शुक्ल समिति का उल्लेख किया है परन्तु उस समिति ने ऐसा कोई निदेश नहीं दिया है। क्योंकि हम समझते हैं कि इस समय इतने अधिक दस्तकारों को काम नहीं दिया जा सकेगा इसलिए पांचवी योजना के पोलीटेक्निक्स में स्थान बढाने का विचार नहीं है।

मैं विज्ञान और प्रोद्योगिकी अनुसंधान कार्यक्रम का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिसके लिए पांचवीं योजना में काफी धन का उपबन्ध किया गया है। इस संदर्भ में मैं भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर विकास अध्ययन केन्द्र त्रिवेन्द्रम्, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् तथा भारतीय दर्शनशास्त्र परिषद्, का उल्लेख करना चाहूंगा।

पिछड़े वर्गों तथा गरीबों के शिशुओं आदि के पोषण का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए पांचवीं योजना में एक व्यापक पोषण योजना रखी गई है। इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, विशेष पोषण तथा शिक्षा सुविधाएं शामिल हैं। इसके लिए मुझे राज्यों से आश्वासन मिला है कि वे स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सामुदायिक विकास, शिक्षा तथा समाज कल्याण विभागों में पूरा तालमेल सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार 6—14 वर्ष के बच्चों को स्कूलों में भोजन देने का कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस समय 1.2 करोड़ बच्चों को यह भोजन दे रहे हैं और इसे और बढा कर पांचवीं योजना में 112 करोड़ रुपये रखे गए हैं . . . (**व्यवधान**)

श्री माधुर्य हालदार के प्रश्न के उत्तर में कि क्या किसी कक्षा में कुछ बच्चों को सरकारी भोजन मिलेगा जबकि कुछ को नहीं मिलेगा तो क्या इससे बच्चों के मन में कुंठा पैदा नहीं होगी मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा इरादा ऐसे क्षेत्रों में ही यह व्यवस्था करना है जहां अधिकांश बच्चे पिछड़े और गरीब वर्गों के हो वही यह भोजन दिया जाएगा और सभी छात्रों को दिया जाएगा।

कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के भोजन-व्यय आदि में वृद्धि के बारे में सरकार स्वयं चिन्तीत है और चाहती है कि विशेषकर वे छात्र जो गांवों तथा बड़े नगरों से दूर स्थानों से विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्ति के लिए आते हैं केवल इसी कारण अध्ययन न छोड़े कि वहां

[प्रो० एस० नुरुल हसन]

आवास तथा भोजन–व्यय बहुत अधिक है, परन्तु हमारी सहायता की सीमा उपलब्ध साधनों तक सीमित है।

श्री चन्द्रप्पन ने राजकीय विद्यालय, सरोजिनी नगर का मामला उठाया था। क्योंकि इसकी छानबीन अभी पुलिस कर रही है अतः मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हां, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यही नियम है कि उत्तर–पुस्तिकाएं परीक्षा–फल की घोषणा से 3 मास से अधिक समय तक न रखी जाएं। जांच करने पर मुझे पता चला है कि 1965 से यही प्रक्रिया रही है और गत वर्ष भी ऐसा ही हुआ है।

देश में शिक्षा की समान प्रणाली की मांग से मैं पूर्णतः सहमत हूं, और इस संदर्भ में 10:2:3 वर्ष की शिक्षा प्रणाली केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में आरंभ हो गई है जबकि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आसाम और जम्मू–काश्मीर में आरंभ होने वाली है। शेष राज्य सरकारें इसपर विचार कर रही है।

हम इस प्रकार की प्रणाली के पक्ष में इसलिए है कि 10 वर्ष के बाद दो वर्ष की शिक्षा को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा माना जाए ताकि बड़े पैमाने पर व्यावसायिक–शिक्षा युवक ले सकें। इसके लिए सक्रिय प्रयास जारी है और जिलास्तर पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि जिला स्तर पर ही चालू आवश्यकताओं और रोजगार–अवसरों के अनुसार व्यवसायिकरण के विकास कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

माध्यमिक शिक्षा के लिए आयोग के गठन की मांग के संदर्भ में हमारी कठिनाई यही है कि उच्च शिक्षा को छोड़कर शिक्षा राज्यों का विषय है और वित्त आयोग धन का आवंटन भी इसी आधार पर करता है। इसीलिए जहां हमने कालेज शिक्षकों के वेतनमान बढ़ा दिए हैं हम प्राथमिक तथा अन्य शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में कुछ नहीं कर पायें।

मिथिला विश्वविद्यालय के बारे में मैंने जानबूझकर अभी तक कुछ नहीं कहा था परन्तु अब कहना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार जो आप सबने पास किया है, आयोग किसी ऐसे विश्वविद्यालय को कोई अनुदान नहीं दे सकता जो उसकी और केन्द्रीय सरकार की बिना अनुमति के बना हो। इस संबंध में जानकारी हेतु एक नोट बिहार सरकार को भेजा गया है। यदि कोई राज्य सरकार बिना सलाह के कोई निर्णय स्वयं ही करती है तो केन्द्रीय सहायता की पात्र वह कैसे हो सकती है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिये ताकि वे इसपर विचार कर सकें।

श्रीमान् जी, मैं आपके माध्यम से संस्थान की यात्रा करने का उन्हें आमन्त्रण देता हूँ जिससे वे आरोप के बारे नें स्वयं निर्णय कर सकें। मैं अपने सहयोगी श्री यादव के इस आमन्त्रण का हृदय से समर्थन करता हूँ कि वे जब शिमला जायें, तो हमारे अतिथि बनकर रह। मेरे विचार में जिन लोगो ने श्री मावलंकर को इस बारें में जानकारी दी है, उन्होंने उस काम के प्रति अन्याय किया है, जो वहाँ हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि संस्थान के काम के बारे में मेरी इस प्रकार की राय नहीं है।

भारतीय औद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और उसमें की गई नियुक्तियों के बारे में श्री समर गुह और श्रीमती रोजा देशपाण्डे ने उल्लेख किया। श्री समर गुह ने यह कहा कि प्रबन्ध बोर्ड के अध्यक्ष ने छात्रों में मादक द्रव्य पीने के लिए दिए। अध्यक्ष ने मुझे सूचित किया है कि शीतल पेय के अतिरिक्त और कुछ भी उन्हें पेश नहीं किया गया था।

श्री सूर को कार्यवाहक रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति की गई है, वह पहले डिप्टी रजिस्ट्रार थे और डा० शर्मा, जो पहले उनकी फर्म में काम कर रह थे, उनकी नियुक्ति व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में की गई है और उसके लिए मन्त्रालय के साथ परामर्श किया गया था। प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच जो झगड़े थे, उनका भी समाधान कर दिया गया है।

विकलांगों के लिए 1947 में केवल 4 स्कूल थे और अब इस समय उनकी संख्या बढ़कर 85 हो गई है, जिनमें 3,000 छात्र पढ़ते हैं। मानसिक रुप से कमजोर छात्रों के स्कूलों को वर्ष 1973-74 में 5 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी। अब उनमें 50.5 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। चौथी योजना में विकलांगों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए ढाई करोड़ रु० की व्यवस्था का गई थी। पाँचवीं योजना में 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

श्री राम हेडाओ ने यह कहा कि स्कूलो के आसपास शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। मैं उनसे यह अनुरोध करुंगा कि स्कूलों के आसपास शराब की दुकानें खोलने के बारे में वह निश्चित जानकारी दें। केन्द्रीय मद्य निषेध समिति के निर्णय के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओ, पूजा गृहों, रेलवे स्टेशनों आदि के निकट शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकतीं।

औरतों के दर्जे संबंधी समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और कुछ महीनों के अन्दर ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय बाल नीति संकल्प शीघ्रही जारी किया जायगा और इसके परिणामस्वरुप राष्ट्रीय शिशु बोर्ड की स्थापना करने की सम्भावना है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्य में प्रधान मंत्री काफी रुचि ले रही हैं।

स्मारकों की विशेष मरम्मत पर वर्ष 1971-72 में 25 लाख रुपया, 1972-73 में 30 लाख रुपया तथा 1973-74 में 85 लाख रुपया खर्च किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में 137 लाख रुपया खर्च किये जाने का प्रस्ताव है। लगभग 500 स्मारकों पर मरम्मत कार्य चल रहा है।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होती है कि अफगानिस्तान में भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा किये गये कार्य की अफगानिस्तान तथा अन्य देशों ने सराहना की है।

पुराने स्मारकों के आसपास की इमारतों के बारे में राज्य सरकारों से समितियां नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इन समितियों में भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि-सम्बध्द डिवीजन के कमिश्नर तथा पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की मरम्मत के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा। यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है तथा पुरातत्वीय सर्वेक्षण के महानिदेशक के साथ मैंने कुछ समय पहले ही इस बारे में विचार-विमर्श किया है।

प्राचीन कला कृति तथा कला निधि अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को बडी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति करने, उन्हे प्रशिक्षण देने तथा राज्य सरकारों के परामर्श से नियम बनान की व्यवस्था है। सौभाग्य से केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक धनराशि मंजूर कर दी है। कुछ राज्य सरकारों ने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है तथा कुछ कर रही हैं।

अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है तथा दिल्ली हवाई अड्डे और कलकत्ता तथा बम्बई पत्तनों पर भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। स्मारकों से ऐसी कलाकृतियों को एकत्र किया जा रहा है जो अपने स्थान से हिल गयी है तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है। आशा है आवश्यक अधिसूचना भी यथा शीघ्र जारी कर दी जायेगी।

[प्रो० एस० नुरुल हसन]

जहां तक छात्रों में व्याप्त असंतोष का प्रश्न है छात्रों की सभी कठिनाइयो को दूर करने के लिये पूरे प्रयत्न किये जाएंगे। गरीब घरों के विद्यार्थियों को अधिक सहायता दिये जाने के बारे में मैंने उल्लेख किया था। कुछ राज्य सरकारो ने पर्याप्त माता में खाद्यान्न की सप्लाई के बारे में कदम उठायें हैं तथा अन्य राज्य सरकारी से इस संबंध में बातचीत की जा रही है। विद्यार्थियो को पुस्तकें तथा अन्य लेखक सामग्री उपलब्ध कराने के बारे में कदम उठाये गये हैं। सरकार ये सभी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सामाजिक कारण भी है जिस पर शिक्षा मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री एस० एन० बनर्जी (कानपुर) : क्या सरकार शिक्षा को रोजगार प्रधान बना रही है?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं शिक्षा को रोजगार प्रधान बनाने के पक्ष में हैं। किन्तु क्या इससे रोजगार अवसर बनेंगे? इजीनियरी में डिप्लोमा के मामले को ही देखिए।...(**व्यवधान**)

(इस समय दर्शक दीर्घा से एक व्यक्तिने कुछ नारे लगाये)

(At this stage a person shouted some slogans from the visitors gallery)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

प्रो० एस० नुरुल हसन : इंजिनियरी में डिप्लोमा रोजगार प्रधान पाठ्यक्रम है। किन्तु हमारी अर्थव्यवस्था उतनी विकसित नहीं है जितनी होनी चाहिये तथा इसके फलस्वरुप रोजगार कार्यालियों में लगभग 50,000 इंजीनियरी में डिप्लोमा धारी बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं। अत: मेरा मत है कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही रोजगार अवसरों में वृद्धि नहीं हो सकती। बेरोजगारी समाप्त करने के लिये सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। जहां तक शिक्षा मंत्रालय का संबंध है हम अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करने का प्रयत्न करेंगे। (**व्यवधान**)

छात्रों का सामाजिक प्रगति तथा सामाजिक कल्याण के लिये कदम उठाना सराहनीय है किन्तु यदि छात्र इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं जो सामाजिक प्रगति में बाधा डालती है तथा जिनसे उत्पादन में रुकावट आती है तो उनसे देश का अहित ही होगा।

आशा है विद्यार्थी प्रतिक्रिया वादी शक्तियों तथा निहित स्वार्थों के हातों की कठपुथली नहीं बनेंगे। (**व्यवधान**)

मेरे कहने का आशय यह है कि शिक्षा मंत्रालय छात्रों को सामाजिक कार्य करने के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। इस संबंध में मेरे सहयोगी श्री यादव ने नेहरु युवक केन्द्र का उल्लेख किया है। हमारा प्रयत्न है कि राष्ट्रीय छात्र सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग किया जाये। छात्र असंतोष के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का भी उल्लेख किया गया है। विश्वभारती के बारे में एक समिति की स्थापना कर दी गई है।

शिक्षा पद्धति में सुधार के बारे में मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारों के परामर्श से शिक्षा पद्धति में बहुत से सुधार किये जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षा पद्धति में किसी परिवर्तन के लिये शिक्षकों, विद्यार्थीयों तथा अन्य अनेक संस्थानों से परामर्श करना अनिवार्य है। मैं विद्यार्थियों के नेताओं से उस व्यापक प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिये भी तैयार हुँ।

श्री सुधाकर पांडे ने कहा है कि लोक लेखा समिति ने यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जाये। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तथा उक्त समिति नियुक्त की जा रही है।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi): The hon. Minister has not replied to the points in regard to the opening of Nehru Yuva Kendra in Sitamarhi and to the admission of the children of political sufferes in the I.I.T. and Medical College.

प्रो० एस० नुरुल हसन : ये सुझाव हैं तथा उसपर मैं तुरंत कुछ नहीं कर सकता।

Dr. Luxminarain Pandeya (Mandsaur): In view of the judgement given by Madhya Pradesh High Court, may I know whether Government are considering the case of the teachers of National Fitness Corps?

Prof. S. Nurul Hasan: Madhya Pradesh High Court has stated that the orders were not issued by the President. Therefore, it is not correct to say that the orders are illegal.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० एस० एल० सक्सेना और श्री एस० एन० सिंह के कुछ कटौती प्रस्ताव हैं। इन्हें मतदान के लिए रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Ministry of Education and Social Welfare were put and adopted

मांग संख्या	शीर्ष	राशि	
		राजस्व	पुंजी
		रु०	रु०
24	शिक्षा विभाग . . .	98,66,000	. .
25	शिक्षा	89,47,59,000	54,93,000
26	समाज कल्याण विभाग . .	17,33,97,000	. .

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संस्कृति विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of Department of Culture were put and adopted

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रु०
96	संस्कृति विभाग	5,62,82,000
97	पुरातत्व	4,31,30,000

इस्पात और खान मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी तथा उन पर मतदान होगा।

इस्पात और खान मंत्रालय की वर्ष 1974–75 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गयीं

मांग संख्या	शीर्ष	राशि	
		राजस्व	पुंजी
78	इस्पात विभाग	20,85,13,000	1,33,90,69,000
79	खान विभाग	27,63,000	..
80	खान और खनिज . . .	27,73,08,000	2,18,98,68,000

खान विभाग की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
79	3	एस० एन० सिंह	राज्यस्थान के झुझनु जिलेमें हिन्दुस्तान ताम्बा परियोजना में स्थानीय भर्ती की आवश्यकता	राशि में 100 रु० कटा दिये जायें

श्री कृष्णाचन्द हल्दर (ओसग्राम) : महोदय वर्तमान आर्थिक संकट तथा पैट्रोल आदि की कमी को ध्यान में रखते हुए इस्पात और खान मंत्रालय का कार्यकरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

प्राक्कलन समिति के 20 वें प्रतिवेदन में इस बात पर खेद व्यक्त किया गया है कि यद्यपि भारत में प्राकृतिक संसाधन मर्यादा मात्रा में है तथापि लोहा, कोयला आदि का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम हुआ है।

वर्ष 1972–73 मे 63 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ। इस वर्ष केवल 58 लाख टन इस्पात के उत्पादन की सम्भावना है। स्टील अथारटी आफ इंडिया लिमिटेड ने इस्पात के उत्पादन लक्ष्य में कमी करने का प्रस्ताव किया है। इससें उद्योगों में इस्पात की कमी और अधिक हो जायेगी। वर्ष 1978-79 तक देश में माइल्ड स्टील की अनुमानत: एक करोड टन की मांग होगी तथा कुल 94 लाख टन के उत्पादन की सम्भावना है।

कमी की पूर्ति आयात द्वारा करनी होगी, जो पांचवीं योजना में जारी रहेगा। अगर सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण की पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में कम उत्पादन करने की सलाह मानी, तो अधिक मात्रा में आयात करना होगा। वर्ष 1973–74 में दुर्गापूर

और टाटा तथा अन्य इस्पात रोलिंग मिलों को महीनों बिजली और गैस के अभाव में बन्द रहना पड़ा। इसलिए इस्पात संयंत्रों के लिए प्रत्येक इस्पात संयंत्रों के लिए प्रत्येक इस्पात संयंत्र में रक्षित (कैप्टिव) बिजलीघरों की स्थापना करने के प्रश्न पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

इस उद्योग में कोक की कमी एक गम्भीर दीर्घकालीन समस्या रही है। उद्योग को प्रतिदिन 1600 वगनों की आवश्यकता होती है, जब कि रेलवे 1200 वैगनों की ही सप्लाई कर पाता है। दुर्गापूर मिश्र इस्पात संयंत्र में खराब औद्योगिक सम्बन्धों और त्रुटिपूर्ण उत्पाद मिश्र के कारण सन्तोष जनक कार्य नहीं हो पा रहा है।

देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए चालू इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में विस्तार किया जाना चाहिए। दुर्गापूर इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 35 लाख टन की जानी चाहिए। मिश्र इस्पात संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता केवल 1 लाख टन है, जबकि मूलत: इसकी अधिष्ठापित क्षमता 3 लाख टन करने की योजना थी। रूरकेला इस्पात संयंत्र का भी विस्तार किया जाना चाहिए। दुर्गापूर इस्पात संयंत्र में इंजीनियर और आफिसर्स एसोसिएशन के साथ मंत्री महोदय को समझौता करना चाहिए, जिससे इस्पात उत्पादन में वृद्धि हो सके।

लगातार बिजली संकट के कारण उत्पादन में कमी होने के कारण मजदूरों को प्रोत्साहन बोनस न मिलने के कारण आय में कमी हुई है। इसलिए बढ़ती हुई किमतों को ध्यान मे रखते हुए सरकार को उन्हें अन्तरिक सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। रूरकेला खानों (बरसुआ) में 16 कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है। उन्हें नौकरी पर बहाल किया जाना चाहिए।

इस्पात संयंत्रों में लगभग 75,000 ठेका श्रमिक काम कर रहे है। दुर्गापूर में अभी हाल में 500 ठेका श्रमिको की छंटनी कर दी गई है। इन ठेका श्रमिकों को बहाल किया जाये। ठेका श्रमिकों को न्यूनतम जीवन निर्वाह योग्य वेतन मिलना चाहिये। और उन्हें स्थायी पदों में खपाया जाना चाहिए।

दुग्दा, पाथेरपीही, वोराडरी स्थित केन्द्रीय कोयला धावनशाला और धनबाद स्थित मुख्यालय के श्रमिकों को, जो अभी तक हिन्दुस्तान स्टील के अधीन थे, भारत कोकिंग कोल लि० के अधीन अन्तरित किया जा रहा है। सेवाओं को अन्तरित करने से पुर्व श्रमिकों से परामर्श किया जाना चाहिए।

अभी हाल में इस्पात मंत्रालय ने मजदूर संघों से यह अनुरोध किया है कि प्रबन्धकों के साथ परामर्श करके वर्ष 1974-75 के लिए इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करें। दुर्गापूर इस्पात संयंत्र, दुर्गापूर मिश्र इस्पात संयत्र, बर्नपुर भिलाई और रूरकेला जैसे संयंत्रों के मामले में 'सैन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स' से सम्बद्ध यूनियनों से परामर्श किया जाना चाहिए। सरकार औद्योगिक शान्ति कायम करने की वास्तविक इच्छा रखती है, तो वह वेतन निर्धारण जैसे मामलों में सबसे तगड़ी युनियन के प्रतिनिधियोंकी उपेक्षा नहीं कर सकती।

राष्ट्र की बढ़ती हुई जरूरतों के मुताबिक कोयला खानों के कार्यकारण में सुधार किया जाना चाहिए। जब कि कोयला 3 या 4 रुपये प्रति मन के हिसाब से बेचा जा सकता है, वही कोयला 8 से 10 रु० प्रति मन के हिसाब से बेचा जा रहा है। कोयला खानों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार को समुचित कार्यवाही करनी चाहिए। पश्चिम बंगाले सरकार द्वारा संचालित दुर्गापूर प्रोजेक्ट लि० के लिए रक्षित कोयला खाने नियत की जानी चाहिए।

10—13 L. S. S. (ND)/74

[श्री कृष्णचंद्र हाल्दर]

केन्द्रीय सरकार ने देश की कोयला खानों का अधिग्रहण कर लिया है, परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद कोई भी संगठनात्मक परिवर्तन नहीं किया गया है। मजदूरों को प्रबन्ध में हिस्सा दिया जाना चाहिए। मजदूरों को क्वार्टरों, पेयजल, चिकित्सा आदी की सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए। इस्पात और कोयला खान क्षेत्र में पूरी तरह से सांविधिक राशनिंग व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

पहले की अपेक्षा अब 50 प्रतिशत दुर्घटनायें बढ़ गई है। सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आवश्यक मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च कर के सुरक्षा उपकरणों का आयात किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीयकरण के समय स्वर्गीय श्री मोहन कुमारमंगलम् ने जो आश्वासन दिए थे, उन्हें कोयला खान अधिकारी क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं।

बांकुरा जिले में वोल्फ्राम खान उद्योग का संचालन पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग कर रहा था। अब उसका पट्टा एक प्राइवेट कम्पनी, गौरीपुर इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० को दे दिया गया है, जो प्रति मजदूर 2 रु० प्रतिदिन की मजदूरी देती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस खान का अधिग्रहण करे और यह सुनिश्चित करे कि मजदूरों को कम से कम जीवन निर्वाह योग्य न्यूनतम वेतन तो मिले।

सी० आई० टी० यू० को कोयला उद्योग के कर्मचारी दल के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए। खानों के महानिदेशक के कर्मचारी और श्रमिकों पर वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होती, इसलिए मूल्य वृद्धि के हिसाब से उनके वेतनमानों में बढ़ोत्तरी की जाय।

भारतीय अल्युमीनियम निगम का कारखाना काफी समय से बन्द पड़ा है। सरकार को रानीगंज स्थित इस कारखाने को फिरसे चालू करवाना चाहिए और इस निगम का अधिग्रहण करना चाहिए।

देश के औद्योगिकरण और विकास के लिए इस्पात और खान का द्रुत विकास अनिवार्य है। इसलिए खान मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में तालमेल होना चाहिए।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad): I rise to support the Demands for grants of the Ministry of Steel and Mines.

Since the nationalization of the Coal mines, the functioning of the Ministry of Steel and Mines is very good and I hope it would further improve under the leadership of Shri Malviya.

From the Report of the Ministry it appears that whereas the production by the Steel Authority of India has gone up, but the production of Bharat Coking Coal Ltd. has gone down. The Prices of Coal has been increased due to faulty distribution system.

The target of Coal production for the Fifth Plan has been fixed at 135 millions of tons, but due to petrol shortage, this target would have to be raised to 150 millions of tons. But it would not be possible to achieve the target at the current speed.

It takes five years to develop a mine and another five years to achieve the target fixed for that particular mine. The target for the Third Plan was fixed at 100 millions of tons, but actual production even at the end of Fourth Plan was 70 or 80 millions of tons.

There has been shortage of Coal production due to non-availability of electricity and transportation problems. But the most important factor is that workers morale has not been given correct direction after the nationalisation. The workers are not being provided with necessary equipments in time.

The mines were nationalized with a view to have the exploitation of mines properly. But the same haphazard exploitation is going on. The officers are not removing the obstacles in the way of coal production. If there is more production, the cost of production and prices would certainly go down. The cost is not being reduced, because overhead expenses such as army of officers is growing day by day.

There should be workers' participation and workers' management at all the levels. If production is to be increased, the pilferages in coalfields and overhead expenses must be cut down.

In one colliery, 11,000 tons of hard coke worth 13 lakhs of rupees was stolen. Two different records are maintained in the coal fields—one of production and other regarding distribution. The difference between production and distribution goes in the pockets of the officials. The Government should give exemplary and deterrant punishment to such corrupt officials. The man power is shown inflated, and the wages drawn are distributed among the officials themselves.

Previously there was one labour representative as director in a Board of ten directors. Such a labour representative had a single voice. Even that has been done away with. The Government should have a clear cut policy regarding worker's participation in management.

All the problems cannot be solved only by wage increase. There should be easy availability of essential consumers' goods other wise the workers would waste their time only in standing in queues.

A cess was imposed for general welfare, medical aid, housing and water supply etc., but these facilities could not be provided as there is a ban on construction works. After nationalization, a fund of Rs. 12 lakh was collected for welfare activities. The Ministry may at least make arrangements for the collection of funds.

There should be a close co-ordination between the Ministry of Railways and Ministry of Steel and Mines. It was decided by both the Ministers that soft coke would be despatched 300 wagons per day, brick burning coke 200 wagons and 300 wagons of hard coke per day, but in actual practice 70 wagons of soft coke has been despatched and that is why there is so much hue and cry.

The Durgapur Steel Plant is the lowest in achieving the target of production. because C.I.T.V. is a recognised union there.

Shri G. P. Yadav (Katihar) : The steel has got a vital importance in the economic and industrial development of the country. After the independence, the Government has not paid adequate attention for the growth of steel production. The production capacity of the steel plants in public sector has not been increased, that is why these plants are running in loss continuously. Whereas Tata Steel Plant is earning profits continuously I would like to place a few facts before you:

(In Thousand tons)

	Steel Ingots	Saleable steel
(1) *Bhilai Steel Plant*		
1971-72	1953	476
1972-73	2108	550
April-Dec., 1973	1443	399

[G. P. Yadav]

	(In Thousand tons)	
	Steel Ingots	Saleable steel
(2) *Durgapur Steel Plant*		
1971-72	700	269
1972-73	723	278
April-Dec., 1973	598	260
(3) *Rourkela Steel Plant*		
1971-72	823	127
1972-73	1177	70
April-Dec., 1973	785	33

It was estimated that the production of steel ingots and saleable steel in the year 1973-74 would be 45.5 lakh tons and 34.5 lakh tons respectively, which is lower than that of 1972-73.

The Bokaro Steel Plant is being constructed in two phases. In First phase, the production would be 17 lakhs of tons and in the second phase 40 lakh tons of steel ingots is scheduled to be produced. Ultimately the production would be 100 lakh tons of steel ingot per annum, but 1500 construction Engineers' genuine demands are not being considered and inhuman treatment is being meted out to them.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS, BILLS AND RESOLUTIONS

39 वां प्रतिवेदन

श्री बनमाली बाबू (सम्बलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 39 वें प्रतिवेदन से, जो 9 अप्रैल, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 39 वें प्रतिवेदन से, जो 9 अप्रैल, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्विकृत हुआ।

The Motion was adopted.

मूल्यों और कृषि उत्पादन सम्बन्धी नीति के बारें में संकल्प

RESOLUTION RE. POLICY REGARDING PRICES AND AGRICULTURAL PRODUCTION

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री मधु लिमये द्वारा 15 मार्च, 1974 को पेश किए गए निम्न संकल्प पर आगे विचार करेगी ।

"कि इस सभा की राय है कि सरकार को मूल्यों के संबंध में अपनी नीति को इस प्रकार से पुर्ननिर्धारित करना चाहिये कि —

(क) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादन लागत, जिसमें परिवहन प्रभार, कर तथा लाभ शामिल है, से 1–1/2 गुणा मूल्य पर बेची जायें;

(ख) औद्योगिक माल तथा कृषि उत्पाद के मूल्यों के बीच समानता हो ;

(ग) खाद्योन्नों के मूल्यों मे 15 प्रतिशत से अधिक उतार चढाव न हो;

(घ) सरकार उत्पादन लागत तथा किसानों के लिये उचित लाभ को ध्यान में रख कर कपास, गन्ना, कच्छा पटसन, खाद्यानों तथा अन्य उत्पादों को समर्थित मूल्यों पर खरीदने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले;

(ङ) कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की प्रति यूनिट दर 10 पैसे से अधिक न हों, और

(च) 10 एकड से कम जोतों वाले किसानों को राजसहायता प्राप्त दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाये और सिंचाई की दरों में 25 प्रतिशत की कमी की जाये ।"

श्री बी० के० दास चौधरी (कूचबिहार) : यह संकल्प अत्यन्त महत्वपूर्ण नीति संबंधी विषयों से सबन्धित है। निस्संदेह हम सभी बढे हुए मूल्यों से चिन्तित है।

[**श्री नवल किशोर सिंह** पीठासीन हुए
SHRI NAWAL KISHORE *in the Chair*]

संकल्प से ऐसा प्रतीत होता है कि विपणन तथा अन्य वस्तुओं की लागत को ध्यान में रखते हुए मूल्य वृद्धि डेढ गुना होनी चाहिए। किन्तु यह वृद्धि बहुत अधिक है। संकल्प की मूल भावना यह है कि खाद्य पदार्थों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार से निर्धारित किये जाने चाहिएं ताकि मूल्यों में हेरा फेरी करने की कोई गुंजाईश न रहे और सरकार की अपनी अलग मूल्य नीति हो।

कृषि उत्पादों के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाने चाहिए ताकि निर्धन लोग और किसान अनेक प्रकार के खाद्य उत्पादों को उगाने में कठिनाई में न पडें। किन्तु हमें क्या मिला? बाजार व्यवस्था के बहाने और किसी सुसंगत नीति के न होने के कारण, व्यापक मूल्य निर्धारण नीति बनाना बहुत कठिन हो गया है ।

मूल्य नीति में दो बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, अधिक सप्लाई न होने और कृषि वस्तुओं की उत्पादन लागत और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बीच सीधा सम्पर्क होना चाहिए। किन्तु कुछ मामलों में यह सम्बन्ध नहीं है ।

[श्री बी० के० दास चौधरी]

मै मंत्री महोदय का ध्यान जट के कम मूल्य से उत्पन्न परिणाम् की और दिलाना चाहता हूं कि इससे जूट उत्पादक के पर कितना प्रतिकल प्रभाव पडा है। इस वस्तु के सम्बन्ध में इस संकल्प की भावना का कहीं पर पालन नहीं किया गया है । अतएव नई नीति मूल रूप से इस तरह से निर्धारित की जानी चाहिए ताकि कृषि उत्पादों को उत्पादन लागत और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की लागत के बीच समानता स्थापित हो।

हम देखते है कि आज कल ग्रामीण क्षेत्रों में किसान कुछ भी पैदा करें किन्तु उत्पादन इतना नहीं हो पाता कि वह अत्यावश्यक वस्तुओं की खरीद कर सकें। किसान लोग महीनों, वर्षों कठिन परिश्रम करने के पश्चात भी अपना क्विाह नहीं कर पाते है। मुख्यतः इसी कारण अमीर अधिक अमीर होते जा रहे है और गरीब अधिक गरीब ।

कृषि मूल्य आयोग ने बताया है कि पटसन की प्रति व्यक्ति उत्पादन लागत का पता करने में कठिनाइयां होने के कारण उन्होनें गत वर्ष के मूल्यों के आधार पर थोडी सी गुंजाईश रख कर जूट की लागत निर्धारित की है। उन्होनें 150 रुपये प्रति क्विटल मूल्य निर्धारित किया है। फिर सरकार ने 150 रु० प्रति क्विटल से बढाकर कलकत्ता स्थित मिल के मूल्य 157.60 रुपये प्रति क्विटल मूल्य के बराबर कर दिया है।

दिसम्बर, 1972 में कच्चे पटसन का थोक मूल्य सूचकांक 163 था जो दिसम्बर, 1973 में घटकर 123 रह गया था। दिसम्बर 1972 मै कपासका मूल्य सूचकांक 197 था जो दिसम्बर, 1973 में बढ़कर 348 हो गया। इस प्रकार दिसम्बर, 1972 में खाद्य तेलों का सूचकांक 248 से बढ़कर दिसम्बर, 1973 में 348 हो गया । सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य 60 से 80–90 प्रतिशत तक बढे जब कि कच्चे पटसन का सूचकांक 163 से घटकर 123 रह गया है। इसके अतिरिक्त पटसन निगम का यह कर्तव्य है कि पटसन का न्यनतम मूल्य 157.6 निर्धारित करके इसकी मूल्य गिरावट को रोका जाये।

प्रश्नों के उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि भारतीय पटसन निगम ने नवम्बर, दिसम्बर में खरीद आरम्भ की। निगम पटसन उत्पादन क्षेत्रों में 100 शाखाएं खोल रहा है।

हमारे देश में इस उद्योग का 100 वर्ष से अधिक पुराना इतिहास है।

पहले किसान एक मन जूट बेचकर 3 मन अनाज खरीद सकता था। किन्तु इस वर्ष तो दो दो मन जूट बेचने के बाद भी वह एक मन धान नहीं खरीद सकता है ।

सरकार को पटसन के उत्पादकों के कष्टों का अनुमान लगाना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन मूल्य देना चाहिए। अतीत में भी जूट उत्पादकों के साथ न्याय नहीं हुआ। मूल्यों के घटने से गरीब उत्पादकों को बहुत तंग होना पडा है। प्राक्कलन समिति के वर्ष 1972–73 के 40 वें प्रतिवेदन में सूती वस्त्र निर्माताओं को लगभग 90 % नकद सहायता देने का उल्लेख किया गया है और इस पर आश्चर्य प्रकट किया गया है ।

अवमूल्यन इसलिये किया गया था ताकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारी वस्तुओं को अच्छा बाजार मिल सके परन्तु अवमूल्यन के बाद भी 90 प्रतिशत की राज सहायता देनी पड़ रही है। पटसन के उद्योग के अन्तर्गत सरकार अतिरिक्त निर्यात शुल्क लगाकर गरीब आदमी का भाग हड़प कर रही है यदि यह शुल्क भार मिल मालिको पर डाला जाता तो अच्छा होता। पटसन उत्पादकों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य मिलने चाहिये। 4 मार्च, 1974 के बंगाली पत्र **जुगांतर** के अनुसार एक जूट–उत्पादकको स्वाधीनता से पूर्व अपने एक मन पटसन के बदले 3 मन धान प्राप्त हो सकते थे परन्तु इस वर्ष 2 मन जूट देने पर भी एक मन धान नहीं मिलता।

जूट–उत्पादों से एक साक्षात्कार सें पता चला है कि उन्हें सरकार द्वारा कुछ भी किये जाने का विश्वास नहीं है। उन्हें राजनैतिक नेताओं पर भी भरोसा नहीं है। उनका मत है कि सरकार तथा राजनैतिक नेताओं की आंखो तब तो खुलेगी जब वे लोग जूट का उत्पादन ही बन्द कर देंगे और सरकार को 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होगी।

इस संकल्प की भावना पर ध्यान देंने की जरुरत है क्या वे गरीब आदमी दाल, कपड़ा खाद्य तेल आदि आवश्यक पदार्थ प्राप्त करने के लिये पटसन उगाते है परन्तु उन्हें य वस्तुओं बड़ी उचे दामों पर मिलती है जबकि उनका अपना उत्पादन बहुत कम दरों पर बिकता है। इससे ही उनकी दयनीय दशा का अनुमान हो सकता है। उनका शोषण रोका जाना चाहिये। पूर्वी क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति आती जा रही है। वहां लोगों के पास अपने आवश्यक वस्तुये खरीदने के लिए पैसा नहीं है आगामी जून–जुलाई में न जाने उन बेचारों की क्या दशा होगी। सरकार उन बेचारों की सहायता के लिये आगें आये। पहले लगभग 2.7 लाख एकड़ भूमि में जूट उगाया जाता है अब यह क्षेत्र 12 लाख एकड़ हो गया है जिसमें से लगभग 10 लाख एकड़ धान के क्षेत्र को जूट के क्षेत्र में बदला गया है। परिणाम स्वरुप सरकार को तो विदेशी मुद्रा की आय हो रही है परन्तु उत्पादकों को बहुत कम पैसा मिल रहा है। सरकार इस औैर ध्यान दे वरना ये लोग जूट का उत्पादन बन्द कर देंगे और सरकार को विदेशी मुद्रा की हानी होगी। अत: सरकार एक तो जूट के मूल्य लाभ–प्रद बनाये तथा साथ ही जूट–उत्पाकों को आवश्यक पदार्थों की सप्लाई सुलभ कराये।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्र ही इस दिशा में कार्यवाही करे अन्यथा ये लोग तो क्रांति करने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी): मैं विचाराधीन संकल्प की भावना से पूर्णतया सहमत हूं। इसमें वर्णित छ: सात बातों पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। परन्तु यह मुझे असंभव लगता है कि सरकार को मूल्यों तथा कृषि उत्पादन संबंधी अपनी नीति का पुनर्गठन करना चाहिये। जब तक नीति का क्रियान्वयन करने वाली व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई भी नीति सफल नहीं होगी।

कृषि उत्पादन के बारे में सरकार का रवैया आज भी वही है जो कि ब्रिटीश शासन के समय था जबकि आवश्यक वस्तुओं संबंधी समितियां बनाई गई थी जिस का काम इंगलैण्ड के लोगों के उपयोग के लिये यहां उत्पादन बढ़ाना था। यहां भी बड़ेबड़े भण्डारों को भरकर नगरीय लोगों की आवश्यकता पूरा करने का उद्देश्य रखा जाता है। इसलिये हमारे इस रवैये में परिवर्तन की आवश्यकता है। आज सारी व्यवस्था को चलाने वाले सिविल सेवाके अधिकारी अपने दायित्वों को भलीभांति नहीं समझते हैं उनकी कागज़ी कार्यवाही और क्रियात्मक कार्यकलाप में बहुत फर्क रहता है जिस के कारण यह कठिनाई बनी हुई है। इसलिये वितरण के कार्य में स्वयं आम लोगों को शामिल किया जाना चाहिये। तभी हमारी आशायें फलीभूत हो सकती हैं। आज कुछ गिने चुने सिविल सेवा अधिकारियों के समक्ष विशाल जनसंख्या के देखरेख का काम है। एक जिला कलक्टर को 7–8 लाख लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना होता है। साथ ही लाल फीताशाही का अभिशाप भी है। अत: जब तक हम इस दिशा मे कोई नया दृष्टीकोण नही अपनायेंगे वर्तमान इस प्रणाली में फेरबदल नहीं करेंगे तो समाजवाद के क्षेत्र में हमारे सभी प्रयास असफल रहेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमत के आधार पर प्रजातंत्र का तंत्र सफल सिद्ध नही हुआ है। आज 20 सदस्यों की पंचायत में 9 पर 11 सदस्यों का फैसला अच्छे परिणाम पैदा नहीं कता यह कि कारण है कि आज हमारे गांव भी अव्यवस्था के शिकार हैं। लोकतंत्र के उदयसे पूर्व मंत्रालयों का काम सार्वजनिक भावना के आधार पर होता था और वे सफलता पूर्व गांवों का प्रशासन चला पाते थे आज वह बात नहीं रही है।

[श्री रणबहादुर सिंह]

अत: मेरे विचार से इस संकल्प की भावना तो अच्छी है परन्तु उस को रचनात्मक रूप देने के लिये वर्तमान प्रासनिक व्यवस्था में आप लोगो को भी शामिल किया जाये।

Shri Satpal Kapur (Patiala): I am in agreements with the spirit and purposes of this Resolution. My disagreement was only in regard to the non-implementation of the Land Reforms for which no explanation was extended. And we had to accept the Land Reforms in half hearted way. The agencies meant, for small and marginal farmers have proved ineffective. So the basic issue is as to what has been the approach in the agriculture field?

Last year, we had urged for increasing the wheat prices to make the wheat-trade take over successful. But we were not cared for. Similarly bonus scheme was also started very late. Had the Govt. given a bonus of Rs. 7 or 8 last year itself we would have not faced the failure of State take over of wheat-trade. We do not know what basic policy do the Government want to follow in respect of agriculture. Let the Planning Commission adopt a policy of linking the prices of inputs with production. Prices should be fixed keeping in view the prices of disel, power, machinery fertiliser, etc. There should be some scientific system for fixing up prices. At present the farmers are exposed to the exploitation by wholesalers and agents and mill owners. The farmers are rose because although support prices are fixed unless their produce come to the market but that produce is not purchased. When prices of cotton were fixed; why then the cotton corporation remained away from markets. It was only to compel the farmers to sell away their cotton to the big mill-owners. Similar has been the case in respect of ground nut, green vegetables, potatoes etc. I therefore, urge upon the Planning Commission and Ministry of Agriculture to find out some scientific way so as to save the farmers from the exploitation by the mill-owners and big businessman. I don't understand why do charge 9 per cent interest agricultural loans vis-a-vis 4 per cent on industrial loan? (*Interruptions*).

The act of allowing the whole-sale traders some gain is not proper. I warn you that in near future you would feel sorry for allowing them.

Throughout the entire country only Punjab has been the State which made the whole-sale trade takeover successful. If others could not do why then Punjab is being punished for it? You fixed Rs. 105 a quintal and have asked the wholesaler to go and procure. Now if the Government fixes up Rs. 107 or Rs. 109 but the whole saler offers Rs. 110 then who would sell his produce to Government on lower rates? In this way you are once again reviving the whole sale agents who were eliminated by the State Government after great exercise. The farmers are resenting over re-introducing the whole salers system. They are agitated over the fact that only Rs. 105 has been fixed for their produce whereas the wholesaler are being allowed to earn Rs. 43 to 45 a quintal. This, I am afraid, is not going to help the procurement for the central pool and thus the entire purpose would be defeated.

Punjab is having enough infrastructure. There are about 600 regular markets (Mandis) — 116 Mandis having 4 to 5 procurement centres under each of them, and every procurement centre is having shops of cooperatives and trade cooperatives. We did not allow any Kachha Adhati ai keep more than 500 quintals. But the new system is going to create a lot of confusion. I would therefore request the Planning Commission and Ministry of Agriculture to reconsider this matter. At least Punjab should be kept out of this new system. Punjab can muster enough procurement by way of its present system only.

Mr. Chairman, Sir, all the efforts of checking rise in prerices have proved futile. I have got a very new suggestion. Let us fix up the procurement and issue prices of foodgrains, coarse cloth and rice at the same level. Subsidy and handing charges be debeted to central pool. Do not increase the allowances of Government servants or railway employees etc. You are giving a subsidy of about Rs. 400 crores but your D.A.

bill is of Rs. 600 crores. Even if you have to spend a little more, you should have a price-freeze in respect of foodgrains and coarse cloth. This would encourage the farmer and others. So a new dynamic step is required to be taken. I am sure Shri Dharia and Shri Dhar would re-examine this matter.

डा० रानेन सेन (बारहाट) : इस संकल्प से तीन मुख्य बातें सामने आई हैं — कृषकों के लिये लाभप्रद मूल्य, अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आवश्यक वस्तुओं का सस्ता मूल्य। सब से पहले सरकार की कोई मूल्य नीति नहीं है। स्वाधीनता से लेकर सरकार का उत्पादन अथवा वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं था इसी कारण सरकार मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकती। सरकार ने मूल्य और लागत संगठन स्थापित किया है उस संगठन ने कुछ औषधियों की लागत के विषय में एक प्रतिवेदन तैयार किया परंतु उक्त प्रतिवेदन संसद सदस्योंको उपलब्ध नहीं किया गया। सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं की है। इसी प्रकार कृषि मूल्य आयोग है। उक्त आयोग ने गेहूं चावल एवं अन्य वस्तुओं के मूल्यों की बात की है परंतु पटसन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

आज अधिकांश आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र द्वारा सरकार की बिल्कुल परवाह नहीं की जाती। हाल ही में सरकार ने सूती कपड़ा मिलों को कहा कि वे अपने उत्पादन का 25% स्टेन्डर्ड कपडा बनायें परंतु मिलों ने इससे इन्कार कर दिया। अन्त में सरकार को उस कपड़े के मूल्य में वृद्धि करनी पड़ी।

कहा जाता है कि आज देश में आवश्यक वस्तुओ की कमी है। परंतु वास्तव में ऐसा है? नहीं है। खुले बाजार में जो वस्तु उपलब्ध नहीं होती वह वस्तु काले बाजार जितनी मात्रा में चाहे मिल सकती है। इस बारे में सरकारी नीति स्पष्ट नहीं है। डालडा के निर्माता, हिन्दुस्तान लीवर ने अपने कानपुर एकक में डालडा के स्थान पर मार्गरीन का उत्पादन प्रारंभ कर दिया उसका भाव डालडा से अधिक है दूसरे उसके मक्खन में मिलावट की अधिक संभावनाएं हैं। परंतु सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। इस पर श्रमिकों ने काम करना बन्द कर दिया और बाध्य होकर उत्तरप्रदेश सरकार को मार्गरीन के स्थान पर डालडा का उत्पादन फिर से करने के लिये कम्पनी को कहना पड़ा।

जबकि देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी है एसे समय पर सरकार उन्हीं वस्तुओ का निर्यात कर रही है। चावल और गेहूं का निर्यात तो किया ही जाता है आवश्यक औषधियों तक का निर्यात किया जा रहा है जबकि दश में ग्रामीण लोगों को ही नहीं शहरी लोगों को भी औषधियां नहीं मिलती। इस नीतियों के परिणाम स्वरुप सरकार मूल्यों पर नियन्त्रण करने में असमर्थ है।

सरकारी नीतियों के कारण पटसन उत्पादक यह समझ रहे हैं कि पटसन का उत्पादन करना लाभप्रद नहीं रहा। किसानों में इस प्रकार का प्रचार भी हो रहा है कि पटसन के स्थान पर धान का उत्पादन किया जाये जिससे कि खाने के लिये तो कुछ उपलब्ध हो सके।

अत: सरकार को अपनी मूल्य एवं नियन्त्रण नीति की पुनरीक्षा करनी चाहिये। सरकार को आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले मूल उद्योगों का सरकारीकरण करना चाहिये अन्यथा सारे देश का विनाश हो जायेगा।

इस प्रकार की परिस्थितियों में संकल्प में जो कुछ कहा गया है कि उपभोग की वस्तुओं को उत्पादन लागत से $1\frac{1}{2}$ मूल्य पर बेचा जाये यह बहुत ही सामयिक बात है।

सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE. CONTEMPT OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री के (श्री के० रघु रामैया) : प्रस्ताव पेश करने से पूर्व में कुछ तथ्य बताना चाहता हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, I have a point of order. Such Motions should be brought on order paper so that we may know the subject matter in advance.

Mr. Chairman: This is such a motion for which advance notice was not possible. If you listen you will also agree to it.

श्री के० रघु रामैया : आज लगभग 2.30 बजे मध्यान्ह पश्चात् एक दर्शक जिसे रतन चन्द गुप्ता के नाम पर प्रवेश पत्र जारी किया गया था, अपना प्रवेश-पत्र दिखा कर दर्शक दीर्घा के प्रवेश द्वार के पास आया। जब श्री रतन चन्द्र गुप्ता ने, जो पंक्ति में सब से पीछे थे देखा कि प्रवेश-पत्रों की जांच हो रही है तो उन्होंने पंक्ति तोडकर दीर्घा में घुसने का प्रयास किया। वाच एण्ड वार्ड अधिकारियो ने उन्हें रोकने की कोशिश की परंतु वे दीर्घा में प्रवेश कर गये और नारे लगाने प्रारंभ कर दिये। वाच एण्ड वार्ड और सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें तत्काल अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे दीर्घा से बाहर ले गये।

जब श्री रतनचन्द गुप्ता को सहायक वाच एण्ड वार्ड अधिकारी के कमरे में ले जाया गया तो उसने तत्काल एक पिस्तोल निकाल ली और अपने सीने पर गोली चलाई। इसके परिणामस्वरुप उनके सीने पर एक हल्का घाव हो गया।

पूरी तलाशी लेने पर उससे 2 पिस्तोल एक गोल वस्तु जो संभवत: विस्फोटक थी, कुछ करेंसी नोट और कुछ पर्चे बरामद हुए।

प्राथमिक सहायता केन्द्र से डाक्टर को बुलाया गया और उन्होंने उसे प्राथमिक सहायता दी ?

Shri Phool Chand Verma (Ujjain): I have a point of order. I want to know what is that round object.

Mr. Chairman: How can you raise a point of order without listening the Minister? It is not fair.

श्री के रघुरामैया : इस को देखते हुए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

> "यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको रतनचन्द्र गुप्त कहने वाले व्यक्ति ने, जिसने आज 14.24 बजे सभा की दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और जिस वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया और जीसकी तलाशी लेने पर दो पिस्तौल, बम्ब जैसी दिखने वाली एक वस्तु तथा कुछ पर्चे पाए गए, एक भारी अपराध किया है और वह इस सभा के अवमान का दोषी है।
>
> यह सभा यह भी संकल्प करती है कि कानून के अन्तर्गत उसके की विरुद्ध जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही के पूर्वाग्रह बिना रतन चन्द्र गुप्त को सभा के इस प्रकार अवमान करने के लिए 10 मई, 1974 के मध्याह्न पश्चात् 6 बजे तक की कैद की कड़ी सज़ा दी जाये और केन्द्रीय जेल, तिहाड़ नई दिल्ली, भेजा जाये।"

Shri Madhu Limaye: I would like to submit that unless the matter is investigated fully there is no necessity of bringing such a resolution. I think it unfair to adopt such a resolution in haste. (*Interruptions*). I have always opposed such resolutions and I have a right to oppose it.

Let the police investigations be completed and report received. Till then the issue be kept pending.

Shri G. P. Yadav (Katihar): There was one girl also with him. She may also be traced. Shri Jaya Prakash's name is being unnecessarily dragged into it. This is a conspiracy of congress people.

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : मेरा ऐक व्यवस्था का प्रश्न है। संकल्प पेश किया गया है और जब तक उसे पारित नहीं किया जाये तब तक उस व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जा सकता।

Shri Madhu Limaye: The speaker has powers to entrust him to police custody.

श्री राम सहाय पाण्डेय : यदि संकल्प को स्थगित किया गया तो उस व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। **(अन्तर्बाधाए)**

सभापति महोदय : जहां तक मैं समझता हूं उसे हिरासत में रखने के लिये सभा के औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता है। उसके बिना उसे जेल में नहीं भेजा जा सकता।

Shri Phool Chand Verma: This incident is unique in our Parliamentary history. Parliamentary Minister has not given full facts. He has not stated who recommended a pass for him. He was a guest of a Congress M.P., Shri Hari Kishore Singh. He was accompanied by a girl, who has left in a car. It is a very serious matter. There may be some motive or a conspiracy behind it. There should be a full-fledged discussion and then some decision should be taken.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : श्री मधु लिमये ने बहुत ही अजीब प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार की घटना को ध्यान में लानी होती है। प्रस्ताव के पश्वात् ही मामले में आगे किसी प्रकार की कार्यवाही हो सकती है। इस का विरोध केवल राजनैतिक उद्देश्यों से किया जा रहा है।

सभापति महोदय : मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रस्ताव तक ही अपने विचार सीमित रखें।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मेरे विचार से आप की यह व्यवस्था है कि संकल्प को पारित किया जाना है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस प्रकार की घटना का संसदीय लोकतंत्रो के भविष्य पर प्रभाव पड़ता है अत: इससे राजनैतिक लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पर सभा को गंभीरता से विचार करना है। इस मामले को स्थगित करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, अत: वह उचित नहीं होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): This is a very sad incident. First of all I would like to congratulate watch and ward staff who acted with great efficiency. Hon. Minister knows that incidents of slogan raising and throwing of leaf-lets have happened previously also. There is no necessity of bringing any motion to award any sentence. A Committee or a Commission to consider the whole matter and bring out full facts. Two Congress Members are connected with it. It appears to be a planned conspiracy to defence the Bihar Agitation. Unless the full facts come out, it is not necessary to adopt the motion. Moreover it would not be fair to arrive at any conclusion till then.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। हमें सब से पहले इस घटना की कठोर शब्दों में निन्दा करनी चाहिये।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे]

दूसरे प्रस्ताव में मांग की गई है कि रतन चन्द गुप्ता को शाम 6 बजे के पश्चात् तिहार जेल में भेजा जाय। इस पर श्री मधु लिमय को आपत्ति है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। परंतु क्या दो पिस्तौले हाथ में लेकर गोली चलाने वाले व्यक्ति को सभा के संकल्प के द्वारा जेल में भेजना क्या आवश्यक नहीं? उसका उद्देश्य क्या था वह किसे मारना चाहता था, उसने किस पर गोली चलाई? इन सब बातों की पूरी जांच की आवश्यकता है। परंतु इतना स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनाओं की सबकी निन्दा करनी चाहिए। यदि इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं गया तो उसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। अत: इस प्रस्ताव को हमें सर्व सम्मति से स्वीकार करना चाहिये।

श्री समर गुह (कन्हाई) : यह बहुत ही गंभीर घटना है और हमें इसी प्रकार की गंभीरता से इस पर विचार भी करना चाहिए। सुरक्षा और प्रतिष्ठा तथा लोक तन्त्र के भविष्य के प्रश्न पर यह भिन्नता नहीं हो सकती। परन्तु सरकारी पक्ष ने इसके बारे में जो रुख अपनाया है वह उचित नहीं है। इस बारे में पूर्व सूचना दी जानी चाहिए थी जिससे कि विपक्ष के नेता इस अवसरपर उपस्थित होते। इस प्रकार के गंभीर मामले में प्रस्ताव लाने से पूर्व संसदीय कार्य मंत्री को द्विपक्षीय के नेताओं की बैठक बुलानी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय भी इस बारे में बैठक बुला सकते थे। यह एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना है। ।

इस मामले के सारे तथ्य प्रकट नहीं किए गए हैं। इस घटना के बारे में अनेक बातें कही जा रही है अत: सभी तथ्य प्रकट किए जाने चाहिए थे। उसके पश्चात ही हम उन पर विचार करके निर्णय कर सकते हैं। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि इसके पीछे कोई षडयन्त्र तो नहीं है। इस संकल्प को इतनी शीघ्रता से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कुछ समय के लिए सदन को स्थगित करके द्वीपक्ष के नेताओं और कांग्रेस दल के कुछ सदस्य को बैठक करके उस पर विचार करके तत्पश्चात पुन: समवेत हो कर हम कोई सर्व सम्मत निर्णय करें जो सुरक्षा, प्रतिष्ठा और लोक तन्त्र के भविष्य के लाभ के लिये हो।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala): The poster, which Rattan Chand Gupta had, is there in his pocket also.

श्री समर गुह : आप का यह तरीका है** . . . (**अन्तर्बाधाएं**) पास किसने जारी किया मैं उस पर आरोप लगाता हूं। पिस्तौल और हथगोले किसने सप्लाई किए। (**अन्तर्बाधाए**) . . .**

Shri Sat Pal Kapur: He himself showed it to me.

Shri Madhu Limaye: I have a point of order. Under what Rule this Motion has been brought?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने सभा के एक दूसरे सदस्य के विरुद्ध आपत्ति जनक शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है** . . . । आप उन्हें इन शब्दों को वापस लेने को कहे अन्यथा इन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाए।

सभापति महोदय : रिकार्ड देखा जाएगा और यदि कुछ आपत्तिजनक होगा तो कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

श्री समर गुह : उससे पहले आप यह भी देखें कि उन्होंने क्या आरोप लगाया। क्या कोई बुद्धिवाला इस प्रकार का आरोप लगा सकता है। इस प्रकार के आरोप का उत्तर तो दिया हमें देना ही है . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the chair.

Shri Harikishore Singh (Pupri) : Sir, I apologise before the House because this incident occurred due to my indiscretion. Several persons come to the Members daily for passes .. (*Interruptions*) .. and they have to be obliged. Shri Gupta also came to me for a pass to witness the proceedings of Lok Sabha. He told me that he belonged to Dhanbhad, Bihar. I therefore, got a pass issued for him.

As regards defaming Shri Jaiprakash Narayan, I may submit that I hold him in high esteem. Shri Narayan himself knows it very well.

Shri Bhogendra Jha (Jayanagar) : It will be unfair to wait till the report of the Police enquiry is received because the question of Police inquiry should not arise in the internal affairs of the House. The offender should be sent to police custody till we reach some decision. The hon. Speaker himself should set up a Committee Consisting of Members from the opposition as well as from the ruling party, which should go into the causes and intention behind this incident. There should not be any question of police interference in the affairs of Parliament.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): यह मामला दलगत भावना से परे है । इस घटना के परिणाम उससे कहीं अधिक गम्भीर हो सकते हैं जो स्पष्ट दीख पड़ते हैं । इस संकल्प के अनुसार अपराध दो भागों में विभाजित हो जाता है । एक भाग सदन की मानहानि से सम्बन्धित है और दूसरा भाग वह अपराध है जिसे करने का प्रयास किया गया । हमें अपराध के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और सदन से कुछ भी नहीं छिपाया जाना चाहिए । सरकार को हमें और अधिक जानकारी देनी चाहिए थी ।

अपराधी को सभा के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उससे पूरी पूछताछ की जानी चाहिए, तभी हम इस मामले में अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, I oppose the resolution because all the facts relating to this case have not been placed before this House and under such circumstances, it would be injust to pronounce a judgement thereon. It is, therefore, suggested, that an all-party Committee should be set up to investigate into the matter.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इस मामले में हमें एक मत होकर निर्णय करना चाहिए । यह केवल सुरक्षा का ही प्रश्न नहीं है अपितु सदन की गरिमा का भी प्रश्न है । इस बात को ध्यान में रखकर ही हमें सब बातों की जाच करनी चाहिए । इस मामले में राजनीति नहीं लाई जानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय सत्ताधारी दल सहित सभी दलों के नेताओं की बैठक बुला सकते हैं जहां हम सर्व सम्मति से निर्णय कर सकते हैं और इस निर्णय के आधार पर ही अन्तिम रूप से सहमति प्राप्त करके के लिए इस सदन के समक्ष अन्य संकल्प पेश किया जा सकता है ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : इस प्रकार के दाण्डिक अपराध का मामला पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए । न्यायालय द्वारा ही दाण्डिक अपराध के मामले में निर्णय किया जाएगा और दण्ड दिया जायगा । सदन की मानहानी के लिए दंड देने है तो सर्व सम्मति से निर्णय किया जाना चाहिये ।

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : The offender has committeed two offences, one is the contempt of the House and the other is the criminal offence. As regards criminal offence, it is essential to investigate into all the aspects of it and it should be done by the police. So far as the contempt part is concerned, sentence of imprisonment till 10th May is very harsh.

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (कोजीकोड) । श्रीमन, यह एक अभूतपूर्व घटना है । इस घटना से सारा देश हिल गया है । हमें अपराध को गम्भीर रूप से देखना चाहिए ।

जहां तक सदन की मानहानि की बात है, हमें तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए । इसके लिए जैसा की प्रो० दण्डवते ने कहा है अपराधी को पुलिस को सौंप देना चाहिए । इसके साथ ही हमें अपराधी के

[इब्राहीम सुलेमान सेट]

विचारों का उसके उद्देश्य का पता लगाना चाहिए। अत: जैसा कि अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया है, अध्यक्ष महोदय को विपक्ष के विभिन्न नेताओं से परामर्श करके अपनी जांच आगे बढानी चाहिए क्योंकि हम तभी अपराध की गम्भीरता को समझ सकते हैं। हमें यह पता लगाना चाहिए कि अपराधी के मन में क्या बात थी।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मुझे आशा है कि सरकार अन्य दलों के सदस्यों के सुझाओं पर ध्यान देगी और उन्हें स्वीकार करेगी। यह संकल्प जल्दी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। सदन को विवरण का पता लगना चाहिए और तब अन्तिम निर्णय पर पहुंचना चाहिए।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : It is not known as to why such a hasty decision is being taken. It would be better if we sent the person to judicial custody first and then set up an all-party Committee to investigate into the whole matter.

Mr. Chairman : Shri Madhu Limaye would like to move his amendment I allow him to do so.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, my submission is that the second clause be deleted and the following should be substituted, namely :—

> "This House, while reserving its right to punish the said person for contempt, resolves to remand him to Tihar Central Jail till 17th April, 1974, to enable the Speaker or persons nominated by him to make a fuller inquiry into the incident."

श्री समर गुह (कन्दाई) : मेरा संशोधन भी इसी प्रकार के है परन्तु इसमें थोड़ासा अन्तर है।

श्री के० मायातेवर) (डिंडिगुल) : अपराधी का अपराध दो प्रकार का है, पहला है सभा का अवमान जिसके लिए अपराधी को दण्ड देने का अधिकार अध्यक्ष और सभा को है। दाण्डिक अपराध के लिए अपराधी को पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :जैसा कि सदन को पता है, यद्यपि यह एक गम्भीर घटना है, यह घटना पहली बार ही घटित नहीं हुई है। जहां तक सदन की मानहानि की बात है, यह घटना भी पहली बार ही नहीं हुई है। पहले भी कई बार ऐसी घटनायें घट चुकी हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गई है।

इससे अधिक सदन को घोर अपमान क्या होगा कि एक व्यक्ति दो पिस्तौल तथा एक बम जैसे वस्तु लेकर यहां आए और सदन की मानहानि करें। मैं वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सतर्कता से उस व्यक्ति को तुच्छ कार्य करने से रोका।

दाण्डिक अपराध को छोड़ दीजिए। न्यायालय उसकी चिन्ता करेगा। सरकार मामले की गहराई से छानबिन करेगी और उचित दण्ड देगी। परन्तु हम केवल सदन की मानहानि के लिए कार्यवाही करने तक ही सीमित हैं।

Shri Madhu Limaye : What about my amendment?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा। सदन को अपराध की पूरी जानकारी नहीं कराई गई है। सभी मानहानियां एक समान हैं परन्तु फिरभी उनमें डिग्री का अन्तर है क्या सरकार सदन को इस मामले की पूरी जानकारी कराएगी? क्योंकि सदन मानहानि के लिए जो दंण्ड देगा वह अन्तिम दण्ड नहीं होगा। हमें अपराध के स्वरूप का ही पता नहीं है।

श्री योगेन्द्र झा : अपराधी को सदन के समक्ष प्रस्तुत करना मेरे विचार से आवश्यक नहीं है । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सदन की मानहानी की घटना पहले भी घटित हुई है परंतु यह एक विशेष घटना है । ऐसा इस सदन में पहले कभी नहीं हुआ है । हमने सुझाव दिया है कि अपराधी को जेल भेज दिया जाना चाहिए । और इस बीच अध्यक्ष महोदय द्वारा एक समिति बनानी जानी चाहिए और तब अन्तिम निर्णय किया जाना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि संसदीय कार्य मंत्री का संकल्प मतदान के लिए रखा जाता है तो श्री मधु लिमये के संशोधन प्रस्ताव पर भी मतदान होना चाहिए । मंत्री महोदय द्वारा सर्व दलीय समिति बनाने का सुझाव स्वीकार किया जाना चाहिए । श्री मधु लिमये का संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए ।

श्री के० रघुरामैया : कहा गया कि पूरे तथ्य नहीं बताए गए हैं । प्रस्ताव पढ़ने से पहले वक्तव्य देते समय जो तथ्य उपलब्ध थे मैंने बताए थे । मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि पकड़े जाने पर युवक ने एक पिस्तौल से स्वयं को गोली मारने का प्रयत्न किया परन्तु कमीज के नीचे पुस्तिकाओं के बन्डल के कारण गोली बीच ही में रुक गई ।

युवक का कहना है कि दो वर्ष पूर्व पढाई बन्द करके उसने झारिया में अपने पिता के प्रेस में कार्य करना आरम्भ कर दिया था । वह देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से चिन्तित है और संसद में हलचल पैदा करना चाहता था । वह कलकत्ता से दो पिस्तौल तथा बम जैसी दिखनेवाली वस्तुएं खरीदकर 19 दिन पहले दिल्ली आया ।

अपराध की गम्भीरता को देखते हुए यह न्यूनतम दण्ड दिया जा रहा है । अतः बिना किसी संशोधन के सभा को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री समर गुह : मेरे संशोधन का क्या हुआ ?

सभापति महोदय : मंत्रीमहोदय संशोधन स्वीकार करना नहीं चाहते । अतः मैं इसे सदन में मतदान के लिये रखूंगा । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय द्वारा श्री मधु लिमये का संशोधन मतदान के लिए रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में . . . Ayes	20
विपक्ष में . Noes	97

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री समर गुह का संशोधन प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको रतन चन्द्र गुप्त कहने वाले व्यक्ति ने जिसने आज 14.24 बजे सभा की दर्शक दीर्घा से नारे लगाए और जिसे वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया और जिसकी तलाशी लेने पर दो पिस्तौल, बम्ब जैसी दिखने वाली एक वस्तु तथा कुछ पर्चे पाए गए, एक भारी अपराध किया है और वह इस सभा के अवमान का दोषी है।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि कानून के अन्तर्गत उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही के पूर्वाग्रह बिना रतन चन्द्र गुप्त को सभा के इस प्रकार अवमान करने के लिए 10 मई, 1974 के मध्यान्ह-पश्चात 6 बजे तक को कैद की कड़ी सजा दी जाए और केन्द्रीय जेल, तिहाड़ नई दिल्ली, भेजा जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में Ayes	. .	97
विपक्ष में Noes	. . . . .	5

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 15 अप्रैल, 1974/25 चैत्र 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April, 15, 1974/ Chaitra 25, 1896 (Saka).

भा०स०मु०ना०--वि4--13 लोक सभा 74—14-8-74--490